राष्ट्रीय आयुष मिशन

कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा

सत्यमेव जयते
Government of India

आयुष विभाग

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

राष्ट्रीय आयुष मिशन के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा (एनएएम)

1. प्रस्तावना :

आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए 12वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) आरम्भ किया है। एनएएम का मूल उद्देश्य लागत प्रभावी आयुष सेवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना, शिक्षण प्रणाली को सुदृढ करना, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एवं एच) औषधों के गुणवत्ता नियंत्रण के प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाना और एएसयू एवं एच की कच्ची सामग्री सतत रूप से उपलब्ध कराना है। इसमें कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की नम्यता परिकल्पित है जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। एनएएम एक राष्ट्रीय मिशन और तदनुरूपी राज्य स्तर पर मिशनों की स्थापना का विचार रखता है। एनएएम से स्कीमों की योजना, पर्यवेक्षण और निगरानी के संबंध में विभाग द्वारा सेवाओं की पहुंच में महत्वपूर्ण सुधार होने की आशा है।

2. परिदृश्य:

क. सेवाओं तक पहुंच में सुधार द्वारा पूरे देश में लागत प्रभावी और साम्यिक आयुष स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना।

ख. आयुष पद्धतियों को पुनर्जीवित और सुदृढ करना जिससे वे समाज की स्वास्थ्य परिचर्या में प्रमुख चिकित्सा पद्धति बन जाएं।

ग. गुणवत्तायुक्त आयुष शिक्षा प्रदान करने में सक्षम शैक्षणिक संस्थानों में सुधार करना।

घ. आयुष औषधों के गुणवत्ता मानक अपनाने को बढ़ावा देना और आयुष संबंधी कच्ची सामग्री की सतत आपूर्ति की उपलब्धता करवाना।

3. उद्देश्य:

क. आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना द्वारा सार्वभौमिक पहुंच सहित लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करना।

ख. आयुष शैक्षणिक संस्थानों, राज्य सरकार की एएसयू एवं एच भेषजियों, औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं और एएसयू एवं एच प्रवर्तन तंत्र के उन्नयन के माध्यम से राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता सुदृढ़ करना।

ग. उत्तम कृषि पद्धतियों (जीएपी) को अपनाकर औषधीय पादपों की कृषि में सहायता प्रदान करना ताकि गुणवत्तायुक्त कच्ची सामग्री की सतत आपूर्ति हो और गुणवत्तायुक्त मानकों, उत्तम कृषि/संग्रहण/भंडारण पद्धतियों के लिए प्रमाणन तंत्र का समर्थन करना।

घ. खेती, भांडागारण, मूल्य संवर्धन और विपणन के अभिसरण द्वारा समूहों की स्थापना में सहायता और उद्यमियों के लिए अवसंरचना का विकास।

4. **मिशन के घटक**

4.1 अनिवार्य घटक

क. आयुष सेवाएं

ख. आयुष शैक्षणिक संस्थान

ग. एएसयू एवं एच औषधों का गुणवत्ता नियंत्रण

घ. औषधीय पादप

मिशन के प्रत्येक घटक के लिए ब्यौरे अलग दिशानिर्देशों के रूप में दिए गए हैं।

4.2 नम्य घटक:-

4.2.1 कुल उपलब्ध राज्य निधियों में से 20 प्रतिशत निधियां नम्य घटकों के लिए निर्धारित की जाएंगी जिसे नीचे दिये गए किसी भी मद पर खर्च किया जा सकता है बशर्ते ऐसे घटकों पर समग्र राज्य निधि का 5 प्रतिशत से अधिक का व्यय न किया गया हो।

क. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केन्द्र*

ख. टेली-मेडिसीन

ग. आयुष के माध्यम से खेल चिकित्सा

घ. सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित आयुष में नवाचार

ङ. निजी आयुष शैक्षणिक संस्थाओं के लिए ब्याज सब्सिडी घटक

च. परीक्षण प्रभारों की प्रतिपूर्ति

छ. आईईसी कार्यकलाप

ज. औषधीय पादपों से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास

झ. स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम: परियोजना आधारित

ञ. बाजार संवर्धन, बाजार ज्ञान और वापस खरीद हस्तक्षेप

ट. औषधीय पादपों के लिए फसल बीमा

**योग स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभिक साज समान के लिए 0.6 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता के पात्र हैं तथा श्रमशक्ति, रखरखाव इत्यादि के लिए प्रतिवर्ष 5.4 लाख रुपये की आवर्ती सहायता के पात्र हैं और 20-30 बिस्तर वाले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल 15 लाख*

रुपये की एकमुश्त सहायता के पात्र हैं (श्रमशक्ति सहित आवर्ती सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 12 लाख रुपये तथा उपचार उपकरणों के लिए 3 लाख रुपये की एकमुश्त अनावर्ती सहायता) तथापि, किसी भी घटक पर नियत निधि का 5% से अधिक खर्च न करने की व्यवस्था की शर्त इस घटक पर लागू नहीं होगी।

4.2.2 संविदात्मक कार्यों, अवसंरचना विकास, क्षमता निर्माण और औषधियों की आपूर्ति के रूप में भारत सरकार से वित्तीय सहायता पूरक होगी जो आयुष विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। इससे प्रभावशाली समन्वय और निगरानी के जरिये कार्यक्रम का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। राज्य मौजूदा सुविधाओं में सभी नियमित जनशक्ति पदों को भरने का कार्य सुनिश्चित करें। औषधियों का प्रापण स्कीम के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा।

5. संस्थागत तंत्र:

5.1 <u>राष्ट्रीय स्तर</u>:

5.1.1 <u>मिशन निदेशालय:</u>

राष्ट्रीय स्तर पर मिशन राष्ट्रीय आयुष मिशन निदेशालय द्वारा शासित किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

क्र.सं.	पदनाम	स्थिति
1.	सचिव (आयुष)	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	ए एस एवं प्रबंध निदेशक, एनआरएचएम, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
4.	सीईओ, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	सदस्य
5.	मिशन निदेशक, बागवानी	सदस्य
6.	एएसयू एवं एच औषधों/संस्थाओं का कार्य संभाल रहे संयुक्त सचिव	सदस्य
7.	एएसयू एवं एच औषधों के औषध महानियंत्रक/डीसीसी का कार्य संभाल रहे वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	सदस्य
8.	आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध के सलाहकार	सदस्य
9.	सीएसएस के प्रभारी संयुक्त सचिव (एनएएम के पदेन मिशन निदेशक)	सदस्य सचिव

5.1.2 अध्यक्ष के अनुमोदन से जैसा आवश्यक समझा जाए किसी अन्य विशेषज्ञ को सहयोजित किया जा सकता है। यह समिति मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य वार्षिक कार्ययोजना (एसएएपी) का अनुमोदन करने के लिए जिम्मेदार होगी।

5.1.3 <u>मूल्यांकन समितिः</u>

राष्ट्रीय स्तर पर मिशन की सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय आयुष मिशन मूल्यांकन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

क्र.सं.	**पदनाम**	**स्थिति**
1	एनएएम के प्रभारी संयुक्त सचिव	अध्यक्ष
2	एएसयू एवं एच औषधों/संस्थाओं का कार्य संभाल रहे संयुक्त सचिव	सदस्य
3	सीईओ/उप सीईओ, एनएमपीबी	सदस्य
4	मिशन निदेशक, बागवानी अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
5	एनआरएचएम, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
6	आईएफडी के प्रतिनिधि	सदस्य
7	एएसयू एवं एच औषधों के अपर औषध महानियंत्रक/ डीसीसी का कार्य संभाल रहे वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	सदस्य
8	आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध और औषधीय पादपों के सलाहकार/संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार	सदस्य
9	एनएएम के प्रभारी निदेशक/उप सचिव	सदस्य सचिव

5.1.4 अध्यक्ष के अनुमोदन से जैसा आवश्यक समझा जाए किसी अन्य विशेषज्ञ को सहयोजित किया जा सकता है। यह समिति राज्य वार्षिक कार्ययोजना (एसएएपी) के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होगी और इसे अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत करेगी।

5.2 <u>राज्य स्तर</u>:

राज्य स्तर पर मिशन राज्य आयुष मिशन सोसाइटी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, द्वारा शासित एवं निष्पादित किया जाएगा ।

5.2.1 <u>शासी निकाय का गठन</u>

क्र.सं.	**पदनाम**	**स्थिति**
1	प्रमुख सचिव	अध्यक्ष
2	आयुष/(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव	सदस्य-सचिव

3	प्रधान सचिव/सचिव (आयुष चिकित्सा शिक्षा)	सदस्य
4	प्रधान सचिव (वित्त)	सदस्य
5	प्रधान सचिव (योजना)	सदस्य
6	औषधीय पादपों का कार्य संभाल रहे प्रधान सचिव, वन एवं बागवानी	सदस्य
7	मिशन निदेशक, एनआरएचएम	सदस्य
8	आयुक्त (आयुष)/महानिदेशक (आयुष)/निदेशक आयुर्वेद, यूनानी होम्योपैथी, सिद्ध	सदस्य
9	नोडल अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड	सदस्य
10	राज्य एएसयू एवं एच औषध लाइसेंसिंग प्राधिकरण	सदस्य

5.2.2 अध्यक्ष के अनुमोदन से जैसा आवश्यक समझा जाए किसी अन्य विशेषज्ञ को सहयोजित किया जा सकता है।

5.2.3 <u>सामान्य कार्य</u>: आयुष पद्धतियों का अवलोकन करना, आयुष नीति एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन की समीक्षा, अंतरक्षेत्रीय समन्वय, आयुष परिदृश्य के संवर्धन के अपेक्षित उपायों का सुझाव देना और राज्य वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन।

5.2.4 <u>कार्यकारी निकाय का गठन</u>

क्र.सं.	**पदनाम**	**स्थिति**
1	आयुष/(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव	अध्यक्ष
2	प्रधान सचिव/सचिव (आयुष चिकित्सा शिक्षा)	उपाध्यक्ष
3	आयुक्त (आयुष)/महानिदेशक (आयुष)/निदेशक आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध	सदस्य सचिव
4	मिशन निदेशक, एनआरएचएम	सदस्य
5	राज्य वित्त/योजना विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
6	वन एवं बागवानी विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
7	नोडल अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड	सदस्य
8	एएसयू एवं एच औषध लाइसेंसिंग प्राधिकरण	सदस्य
9	आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और औषधीय पादपों का कार्य संभाल रहे वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	सदस्य
10	राज्य आयुष कार्यक्रम प्रबंधक	सदस्य

5.2.5 अध्यक्ष के अनुमोदन से जैसा आवश्यक समझा जाए किसी अन्य विशेषज्ञ को सहयोजित किया जा सकता है।

5.2.6 <u>सामान्य कार्य</u>:

मिशन के विस्तृत व्यय और क्रियान्वयन की समीक्षा, राज्य वार्षिक कार्य योजना तैयार करना और उसे शासी निकाय के अनुमोदन के लिए भेजना, वार्षिक कार्य योजना के अनुसार निधियों की निर्मुक्ति सहित अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्य योजना का निष्पादन, शासी निकाय के निर्णय पर अनुवर्ती कार्रवाई, निगरानी और मूल्यांकन और सोसाइटी के लेखों का अनुरक्षण और सोसाइटी का प्रशासन।

6. मिशन के अंतर्गत सहायक सुविधाएं:-

6.1 केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर आयुष अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कार्यक्रम प्रबंधन एकांशों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पीएमयू में केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर के प्रबंधन और तकनीकी व्यावसायिक शामिल होंगे और यह अनिवार्यता संविदा अथवा सेवा प्रदाता के माध्यम से होगी।

6.2 पीएमयू स्टॉफ संविदात्मक आधार पर खुले बाजार अथवा बाह्य संसाधनों से संलग्न किया जाएगा और उनके वेतन पर व्यय, मिशन अवधि के लिए स्वीकार्य प्रशासनिक और प्रबंधकीय लागत में से पूरा किया जाएगा। यह पीएमयू एमबीए, सनद-लेखाकार, लेखा और तकनीकी विशेषज्ञ आदि जैसे कुशल व्यावसायिकों के अपने समूह के माध्यम से राज्य में राष्ट्रीय आयुष मिशन के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। सभी नियुक्तियां संविदात्मक आधार पर होंगी और केंद्रीय सरकार का दायित्व <u>मिशन अवधि के लिए वेतन शीर्ष पर प्रशासनिक और प्रबंधन लागत के लिए स्वीकार्य केंद्रीय योगदान तक ही सीमित होगा।</u>

6.3 पीएमयू का ढांचा और आवेदन प्रपत्र संलग्नक–I(क) और संलग्नक–I(ख) में दिया गया है।

6.4 पीएमयू की जनशक्ति लागत के अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, आकस्मिकता जैसी प्रशासनिक लागत और उपकरणों एचएमआईएस के कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा प्रत्येक घटक के अंतर्गत संबंधित कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण सहित अवसंरचना की वार्षिक अनुरक्षण लागत, लेखा परीक्षा, निगरानी एवं मूल्यांकन, परियोजना तैयार करने के लिए परामर्शदात्री सेवाएं और आयुष अस्पतालों एवं औषधालयों के

लिए अतिरिक्त जनशक्ति हेतु वित्तीय सहायता ले सकते हैं। मिशन के अंतर्गत राज्य के लिए उपलब्ध निवल निधियों का कुल 4% राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक लागत के लिए निर्धारित है।

7. संसाधन आवंटन रूपरेखा:

7.1 <u>आयुष सेवाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और एएसयू एवं एच औषधों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण:-</u>

विशेष श्रेणी राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर के तीन पहाड़ी राज्यों) के लिए सहायता अनुदान घटक भारत सरकार से 90 प्रतिशत होगा और शेष 10 प्रतिशत स्कीम के अंतर्गत सभी घटकों के प्रति राज्य योगदान से किए जाने का प्रस्ताव है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सहभाजन स्वरूप 75%:25% होगा।

7.2 <u>औषधीय पादप के लिए:</u> इस घटक के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित किया जाएगा जबकि अन्य राज्यों में केन्द्र और राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में इसे साझा किया जाएगा।

7.3 मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से राज्यों को संसाधन पूल निम्नलिखित के आधार पर निर्धारित किया जाएगा:

i. ईएजी राज्यों, द्वीपीय संघ राज्य क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों के लिए गुणा कारक के रूप में 2 के साथ 70% अधिभार सहित जनसंख्या
ii. प्रति व्यक्ति आय के परोक्षी सूचक के आधार पर निर्धारित किया गया पिछड़ापन जिसका 15% अधिभार होगा।
iii. पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लंबित और देय उपयोगिता प्रमाण पत्रों के व्यतुक्रमानुपात प्रतिशत पर निर्धारित निष्पादन जिसका 15% अधिभार होगा।

7.4 राष्ट्रीय आयुष मिशन के घटकों में कुछ मुख्य कार्यकलाप होंगे जो आवश्यक हैं और अन्य कार्यकलाप वैकल्पिक होंगे। मुख्य/आवश्यक मदों के लिए राज्य को आवंटित संसाधन पूल का 80% प्रयोग किया जा सकता है। वैकल्पिक मदों के लिए राज्यों को आवंटित

संसाधन पूल का शेष 20% नम्य रूप से इस प्रतिबंध से प्रयोग किया जा सकता है कि संसाधन पूल का यह 20% किसी भी मद पर खर्च किया जा सकता है बशर्ते किसी भी घटक पर निधियों का 5% से अधिक खर्च न किया गया हो।

7.5 केंद्र योगदान के प्रति निर्मुक्त राशि निम्नानुसार होगी:-

पात्र केंद्र योगदान – (पिछले वर्षों में निर्मुक्त सहायतानुदान की खर्च न की गई शेष राशि + प्रोद्भूत ब्याज)

8. उपयोगिता प्रमाण पत्र:-

अनावर्ती अनुदानों के संबंध में आगामी सहायतानुदान की संस्वीकृति के उद्देश्य से वह प्रयोजन जिसके लिए अनुदान संस्वीकृत किया गया था, के लिए प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोगिता का प्रपत्र जीएफआर 19- ए में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवर्ती अनुदान के संबंध में, आगामी वर्षों में सहायतानुदान की निर्मुक्ति पिछले वित्तीय वर्ष के अनुदानों के संबंध में अनंतिम आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही की जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष की संस्वीकृत कुल राशि की 75% से अधिक सहायतानुदान की निर्मुक्ति पिछले वर्ष में निर्मुक्त सहायतानुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र और वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही की जाएगी।

9. निधियों का प्रवाह:-

वित्तीय वर्ष 2014-15 से सहायतानुदान राजकोष के माध्यम से राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया जाएगा और राज्य सरकारों से राज्य योगदान सहित राज्य आयुष सोसाइटी को निधियां हस्तांतरित की जाएंगी। तथापि, वतर्मान वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सहायतानुदान मौजूदा स्वरूप के अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा।

10. राज्यों द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना तैयार करना:-

10.1 2014-15 से निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:

1. आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा अस्थायी राज्य आवंटन का उल्लेख - 31 दिसम्बर।
2. सुमेलित राज्य योगदान सहित राज्य सरकार द्वारा बजटीय प्रावधान - 31 मार्च।

3. राज्य आयुष सोसाइटी की कार्यकारी समिति द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना तैयार करना - 30 अप्रैल।
4. आयुष विभाग, भारत सरकार में राज्य वार्षिक कार्ययोजना की प्राप्ति - मई का पहला सप्ताह।

10.2 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र **संलग्नक-II** में दिए गए प्रारूप के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे।

11. निगरानी और मूल्यांकन:

11.1 केंद्र/राज्य स्तर पर एक समर्पित एमआईएस निगरानी एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। अत: राष्ट्रीय स्तर पर तीन एचएमआईएस प्रबंधकों और राज्य स्तर पर एक एचआईएमएस प्रबंधक सहित स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है।

11.2 कार्यान्वयन प्रगति और बाधाएं तथा सुधार की गुंजाइश जानने के लिए आयुष मिशन का एक समवर्ती मूल्यांकन किया जाएगा। मिशन के क्रियान्वयन के 2 वर्ष के बाद तृतीय पक्ष मूल्यांकन भी किया जाएगा।

12. अपेक्षित परिणाम:

क. उन्नयनीकृत शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि के जरिए आयुष शिक्षा में सुधार।

ख. आयुष अस्पतालों और औषधालयों की संख्या, औषधों और जनशक्ति की उपलब्धता में वृद्धि और निवारक एवं संवर्धनात्मक पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हुए आयुष सेवाओं तक बेहतर पहुंच।

ग. आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए गुणवत्तायुक्त कच्ची सामग्री की सतत उपलब्धता।

घ. भेषजियों, औषध प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि और एएसयू एवं एच औषधों के बेहतर प्रवर्तन तंत्र के जरिए गुणवत्तायुक्त एएसयू एवं एच औषधों की बेहतर उपलब्धता।

संलग्नक-I (क)

<u>राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत सहायक सुविधाएं</u>

क केंद्रीय कार्यक्रम प्रबंधन एकांश:

क्र.सं.	**पद***	**संख्या**
1	कार्यक्रम प्रबंधक	4
2	वरिष्ठ परामर्शदाता	9
3	कनिष्ठ परामर्शदाता	4
4	वित्त प्रबंधक	4
5	लेखा प्रबंधक	4
6	एचएमआईएस प्रबंधक	3
7	निगरानी एवं मूल्यांकन परामर्शदाता	2
8	लेखाकार	2
8	डाटा सहायक	10
9	कार्यालय सहायक	2
10	संदेशवाहक/सहचर	5

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय पीएमयू के लिए कार्यालय एवं प्रशासन, यात्रा व्यय, बैठकें एवं संगोष्ठियां, जागरुकता निधि भी रखी जाती है।

ख. **राज्य स्तर** :

(i) संघ राज्य क्षेत्र के लिए पीएमयू

क्र.सं.	**पद***	**संख्या**
1	कार्यक्रम प्रबंधक	1
2	परामर्शदाता	2

(ii) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पीएमयू

क्र.सं.	**पद***	**संख्या**
1	कार्यक्रम प्रबंधक	1
2	परामर्शदाता (एचएमआईएस के लिए एक)	2
3	वित्त प्रबंधक	1

(iii) अन्य राज्यों के लिए पीएमयू

क्र.सं.	**पद***	**संख्या**

1	कार्यक्रम प्रबंधक	1
2	परामर्शदाता	2
3	वित्त प्रबंधक	1
4	लेखा प्रबंधक	1
5	एचएमआईएस प्रबंधक	1
6	डाटा-एंट्री-ऑपरेटर	1

इसके अतिरिक्त, राज्य पीएमयू के लिए कार्यालय एवं प्रशासन, यात्रा व्यय और आकस्मिकता के लिए निधि भी रखी जाती है।

* टिप्पण:- एनएएम के अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रस्तावित पदों में उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए समग्र सीमा के भीतर नम्यता का प्रावधान होगा।

संलग्नक-I (ख)

राज्य में सहायक सुविधाएं सृजित करने के लिए प्रस्ताव निम्नलिखित प्रपत्र, जो कि राज्य वार्षिक कार्य योजना का भाग होगा, में प्रस्तुत किया जाएगा।

1. स्थापित की जाने वाली सुविधा: पीएमयू

2. एकांश का स्थान

3. राज्य स्तर पर एकांश के लिए अपेक्षित अवसंरचना सहायता:

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	**घटक**	**एकांश लागत**	**संख्या**	**कुल लागत**
1	जनशक्ति			
1 (क)	कार्यक्रम प्रबंधक			
1 (ख)	परामर्शदाता			
1 (ग)	वित्त प्रबंधक			
1 (घ)	लेखा प्रबंधक			
1 (ड.)	एचएमआईएस प्रबंधक			
1 (च)	डाटा एंट्री आपरेटर			
2	कार्यालय एवं प्रशासन व्यय			
3	यात्रा व्यय			
4	आकस्मिकता (आवर्ती)			
5	अन्य (उल्लेख करें)			
कुल वित्तीय विवक्षा				

संलग्नक-II

राज्य वार्षिक कार्य योजना के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा सिफारिश:

1.वित्तीय सहायता की संस्वीकृति के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजना की जांच…………………..... कार्यालय द्वारा की गई।

2. राज्य वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने ……….……………….............. ………………रु.(………………………………रुपये) के अनुदान की अनुशंसा की।

3. उस प्रयोजन के लिए अनुदान दी जा रही है जो आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसरण में है।

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

(i) राज्य सरकार ने पिछले 3 वर्षों के लिए लेखों के लेखा परीक्षित विवरण की जांच कर ली है और संतुष्ट है कि उनकी वित्तीय स्थिति उनके द्वारा मांगा गया सहायतानुदान और उनके द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पिछले सभी अनुदान उन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए गए हैं जिनके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे।

(ii) सुविधा अथवा उसके पदाधिकारियों/स्टॉफ के विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं है जो इसे भारत सरकार से सहायतानुदान प्राप्त करने के लिए अयोग्य बनाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान अथवा उसके पदाधिकारी किसी भ्रष्टाचार मामले और अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हैं।

(iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुदान के लिए अपने आवेदन में दी गई सूचना सभी पहलुओं में सच्ची और सही है।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पूर्व में प्राप्त अनुदान यदि कोई हों, के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं।

(v) सुमेलित योगदान पूरा करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बजट में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है।

(क) आयुष सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान और एएसयू एवं एच औषधों का गुणवत्ता नियंत्रण:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योगदान को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के मामले में 10% और अन्य शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 25% ।

(क) औषधीय पादप: पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी राज्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 100% योगदान जबकि अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र और राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में इसे साझा किया जाएगा।

दिनांक…..………. .

भारत सरकार के सचिव के मुहर सहित हस्ताक्षर

राष्ट्रीय आयुष मिशन

प्रचालन दिशानिर्देश

आयुष सेवाएं

सत्यमेव जयते
Government of India

आयुष विभाग
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

1. उद्देश्य

आयुष सेवाओं का मुख्य उद्देश्य आयुष अस्पतालों एवं औषधालयों के उन्नयन, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों में आयुष सेवाओं का सह-स्थापन और 50 बिस्तर तक एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के जरिए आयुष के मुख्य सक्षम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके लागत प्रभावी आयुष सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के क्षेत्र विस्तार में वृद्धि करना है।

2. राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष सेवाओं के घटक

राज्य/संघ राज्य सरकारों से निम्नलिखित के लिए सहायतानुदान प्रदान किया जाएगा:

2.1 **<u>मुख्य/आवश्यक कार्यकलाप-</u>**

I. सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों में आयुष सेवाओं की सह-स्थापना।
II. मौजूदा सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन
III. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन
IV. 50 बिस्तर तक एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना
V. केंद्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन एकांशों जैसी सहायक सुविधाएं।
VI. आयुष अस्पतालों एवं औषधालयों को आवश्यक औषधों की आपूर्ति
VII. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने संबंधी कार्यकलाप
VIII. राज्य और जिला स्तर पर चल सहायता
IX. व्यवहार परिवर्तन संचार/सूचना शिक्षा और संचार
X. स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम

2.2 <u>नम्य पूल के अंतर्गत कार्यकलाप:-</u>

I. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्र
II. टेली मेडिसिन
III. आयुष के माध्यम से खेल चिकित्सा
IV. सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित आयुष को मुख्यधारा में लाने पर नवाचार

2.1 मुख्य/आवश्यक कार्यकलाप:-

I- <u>सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों में आयुष सेवाओं की सह-स्थापना</u>:

I (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष ओपीडी क्लीनिकों की स्थापना

i एक मुश्त अनुदान

मौजूदा परिसर, फर्नीचर, उपस्कर, उपकरणों आदि के विस्तार/परिवर्तन के लिए 20.00 लाख रुपये तक, बशर्ते मौजूदा परिसर के विस्तार/परिवर्तन पर व्यय कुल राशि का 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ii आवर्ती अनुदान

एकमुश्त आकस्मिक निधि के रूप में 0.30 लाख रुपये प्रति वर्ष।

औषधों, औषधियों, आहार और अन्य उपभोज्य पदार्थों के प्रापण के लिए 3.00 लाख रुपये प्रति वर्ष।

I (ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष आईपीडी की स्थापना

i एक मुश्त अनुदान

मौजूदा परिसर, फर्नीचर, उपस्कर, उपकरणों आदि के विस्तार/परिवर्तन के लिए 30.00 लाख रुपये तक, बशर्ते मौजूदा परिसर के विस्तार/परिवर्तन पर व्यय कुल संस्वीकृत राशि का 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ii आवर्ती अनुदान

एकमुश्त आकस्मिक निधि के रूप में 0.50 लाख रुपये प्रति वर्ष।

औषधों, औषधियों, आहार और अन्य उपभोज्य पदार्थों के प्रापण के लिए 5.00 लाख रुपये प्रति वर्ष।

I (ग) जिला अस्पतालों में आयुष स्कंधों की स्थापना

i एक मुश्त अनुदान

मौजूदा परिसर, फर्नीचर, उपस्कर, उपकरणों आदि के विस्तार/परिवर्तन के लिए 40.00 लाख रुपये तक, बशर्ते मौजूदा परिसर के विस्तार/परिवर्तन पर व्यय कुल राशि का 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ii आवर्ती अनुदान

एकमुश्त आकस्मिक निधि के रूप में 0.70 लाख रुपये प्रति वर्ष।

औषधों, औषधियों, आहार और अन्य उपभोज्य पदार्थों के प्रापण के लिए 5.00 लाख रुपये प्रति वर्ष।

II. आयुष अस्पतालों और औषधालयों को आवश्यक औषधों की आपूर्ति

आवश्यक औषधों (आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी) के लिए 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष।
आवश्यक औषधों (होम्योपैथी) के लिए 1.00 लाख रुपये प्रति वर्ष।

III. उत्कृष्ट/एकमात्र सरकारी अस्पतालों का उन्नयन (पीएचसी/सीएचसी/डीएच को छोड़कर)

राज्य सरकार/जिला परिषद के अधीन मौजूदा आयुष अस्पतालों के उन्नयन और सुधार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

i. एक मुश्त अनुदान

मौजूदा परिसर, फर्नीचर, उपस्कर, उपकरणों आदि के निर्माण, नवीकरण के लिए 75.00 लाख रुपये तक, बशर्ते मौजूदा परिसर के विस्तार/परिवर्तन पर व्यय कुल राशि का 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ii आवर्ती अनुदान (प्रतिवर्ष)

एकमुश्त आकस्मिक निधि के रूप में 0.70 लाख रुपये प्रति वर्ष।

औषधों, औषधियों, आहार और अन्य उपभोज्य पदार्थों के प्रापण के लिए 4.50 लाख रुपये प्रति वर्ष।

iii राज्य निम्नलिखित कार्मिकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार संलग्न कर सकता है और स्थानीय मानदंडों के अनुसार वेतन दिया जा सकता है:

क. स्नातकोत्तर अर्हता वाले आयुष विशेषज्ञ - 2 (दो)

ख. आयुष चिकित्सा अधिकारी-1 (एक)

ग. आयुष फार्मासिस्ट - 2 (दो)

घ. अर्द्ध चिकित्सा स्टॉफ-मालिश वाला-2 (दो),

ङ. क्षार सूत्र सहचर-1/ स्त्री रोग सहचर-1/इलाज-बिद-तदबीर सहचर/थोक्कनम सहचर-1/होम्योपैथी सहचर-1/योग सहचर-1

iv बशर्ते पहले से कार्यरत कार्मिकों को ध्यान में रखकर अतिरिक्त कार्मिकों की आवश्यकता का आकलन और अनुमान किया जाएगा। सभी नियुक्तियां संविदात्मक आधार पर होंगी और केंद्रीय सरकार का दायित्व मिशन अवधि के लिए वेतन शीर्ष पर प्रशासनिक और प्रबंधन लागत के लिए स्वीकार्य केंद्रीय योगदान तक ही सीमित होगा।

IV. सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन

i <u>एक मुश्त अनुदान</u>

मौजूदा परिसर, फर्नीचर, उपस्कर, उपकरणों आदि के निर्माण, नवीकरण के लिए 20.00 लाख रुपये तक, बशर्ते मौजूदा परिसर के विस्तार/परिवर्तन पर व्यय कुल राशि का 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ii <u>आवर्ती अनुदान (प्रतिवर्ष)</u>

एकमुश्त आकस्मिक निधि के रूप में 0.10 लाख रुपये प्रति वर्ष

V. <u>50 बिस्तर तक एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना:</u>

i <u>एक मुश्त अनुदान</u>

स्टाफ क्वार्टर, फर्नीचर, उपस्कर, उपकरणों आदि के लिए एकमुश्त प्रावधान सहित निर्माण के लिए 900.00 लाख रुपये तक, बशर्ते मौजूदा परिसर के विस्तार/परिवर्तन पर व्यय कुल राशि का 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ii **<u>आवर्ती अनुदान (प्रतिवर्ष)</u>**

औषधियों, औषधों और अन्य उपभोज्य पदार्थों के लिए 30.00 लाख रुपये प्रति वर्ष
वेतन के लिए 120.00 लाख रुपये प्रति वर्ष

iii जनशक्ति और अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएं संलग्नक- IV में दी गई हैं।

iv जनशक्ति की नियुक्ति पहले से कार्यरत कार्मिकों को ध्यान में रखकर अतिरिक्त कार्मिकों की आवश्यकता के आकलन और अनुमान के अधीन होगी। सभी नियुक्तियां संविदात्मक आधार पर होंगी और केंद्रीय सरकार का दायित्व मिशन अवधि के लिए वेतन शीर्ष पर स्वीकार्य केंद्रीय योगदान तक ही सीमित होगा।

<u>VI. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने संबंधी कार्यकलाप:</u>

i. पोषण संबंधी कमियों, महामारी और वेक्टरजनित रोगों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या आदि से होने वाली सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के निपटान में आयुष शक्तियों के संबंध में जागरुकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव है। इस घटक का उद्देश्य औषधियों के वितरण, स्वास्थ्य जागरुकता शिविरों आदि के आयोजन द्वारा जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए प्रामाणिक आयुष उपचारों के क्रियान्वयन और साथ ही आयुष विभाग के अभिनिर्धारित राष्ट्रीय अभियानों जैसे जरा-चिकित्सा अभियान, रक्ताल्पता रोधी अभियान आदि के लिए राज्य सरकार के उपायों को सहायतानुदान प्रदान करना है। यह भी प्रस्ताव है कि जहां आयुष एकांश उपलब्ध हैं वहां आयुष शैक्षणिक संस्थानों, एकमात्र आयुष सुविधाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को संबद्ध किया जाए ताकि सतत रूप में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संदर्भित समाज के स्वास्थ्य पहलुओं से निपटने के लिए एक संदर्भ तंत्र बनाया जा सके।

ii <u>उद्देश्य</u>:

क. विशिष्ट निर्धारित समयावधि के दौरान चयनित भौगोलिक क्षेत्र में संचारी अथवा गैर-संचारी या दोनों तरह के मामलों में रोग अधिभार की घटनाओं को कम करना।

ख. क्षेत्र में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वच्छता, आहार आदतों, रोकथाम और संवर्धन इत्यादि के महत्व के बारे में जनता को **जागरूक** करना।

ग. प्रकोप की शुरूआती पहचान के लिए एक **समुदाय आधारित निगरानी प्रणाली (सीबीएसएस)** स्थापित करना।

घ. विशेष भौगोलिक क्षेत्र में वास करने वाली जनसंख्या के आयुष उपचारों की सुलभता में वृद्धि करना।

iii <u>कार्यनीति</u>:

क. उस भौगोलिक क्षेत्र से क्रियाकलापों के लिए विशिष्ट प्रारूपों का निरूपण। कार्यान्वयन की ईकाई का आकार 2 ब्लॉक होंगे।

ख. स्वास्थ्य शिक्षा समूह का निरूपण और प्रशिक्षण:

1. स्वास्थ्य पेशेवरों, शिक्षकों, लोक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और इलाके के स्थानीय स्व-सरकारी विभागों (एलएसजीडी) से नामांकित व्यक्तियों से मिलाकर एक स्वास्थ्य शिक्षा समूह का गठन किया जाए और पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए।
2. यह प्रशिक्षित स्वास्थ्य शिक्षा समूह व्यवहार परिवर्तन संचार तकनीकों के माध्यम से समुदाय मध्यस्थता का कार्य हाथ में ले।
3. इस प्रशिक्षित स्वास्थ्य समूह का उपयोग पंचायत के प्रत्येक विभाग, शिक्षण संस्थाओं इत्यादि में तथा त्यौहार जैसे अपार भीड़ वाले विशेष अवसर इत्यादि के दौरान कार्यक्रमानुसार नियमित स्वास्थ्य शिक्षा कक्षाओं के संचालन में हो।
4. इन स्वास्थ्य कक्षाओं में वीडियो, पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण और पर्चे इत्यादि शामिल हैं।
5. फील्ड स्टाफ का चयन और प्रशिक्षण।
6. समुदाय आधारित निगरानी तंत्र के लिए सार्वजनिक हस्तक्षेप और आंकड़ा संग्रहण हेतु प्रशिक्षण दिया जाए।
7. परियोजना के अन्य हिस्सेदार नामत: स्थानीय स्वास्थ्य प्रदाताओं, स्थानीय नेताओं, स्थानीय स्व-सरकार और क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की सहमति से स्वास्थ्य स्वच्छता मुहीम चलाएं।
8. अध्ययन क्षेत्र स्वच्छता और रोगवाहक नियंत्रण उपायों के जन महत्व के बारे में 100% जन **जागरूकता** प्राप्त करना।

iv <u>चिकित्सा शिविर</u> – परियोजना के एक हिस्से के रूप में चिकित्सा शिविरों को या तो सामान्य स्वास्थ्य शिविरों अथवा किसी विशेष उद्देश्य के लिए आयोजित किया जाए। जनता को संचारी

रोगों से लड़ने के लिए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर उनके सामान्य स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए आयुष औषधियां प्रदान की जा सकती हैं।

v <u>परिधीय बहिरंग रोगी विभाग</u>**:** परिधीय ओपीडी में एक चिकित्सक, फार्मासिस्ट और फील्ड कार्यकर्ताओं युक्त एक चिकित्सक दल उपस्थित हो। यह दल नियमित अंतराल पर ओडीडी में उपस्थित रहेगा।

vi <u>परियोजना मूल्यांकन</u> (तिमाही)- तिमाही मूल्यांकन रिपोर्ट आयुष विभाग को भेजी जाएगी।

vii जन स्वास्थ्य पहुंच संबंधी गतिविधियों हेतु प्रत्येक जिले के लिए 2 ब्लॉकों की प्रत्येक ईकाई को 5.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

VII. <u>व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी)</u>

i देश का रोग-अधिभार संचारी रोगों से हटकर गैर संचारी रोगों की ओर जा रहा है। सभी गैर संचारी रोग जो सामान्यत: जीवन शैली में आए बदलावों और अपौष्टिक आहार के कारण उभर रहे हैं, के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है प्रारंभिक रोकथाम और पता लगाना। रोगी और पर्यावरण तथा आहार कारकों पर विचार करते हुए रोग रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन तथा विशिष्ट उपचारों के सुस्थापित सिद्धांतों के साथ आयुष चिकित्सा पद्धतियां फल-फूल रही हैं।

ii पौष्टिक आहार और जनता द्वारा अपनाए जाने वाली जीवन शैली के उन्नयन के माध्यम से रोगों की जल्द रोकथाम में आयुष क्षमताओं को मास मीडिया संचार रणनीति में शामिल करने की राज्य वकालत करेंगे जिसके लिए आयुष फ्लेक्सीपूल के तहत पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रस्तावित है। व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी)/आईईसी क्रियाकलापों के लिए प्रत्येक राज्य को प्रतिवर्ष 20.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

VIII. <u>गतिशीलता समर्थन</u>:

i मिशन के तहत परिकल्पित परिणामों की सफलता के केवल नियमित और व्यवस्थित निगरानी से ही नतीजे निकल सकते हैं। इसलिए, आवश्यक निगरानी क्रियाकलाप आयोजित

करने के लिए राज्य और जिला पदाधिकारियों को समिति संचालन सहायता के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। तथापि, वाहन खरीदने की अनुमति नहीं है।

ii राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 5.00 लाख रुपये तथा जिला स्तर पर प्रतिवर्ष 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

IX. <u>आयुष ग्राम</u>:

i आयुष ग्राम एक अवधारणा है जिसमें प्रति ब्लॉक एक गांव को आयुष जीवन शैली के तरीकों व अभ्यास को अपनाने तथा स्वास्थ्य परिचर्या के उपचारों के लिए चयनित किया जाएगा। आयुष ग्राम के आयुष आधारित जीवन शैली का प्रचार व्यवहार परिवर्तन सूचना, स्थानीय औषधीय जड़ी-बूटियों की पहचान और उपयोग के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और आयुष स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से किया जाता है। चयनित ग्राम प्रतिनिधियों को इस अवधारणा के प्रति संवेदनशील किया जाता है ताकि समुदाय की तरफ भी सक्रिय भागीदारी हो सके।

ii <u>उद्देश्य:</u>

क. आयुष चिकित्सा पद्धतियों में वर्णित उन आहार आदतों तथा जीवन शैलियों के अभ्यास हेतु समुदाय के भीतर जागरूकता फैलाना जिससे रोगों की रोकथाम करने तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिले।

ख. लोगों को उन जड़ी-बूटियों के संरक्षण तथा खेती के लिए उनकी औषधीय गुणों की व्याख्या करके सलाह देना जो उनके आसपास मिलती है।

ग. लोगों को उनके क्षेत्र में पाई जाने वाली जड़ी-बूटियों के प्रयोग के माध्यम से सामान्य रोगों तथा इनके इलाज के बारे में सलाह देना।

घ. संचारी रोगों यथा मलेरिया, टी.बी. और डायरिया इत्यादि के विरूद्ध अभियान चलाना तथा उनकी रोकथाम और उपचार के लिए उपाय करना।

iii <u>कार्यनीतियां</u>:

आयुष चिकित्सा अधिकारी इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को औषधीय पादपों की पहचान तथा घरेलु नुस्खों के उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। ये स्वास्थ्यकर्ता गांव के स्वास्थ्य स्तर का रिकार्ड और स्वास्थ्य पंजिका रखेंगे

तथा गांवों में वार्डों के स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों की जानकारी प्रदान करेंगे। वह क्षेत्र में औषधीय जड़ी-बूटियों की पहचान करेगा ताकि इनका उपयोग और सुरक्षा सुनिश्चित हो। औषधीय पादप बोर्ड के सदस्य किसानों को औषधीय पादपों की खेती के लिए प्रेरित करेंगे तथा औषधीय पादपों की खेती के लिए आवश्यक जानकारी व सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रोग्राम में शामिल स्वयं सहायता समूह घरेलु नुस्खों के रूप में औषधीय मिश्रणों को तैयार करेंगे तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं हेतु इनका उपयोग करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। गांव के पारंपरिक चिकित्सकों को भी औषधीय पादपों तथा घरेलु नुस्खों के रूप में उनके उपयोग की पहचान करने के लिए शामिल किया जाएगा।

iv प्रोग्राम के तहत आयुष औषधालयों के परिक्षेत्र में योग शिविरों का अयोजन तथा औषधीय जड़ी-बूटियां उगाने का कार्य भी किया जाए। जागरूकता शिविर के एक हिस्से के रूप में मौसमी बीमारियों की जानकारी और उनकी रोकथाम तथा नुक्कड़ नाटकों इत्यादि के माध्यम से सांस्कृतिक क्रियाकलाप आयोजित किए जाएंगे।

v आयुष चिकित्सा अधिकारी अन्य स्टाफ के साथ प्रसवपूर्व देखभाल, प्रसवोपरांत देखभाल, शिशु देखभाल के साथ स्तनपान, टीकाकरण, संचारी रोगों, वृद्धावस्था देखभाल इत्यादि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सहायता करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में योगदान देंगे। ये आयुष चिकित्सा अधिकारी स्कूलों में तथा चुनिंदा गांवों के आसपास स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित करेंगे। आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्कूल अध्यापकों को आयुष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों के माध्यम से जागरूकता निर्माण क्रियाकलाप आयोजित किए जाएंगे जिनमें स्कूलों, आंगनबाडियों स्वयं सहायता समूहों और अन्य सामुदायिक संगठनों को शामिल किया जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नजदीक वाले गांवों को चयनित किया जाएगा जो रोग से जुड़े हुए हैं। पीएचसी/आयुष सुविधाओं के माध्यम से बीमार लोगों के लिए उपचार प्रदान किया जाएगा।

vi इस संपूर्ण क्रियाकलाप के रिकार्ड का रखरखाव तथा मॉनिटरिंग एक जिला आयुष अधिकारी करेगा जो राज्य मुख्यालय को आंकड़े प्रेषित करेगा।

vii एक राज्य में 5 से लेकर 15 गांवों में 10,000 की आबादी को शामिल करते हुए प्रति इकाई 10.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता।

X. आयुष के माध्यम से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम:

i आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवाओं तक सहज पहुंच उपलब्ध कराना एक सरल और किफायती साधन है जिससे संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में बड़ी मदद मिल सकती है। आयुष के माध्यम से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का केन्द्र बिंदु योग और परामर्श सहित आयुष सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से स्कूली बच्चों की शारीरिक और मानसिक दोनों आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित घटक हैं:

क. आयुष स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा।

ख. घरेलु उपचारों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध औषधीय पादपों तथा गृह उद्यानों में फलते-फूलते औषधीय पादपों पर शिक्षा।

ग. योगाभ्यास।

घ. यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों पर शिक्षा।

ङ. स्वास्थ्य जांच:- सामान्य समस्याओं जैसेकि दृश्य और श्रव्य समस्याएं, शारीरिक विकलांगता, साधारण त्वचा की समस्याएं और सीखने की असमर्थता इत्यादि का जल्दी पता लगाना और प्रबंधन।

च. पोषण, रक्ताल्पता, कृमि संक्रमण प्रबंधन।

छ. विकास और प्रसार।

ज. स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्थानीय उपचार क्रिया के साथ रेफरल संयोजन उपचारात्मक और निवारक उपाय के लिए आयुष मेडिकल कॉलेजों अथवा आयुष अस्पतालों के साथ रेफरल संयोजन भी किया जा सकता है। आयुष स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए नोडल शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए।

ii किसी राज्य के लिए 2 ब्लॉकों की प्रति ईकाई को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए चुना जाएगा।

2.2 नम्य पूल के तहत क्रियाकलाप:-

I. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा* सहित आयुष स्वास्थ्य केन्द्र।

II. टेली-मेडिसिन।

III. आयुष के माध्यम से खेल चिकित्सा।

IV. सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित आयुष को मुख्यधारा में लाने पर नवाचार।

** योग स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभिक साज समान के लिए 0.6 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता के पात्र हैं तथा श्रमशक्ति, रखरखाव इत्यादि के लिए प्रतिवर्ष 5.4 लाख रुपए की आवर्ती सहायता के पात्र हैं और 20-30 बिस्तर वाले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल 15 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता के पात्र हैं (श्रमशक्ति सहित आवर्ती सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 12 लाख रुपए तथा उपचार उपकरणों के लिए 3 लाख रुपए क एकमुश्त अनावर्ती सहायता) तथापि, किसी भी घटक पर नियत निधि का 5% अधिक खर्च न करने की व्यवस्था की शर्त इस घटक पर लागू नहीं होगी।*

2.3 ऊपर वर्णित क्रियाकलापों के लिए राज्यों को आबंटित संसाधन पूल का शेष 20% घट-बढ़ तरीके से इस बाध्यता के साथ उपयोग किया जा सकता है कि संसाधन पूल के इस 20% को किसी भी मद पर इस सीमा तक खर्च किया जा सकता है कि नियत निधि का 5% से अधिक किसी भी घटक पर खर्च न हो।

3. वित्तीय सहायता का सामान्य स्वरूप:

मिशन के विभिन्न घटकों के तहत सहायता का स्वरूप निम्नानुसार होगा:

(i) विभिन्न घटकों का वित्तपोषण राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के आधार पर किया जाएगा। इन घटकों के लिए वित्तीय सहायता निर्धारित सीमा के अध्यधीन, वास्तविक आवश्यकता के लिए सीमित होगी।

(ii) केन्द्र सरकार स्वीकार्य सहायता का 75% सहायता अनुदान के रूप में प्रदान करेगी तथा शेष 25% राशि का वहन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा, सिवाय पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड पहाड़ी राज्यों के, जहां पर केन्द्र का हिस्सा 90% होगा और शेष 10% का वहन राज्यों द्वारा किया जाएगा।

(iii) राज्य सरकारों को वित्तीय वर्ष 2014-15 से राजकोषीय मार्ग के माध्यम से मिशन के तहत स्वीकार्य वित्तीय सहायता हस्तांतिरत की जाएंगी जिसके बदले में राज्य अपने हिस्से के साथ राज्य आयुष सोसाइटियों को निधियां हस्तांतरित करेगा।

4. सामान्य नियम एवं शर्तें

i) मिशन के तहत, राज्य की वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) में किए गए प्रस्ताव के अनुसार आयुष स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के साथ-साथ लचीले

घटकों को बढ़ावा देने के लिए निर्दिष्ट घटकों हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

ii) विभिन्न घटकों का निधियन अंतर खत्म करने के लिए किया जाएगा। घटक को वित्तीय सहायता उपरोक्त निर्धारित सीमा के अध्यधीन वास्तविक आवश्यकताओं तक सीमित होगी।

iii) राज्य वार्षिक कार्य योजना को अपेक्षित सूचना विवरण सहित अनुलग्नकों के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना होगा।

iv) वर्ष के दौरान राशि का आंशिक या पूर्ण उपयोग न कर पाने की स्थिति में अनुदानग्राही संगठन वित्तीय वर्ष में राशि का उपयोग करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा जिसका तत्संबंधी ब्यौरा जांच समिति को निर्णय करने के लिए प्रस्तुत करने हेतु विभाग को सूचित किया जाएगा।

v) **अनुदानग्राही संगठन को कार्य की वास्तविक प्रगति, आयुष ईकाई में रोगियों/आगन्तुकों की संख्या, रोग विशेष की यूनिट से प्रदत्त स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की ग्रहणशीलता और स्वीकार्यता स्पष्ट करते हुए तिमाही रिपोर्ट के साथ प्रासंगिक दस्तावेजों सहित व्यय की वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करनी होगी।** विभाग की संतुष्टि के लिए समय-समय पर इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद पश्चातवर्ती अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी।

vi) क) मिशन के कार्यान्वयन के आवश्यक औषधों और दवाओं को आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के लिए आवश्यक औषध सूची (ईडीएल) से अधिप्राप्त करना होगा।

ख) आयुष औषधियों और दवाईयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्परिशन लिमिटेड (भारत सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम) से अथवा राज्य सरकारों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अपनी स्वयं की विनिर्माण ईकाईयों में निर्माण करने तथा सुव्यवहार (जीएमपी) का अनुपालन करने वाले सहकारिता संस्थानों से प्राप्त औषधियों के लिए कम से कम 50% प्रदत्त अनुदान का उपयोग किया जाना चाहिए।

ग) आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और

होम्योपैथी की आवश्यक औषध सूची के अनुसार और वैध विनिर्माण अनुज्ञप्ति धारक अन्य उत्तर विनिर्माण व्यवहार (जीएमपी) वाली अनुपालना ईकाईयों से औषधियां प्राप्त करने के लिए मिशन के तहत प्रदत्त शेष अनुदान सहायता का उपयोग औषधियां खरीदने के लिए किया जा सकता है।

घ) वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित विभिन्न घटकों के तहत औषधि/आवश्यक औषधों के लिए मंजूर राशि में से प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि के लिए आवश्यक गैर औषधीय उत्पादों यथा मरहम-पट्टी उत्पादों के प्रयोजन हेतु कुल स्वीकृत राशि के पांच प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन होगा।

vii) नव-निर्मित भवन की मरम्मत और रखरखाव तथा अनुदान सहायता से खरीदे गए उपकरणों/यंत्रों के रखरखाव और अनुरक्षण सेवा के लिए पर्याप्त वार्षिक अनुरक्षण प्रावधान किए जाने चाहिए।

viii) अस्पताल में उचित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित होनी चाहिए।

ix) अस्पताल भवन में जल संचयन सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

x) यह भवन पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए और राज्यों की स्थानीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए।

आवेदन पत्र

संलग्नक- I

<u>आयुष सेवाएं</u>

भाग-I

1. राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम:

2. नाम, पदनाम और संपर्क व्यक्ति का पता, टेलीफोन न., फैक्स नं. और ई-मेल सहित:

3. प्रस्ताव का सार:

क. <u>महत्वपूर्ण/मूलभूत क्रियाकलाप:-</u>

i) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सह-स्थापन

क्र. सं.	केन्द्र	एकमुश्त सहायता की मांग करने वाली ईकाईयों की संख्या		आवर्ती सहायता के लिए मांग करने वाली ईकाईयों की संख्या			कुल राशि
		नई ईकाईयों की संख्या	राशि	नई ईकाईयों की संख्या	पूर्व सहायता प्राप्त ईकाईयों की संख्या	संचयी राशि	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 (5+6)**	**8 (4+7)**
1	पीएचसी						
2	सीएचसी						
3	डीएच						
	कुल						

(क) पीएचसी - विवरण: **1(क)** पर दिया जाना है
(ख) सीएचसी - विवरण: **1(ख)** पर दिया जाना है
(ग) डीएच - विवरण: **1(ग)** पर दिया जाना है

ii) अस्पताल/औषधालय के लिए औषध/औषधियां: कुल राशि

- विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दिया जाना है:

अस्पतालों के लिए : II (क)
औषधालयों के लिए : II (ख)

iii) मौजूदा आयुष अस्पतालों का उन्नयन कुल राशि

- विवरण प्रारूप में दिया जाना है: (III)

iv) मौजूदा आयुष औषधालयों का उन्नयन कुल राशि

- विवरण प्रपत्र में दिया जाना है: (IV)

v) 50 बिस्तर तक आयुष अस्पताल की स्थापना: कुल राशि

- विवरण प्रपत्र में दिया जाना है: (V)

vi) लोक स्वास्थ्य पहुंच गतिविधियां: कुल राशि

विवरण प्रपत्र में दिया जाना है: (VI)

vii) व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी)/आईईसी: कुल राशि

विवरण प्रपत्र में दिया जाना है: (VII)

viii) आयुष ग्राम: कुल राशि

विवरण प्रारूप में दिया जाना है: (VIII)

ix) स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम: कुल राशि

विवरण प्रारूप में दिया जाना है: (IX)

x) गतिशीलता समर्थन : कुल राशि

राज्य/जिला स्तर:

(विवरण अलग से दिया जाना है)

ख. नम्य घटक:- कुल राशि

क्र.सं.	घटक*	प्रति इकाई लागत	इकाईयां	कुल लागत
i	योग सहित आयुष के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र			
ii	टेली-मेडिसिन			
iii	सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित आयुष को मुख्यधारा में लाने पर नवाचार			
iv	आयुष के माध्यम से खेल चिकित्सा			
v	अन्य			

उपर वर्णित क्रियाकलापों के लिए राज्यों को आबंटित संसाधन पूल का शेष 20% भाग नम्य तरीके से इस बाध्यता के साथ उपयोग किया जा सकता है कि संसाधन पूल के इस 20% भाग को किन्हीं अन्य घटकों पर इस सीमा के साथ अनुमति दी जा सकती है कि अन्य किसी भी घटक पर समग्र सीमा का 5% से अधिक व्यय नहीं हो।

(*विवरण अलग से दिया जाना है)

5. राज्य वार्षिक कार्य योजना के तहत आयुष सेवा घटकों का **कुल योग**:

6. क्या किसी अन्य स्रोत से समान प्रकृति की अनुदान सहायता प्राप्त की है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:-

7. निधियों के उपयोग संबंधी दस्तावेजों और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी का नाम:

8. अन्य कोई प्रासंगिक सूचना:

सचिव/स्वास्थ्य आयुक्त के मुहर सहित हस्ताक्षर

प्रपत्र- I (क)

<table>
<tr><td></td><td colspan="12">प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए सहायता (पीएचसी)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">क्र. सं.</td><td>अवस्थिति</td><td colspan="2" rowspan="3">आयुष पद्धति की संस्थिती</td><td rowspan="5">ओपीडी में दैनिक औसत उपस्थिति</td><td colspan="3" rowspan="3">उपलब्ध सुविधाएं</td><td colspan="5" rowspan="3">अपेक्षित सहायता*</td></tr>
<tr><td>प्रखण्ड</td></tr>
<tr><td>उपखण्ड</td></tr>
<tr><td>जिला</td><td rowspan="2">वर्ष</td><td rowspan="2">विषय
(आयु. / होम्यो. /
यूनानी /
सिद्ध)</td><td colspan="2">स्टाफ</td><td>अवसंरचना/
उपकरण/
फर्नीचर</td><td colspan="2">अवसंरचना</td><td colspan="2">उपकरण/
फर्नीचर</td><td>दवा/
औषधि</td></tr>
<tr><td></td><td>एम.ओ.</td><td>सहायक स्टाफ</td><td></td><td>वास्तविक</td><td>वित्तीय</td><td>वास्तविक</td><td>वित्तीय</td><td>वित्तीय</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

प्रपत्र- I(ख)

	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए सहायता (सीएचसी)													
क्र. सं.	अवस्थिति उपखण्ड जिला	आयुष पद्धति का समेकन		ओपीडी में औसत उपस्थिति	ओपीडी में बिस्तरों की संख्या	आईपीडी (औसत बिस्तर उपलब्धता)	उपलब्ध सुविधाएं			अपेक्षित सहायता *				
		वर्ष	विषय (आयु./ होम्यो. / यूनानी / सिद्ध)				स्टाफ		अवसंरचना/ उपकरण/ फर्नीचर	अवसंरचना		उपकरण/ फर्नीचर		दवा/औषधि
							एम.ओ.	सहायक स्टाफ		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रपत्र- I (ग)

	जिला अस्पताल के लिए सहायता													
क्र. सं.	अवस्थिति जिला	आयुष पद्धतियों की संस्थिति यदि पहले से निर्मित है		ओपीडी में औसत उपस्थिति	बिस्तरों की संख्या	आईपीडी (औसत बिस्तर उपलब्धता)	उपलब्ध सुविधाएं			अपेक्षित सहायता *				
		वर्ष	विषय (आयु./ होम्यो./ यूनानी / सिद्ध)				स्टाफ		अवसंरचना/ उपकरण/ फर्नीचर	अवसंरचना		उपकरण/ फर्नीचर		दवा/औषधि
							एम.ओ.	सहायक स्टाफ		वास्विक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

* स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार राज्यों को श्रमशक्ति के अलावा पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों पर सह-स्थापना हेतु उन्हीं इकाईयों के लिए निधियां प्रदान नहीं करेगा।

प्रपत्र - II (क)

	आयुष अस्पताल को आवश्यक औषधि के लिए							
क्र. सं.	अवस्थिति जिला	ओपीडी में दैनिक औसत उपस्थिति	बिस्तरों की संख्या	आईपीडी (बिस्तरों की औषध उपलब्धता)	उपलब्ध सुविधाएं			अपेक्षित सहायता
					स्टाफ		उपलब्ध औषधि	दवा /औषधि
					एम.ओ.	सहायक स्टाफ		राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रारूप - II (ख)

आयुष औषधालयों को आवश्यक औषधि के लिए						
क्र.सं.	अवस्थिति खण्ड उपखण्ड जिला	औसत दैनिक ओपीडी	उपलब्ध सुविधाएं			अपेक्षित सहायता
			स्टाफ		दवा	दवा / औषध
			एम.ओ.	सहायक स्टाफ		राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

प्रपत्र- III

पीएचसी/सीएचसी/जिला अस्पतालों के अलावा विशिष्ट/स्वचालित आयुष अस्पतालों का उन्नयन

क्र. सं.	नाम अवस्थिति जिला	चिकित्सा प्रणाली (विषय)	ओपीडी में औसत उपस्थिति	आईपीडी बिस्तरों की संख्या	आईपीडी (पिछले वर्ष के दौरान बिस्तर उपलब्धता)	उपलब्ध सुविधाएं			अपेक्षित सहायता						
						स्टाफ			स्टाफ				अवसंरचना/ उपकरण/ फर्नीचर		दवा/ औषधि/ आकस्मिकता
						एम. ओ.	सहायक स्टाफ	अवसंरचना	एम.ओ.		सहायक स्टाफ		वास्तविक	वित्तीय	वित्तीय
									वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1. अनुदान की आवश्यकता के लिए पूर्ण औचित्य (कृपया खण्डवार विस्तृत विवरण दें):

2. उपरोक्त सुविधाओं का रखरखाव और अनुरक्षण; पूंजी लागत के आकलन सहित उनकी आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट विवरण दें।

3. क्या आवेदनकर्ता ने पूर्व में केन्द्र/राज्य सरकार/ अन्य सरकारी एजेंसी से उपरोक्त उद्देश्य के लिए अन्य कोई सहायता प्राप्त की है? यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण वर्षवार दें।

प्रपत्र- IV

आयुष औषधालयों का उन्नयन

क्र. सं.	नाम, अवस्थिति और जिला	भवन की स्थिति (किराये पर/ निजी)	चिकित्सा पद्धति	ओपीडी में औसत उपस्थिति	उपलब्ध सुविधाएं			अपेक्षित अवसंरचनागत सहायता		आक्समिकता	कुल
					स्टाफ		अवसंरचना				
					एम.ओ.	सहायक स्टाफ		भवन निर्माण, प्रत्यावर्तन/नवीकरण	उपकरण/ फर्नीचर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. अनुदान की आवश्यकता के लिए पूर्ण औचित्य (कृपया खण्डवार विस्तृत विवरण दें):

2. क्या आवेदनकर्ता ने पूर्व में केन्द्र/राज्य सरकार/ अन्य सरकारी एजेंसी से उपरोक्त उद्देश्य के लिए अन्य कोई सहायता प्राप्त की है? यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण वर्षवार दें।

प्रपत्र - V

50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना

<table>
<tr><th rowspan="4">क्र. सं.</th><th rowspan="4">नाम
अवस्थिति
जिला</th><th rowspan="4">चिकित्सा पद्धति (विषय)</th><th rowspan="4">प्रस्तावित ओपीडी बिस्तरों की संख्या</th><th colspan="2">उपलब्ध सुविधाएं</th><th colspan="7">अपेक्षित सहायता</th></tr>
<tr><th colspan="2">(राज्य भूमि हिस्सेदारी)</th><th colspan="4">स्टाफ</th><th colspan="2">अवसंरचना/ उपकरण/ फर्नीचर</th><th>दवा / औषधि/ आक्समिकता</th></tr>
<tr><th rowspan="2">क्षेत्र</th><th rowspan="2">अनुमानित लागत</th><th colspan="2">एम.ओ. का विवरण</th><th colspan="2">सहायक स्टाफ</th><th rowspan="2">वास्तविक (सारांश सूची)</th><th rowspan="2">वित्तीय</th><th rowspan="2">वित्तीय</th></tr>
<tr><th>सं.</th><th>वित्तीय</th><th>सं.</th><th>वित्तीय</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr>
</table>

प्रपत्र- VI

सार्वजनिक स्वास्थ्य पहुंच गतिविधियां :

क्र. सं.	नाम, ब्लॉक, जिले की अवस्थिति	प्रस्तावित गतिविधियों का ब्यौरा	संभावित लाभांवितों की संख्या	संभावित परिणाम	प्रति इकाई लागत	कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र- VII

बीसीसी/आईईसी:

क्र. सं.	नाम, ब्लॉक, प्रस्तावित गतिविधियों तक पहुंच के स्थान वाला जिला	प्रस्तावित गतिविधियों का विवरण	प्रति इकाई लागत	कुल लागत
1	2	3	4	5

प्रपत्र-VIII

आयुष ग्रामः

क्र. सं.	नाम, ब्लॉक, जिले की अवस्थिति	प्रस्तावित गतिविधियों का ब्यौरा	संभावित लाभांवितों की संख्या	अपेक्षित परिणाम	प्रति इकाई लागत	कुल लागत
	1	3	4	5	6	7

प्रपत्र -IX

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम

क्र. सं.	नाम, ब्लॉक, प्रस्तावित स्कूल स्वास्थ्य गतिविधि के स्थान वाला जिला	प्रस्तावित गतिविधि का विवरण	लाभांवित स्कूली बच्चों की संभावित संख्या	संभावित परिणाम	प्रति इकाई लागत	कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7

संलग्नक- IV

<u>50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना</u>

जनशक्ति की आवश्यकता:

क्र. सं.	**पद का नाम**	**50 बिस्तरों तक के लिए आवश्यकता**
1.	चिकित्सा अधीक्षक	1
2.	एसएमओ (पंचकर्म/क्षारसूत्र/होम्योपैथी/इलाज-बिद-तदबीर/थोकन्नम का विशेषज्ञ)	3
3.	चिकित्सा अधिकारी	6(3+3)
4.	रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी	1
5.	लेखाकार	1
6.	सहायक मेटरन	1
7.	नर्सिंग स्टाफ	12(6 + 6)
8.	पंचकर्म तकनीशियन	2(1+1) पुरुष/महिला
9.	योग प्रशिक्षक	1*
10.	फार्मासिस्ट/डिस्पेंसर	3(1 + 2)
11.	प्रयोगशाला तकनीशियन	2 *
12.	स्टोरकीपर/लिपिक	2*
13.	पंजीकरण लिपिक	1*
14.	चौकीदार	3 *
15.	वार्ड बॉय/आया	8 *
16.	रसोइया	2 *
17.	चपरासी	4 *
18.	ड्रेसर	2 *
19.	मसाजकर्ता	4(2+2)
20.	सफाई कर्मी/जमादार	6 *
21.	दाई	4 *

निम्नलिखित विशेषज्ञ सेवाओं को आवश्यकता होने पर उपयोग में लाया जाएगा:

पदों के नाम	**आवश्कतानुसार पदों की संख्या**
1. एनेस्थेटिस्ट*	1
2. रेडियोलोजिस्ट*	1
3. रोग विज्ञानी*	1

4.	नेत्र विशेषज्ञ	1
5.	सामान्य शल्य चिकित्सक	1
6.	स्त्री रोग विशेषज्ञ	1

पद 1 तथा 2 नियमित होना चाहिए जिनका नियोजन राज्य सरकार करेगी।
पद सं. 3 से 13 तक समेकित वेतन पर संविदात्मक कर्मचारी लिए जाएंगे।

पद संख्या 15 से 22 तक स्टाफ को बाह्य स्रोत से लिया जाएगा।

***दोनों पद्धतियों के लिए समान।**

संलग्नक-V

गुणवत्तायुक्त आयुष स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए **न्यूनतम जगह**

I- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) स्तर पर:

एक चिकित्सक कक्ष- 3.2 X 3.2 X2 मीटर और आयुष के लिए एक फार्मेसी सह स्टोर- 6.4 X 3.2 मीटर

II- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) स्तर पर:

(क) 2 आयुष चिकित्सकों के लिए चिकित्सक कक्ष- 3.2 X 3.2 X2 मीटर, आयुष के लिए एक फार्मेसी-सह-स्टोर- 6.4 X 3.2 मीटर

(ख) उपरोक्त के अलावा, विशेषज्ञ उपचार हेतु अपेक्षित स्थल निम्नानुसार है:

1 पंचकर्म/थोक्कनम उपचार केन्द्र

i) 4 उपचार कक्ष (प्रत्येक का 200 वर्ग फीट क्षेत्र x 4)	800 वर्ग फीट
ii) पहले से मौजूद 10 बिस्तरों वाले वार्ड अथवा ठहरने का स्थान 5 पुरूष एवं 5 महिला रोगियों के लिए-	500 वर्ग फीट
iii) रसोई घर-	200 वर्ग फीट
iv) कार्यालय सह भंडार गृह-	200 वर्ग फीट

कुल: 1700 वर्ग फीट

2. क्षारसूत्र उपचार केन्द्र

i) ऑपरेशन थियेटर	200 वर्ग फीट
ii) बंध्याकरण कक्ष (मौजूदा एक का उपयोग किया जा सकता है)	200 वर्ग फीट
iii) स्वास्थ्य लाभ कक्ष	200 वर्ग फीट
iv) पहले से मौजूद 10 बिस्तरों वाले वार्ड अथवा ठहरने का स्थान 5 पुरूष एवं 5 महिला रोगियों के लिए-	500 वर्ग फीट
v) कार्यालय सह अभिलेख कक्ष	200 वर्ग फीट

कुल: 1300 वर्ग फीट

3. यूनानी का रेजिमेंटल उपचार (इलाज-बिद-तदबीर) केन्द्र

i) उपचार अनुभाग (200 वर्ग फीट के 4 कक्ष)	800 वर्ग फीट
ii) पहले से मौजूद 10 बिस्तरों वाले वार्ड अथवा ठहरने का स्थान 5 पुरूष व 5 महिला रोगियों के लिए-	500 वर्ग फीट
iii) कार्यालय सह रिकार्ड रूम	200 वर्ग फीट

कुल: 1500 वर्ग फीट

4. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा उपचार केन्द्र

i)	योग हॉल	1200 वर्ग फीट
ii)	उपचार अनुभाग	600 वर्ग फीट
iii)	कार्यालय सह रिकार्ड कक्ष	200 वर्ग फीट
iv)	रसोई घर	200 वर्ग फीट

कुल: 2200 वर्ग फीट

III- जिला अस्पताल स्तर पर:

i)	6 उपचार कक्ष (प्रत्येक 200 वर्ग फीट का x 6)	1200 वर्ग फीट
ii)	2 ओपीडी कक्ष	200 वर्ग फीट
iii)	पहले से मौजूद 10 बिस्तरों वाले वार्ड अथवा ठहरने का स्थान 5 पुरूष एवं 5 महिला रोगियों के लिए	500 वर्ग फीट
iv)	रसोई घर (मौजूदा रसोई घर उपयोग में लाया जा सकता है)	200 वर्ग फीट
v)	कार्यालय सह रिकार्ड रूम	200 वर्ग फीट

कुल: 2300 वर्ग फीट

संलग्नक-VI

50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल के लिए भवन विशिष्टता

क्र.सं.	विवरण	तल क्षेत्र 50 बिस्तरों के लिए वर्ग फीट में
1.	**प्रशासनिक खण्ड**	1000
2.	अस्पताल अधीक्षक	250
3.	**आरएमओ**	150
4.	प्रशासनिक अधिकारी	150
5.	रिकार्ड रूम एवं कार्यालय	600
6.	सेनिटरी खण्ड (पु./म.)	150x2
	ओपीडी एवं आईपीडी	
1.	शौचालय सहित सीएमओ कार्यालय कक्ष	300 (150x2)
2.	कैंटीन, रसोई घर एवं स्टोर	500
3.	सांख्यिकी विभाग के साथ कंप्यूटर सुविधायुक्त सेंट्रल मेडिकल रिकार्ड अनुभाग	200
4.	जांच के लिए नैदानिक प्रयोगशाला	300
5.	ओटी कॉम्प्लेक्स (1 थिएटर + साईड थियेटर + वॉश + चेंजिंग + ऑटोक्लेव+ स्टाफ + स्वास्थ्य लाभ कक्ष)	1000
6.	लेबर रूम +ड्यूटी रूम	200 +150=350
7.	पंचकर्म/थोक्कनम/इलाज-बिद-तदबीर थियेटर (उपचार ब्लॉक) (शौचालय, स्नान एवं संचलन क्षेत्र)	1000 (500x2) पु./म. + 500=1500
8.	लिनेन आदि के लिए केन्द्रीय स्टोर	300
9.	आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/सिद्ध के लिए मेडिकल स्टोर	1000
10.	आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/सिद्ध के लिए वितरण कक्ष	300
11.	शौचालय के साथ रेजिडेंट चिकित्सक ड्यूटी रूम	600 (150 X 4)
12.	10 बिस्तरों वाला 4 वार्ड एवं निजी कक्ष (सं. 10)	2000 (500x4) + 2000(10x200)=4000
13.	नर्स ड्यूटी कक्ष	100
14.	पैथोलोजिकल जांच के लिए प्रयोगशाला	200

15.	लिनेन एवं उपकरण के लिए स्टोर रूम	200
16.	फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विद्युत, डाइथर्मी, पराबैंगनी और बुनियादी लाल उपचार, स्वीमिंग सहित पुनर्वास उपचार के लिए आवास	200
17.	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अभ्यास के लिए पृथक पर्याप्त क्षेत्र + शौचालय	400 +100
18.	पंजीकरण एवं रिकार्ड रूम	200
19.	रोगी एवं अटेंडेंट के लिए प्रतीक्षा हॉल	600
20.	आउटडोर में आयुर्वेद एवं होम्योपैथी के लिए परीक्षण कक्ष (क्युबिकल्स) एवं रोग मामले प्रदर्शन कक्ष	150 प्रत्येक x10 (6 आयुर्वेद, 4 होम्योपैथी)
21.	लॉकर के साथ स्टाफ रूम	200
22.	परिधान कक्ष	100
23.	श्रव्यतामिति कक्ष	100
24.	दृष्टिमापी कक्ष	150
25.	पुनर्जीवन सेवाओं के लिए केंद्रीय केज्युअल्टी विभाग आवास (2 बिस्तरों वाला)	400

संलग्नक -VII

50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल के लिए उपकरणों की सूची:-

क. **पंचकर्म**

1. ड्रोनी/मसाज टेबल: न्यूनतम 7 फीटX2.5 फीट (लकड़ी या फाइबर)
2. ड्रोनी को बिठाने के लिए उपयुक्त स्टैंड: 2.5 फीट उंचाई
3. सवेडाना/सुडेशन चेंबर एवं नाड़ी संवेदना यंत्र
4. फुटस्टूल – 1
5. स्टूल – 1
6. आर्म चेयर - 1
7. गर्म करने की सुविधाएं
8. गर्म करने की पैन
9. शिरोधरा स्टैंड एवं शिरोधरा टेबल
10. बस्ती यंत्र
11. पुरूष एवं महिला के लिए उत्तर बस्ती यंत्र
12. वेदपान (पुरूष एवं महिला)
13. वमन सेट
14. गुर्दे की ट्रे
15. नस्यकर्म सेट
16. परिश्रावक – 1
17. रक्तदाबमापी – 1
18. थर्मामीटर – 1
19. गर्म पानी – स्नान के लिए
20. प्रेशर कुकर (5 लिटर) – 1
21. रेक्शिन कवर से ढंका छोटा तकिया - 2
22. छोटी अलमारी– 1
23. प्लास्टिक एपरन, ग्लोब्स और मास्क
24. चाकु और कैंची – एक-एक
25. घड़ी– 1 और स्टोप घड़ी – 1
26. गर्म पानी सुविधा
27. निकासी पंखे – न्यूनतम 1
28. पर्याप्त प्रकाश और हवादार
29. नसबंदी के लिए ऑटोक्लेव उपकरण

ख. क्षारसूत्र:-

1. क्षारसूत्र पेटिका
2. ऑटोक्लेव

3. ओटी उपकरण
4. ओटी टेबल
5. क्षोमवस्त्र, सूती, तहबन्द
6. ओटी लाईट
7. उपभोज्य

ग. उत्तरबस्ती:-

1. स्टेरीलाइजर या ऑटोक्लोव
2. गर्म पानी थेला
3. गुर्दा ट्रे
4. सिम्स वीक्षक
5. पूर्वकाल योनि दीवार प्रत्याकर्षक
6. गर्भाशय ध्वनि
7. यूटरीन साउंड
8. धमन संदंश
9. आर्टरी फोरसेप्स
10. दांतेदार संदंश
11. धातु या डिस्पोजेबल गर्भाधान प्रवेशनी
12. अच्छा प्रकाश स्रोत
13. लिथोटॉमी पोजिशन देने के लिए टेबल की स्थिति
14. डिसपोजेबल सीरिंज
15. विसंक्रमित दस्ताने
16. विसंक्रमित जाली
17. फोली केथेटर (विभिन्न आकार एवं जरूरत के अनुसार)
18. विसंक्रमित सूती
19. विसंक्रमित टैम्पोन
20. विसंक्रमित दवाईयां (उत्तरबस्ती के इलाज के लिए इस्तेमाल औषधीय घी या तेल या काढ़े)

घ. रक्तमोक्षन (जोंक चिकित्सा):-

1. ताजा जोंक के लिए एक्वेरियम	:	20-25 लीटर क्षमता (विभाजन के साथ हो सकता है)
2. ग्लास कंटेनर (1 लीटर क्षमता)	:	5-10 (प्रत्येक रोगी की आवश्यकता के लिए

		अलग कंटेनर और मरीजों की संख्या के हिसाब से भिन्न हो सकते हैं)
3. जोंक	:	(आवश्यकतानुसार 3-5 जोंक प्रति रोगी / प्रति चिकित्सा अवधि)
4. सर्जिकल टेबल	:	02
5. सर्जिकल ट्रॉली	:	04
6. सर्जिकल ट्रे	:	05
7. उपकरण	:	संदंश के विभिन्न प्रकार, कैंची, सूई, स्टूरिंग सामग्री आदि (जरूरत के अनुसार)
8. ड्रेसिंग ट्रे ग्लोब के साथ, बैंडेज कपड़े के बैंडेज आदि.	:	(जरूरत के अनुसार)
9. सामग्रियां	:	हल्दी, सेंधावलवन, जटयादि घृत, मधु (आवश्यकतानुसार)

राष्ट्रीय आयुष मिशन

परिचालन दिशा-निर्देश

आयुष शैक्षणिक संस्थाएं

सत्यमेव जयते
Government of India

आयुष विभाग

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

1. भूमिका

1.1 आयुष चिकित्सा पद्धति में शैक्षणिक स्तर में न्यूतम मानकों के सशक्त क्रियान्यवन से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। देश में 508 शैक्षणिक संस्थानों में 107 सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं। न्यूनतम मानक विनियम (एमएसआर) की अनुपालना में क्रियाशील अस्पतालों व शिक्षण संकाय के लिए आवश्यक अवसंरचना तैयार करने तथा प्रावधान बनाने का दायित्व संबंधित कॉलेज/राज्य सरकार अथवा उस संगठन का होगा जिसने कॉलेज की स्थापना की है। हालांकि, कॉलेजों की सहायता करने के उद्देश्य से निश्चित कमियों को पूरा करने हेतु इस विभाग में 9वीं पंचवर्षीय योजना से शिक्षण संस्थानों की वित्तीय सहायता के लिए स्कीमें लागू की हैं। इस स्कीम के तहत उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ अभी तक मात्र 20% लगभग संस्थानों को शामिल किया जा सका है।

1.2 विभाग द्वारा किए गए स्कीम के स्वतंत्र मूल्यांकन से यह संकेत मिला कि देश में आयुष संस्थानों की बुनियादी स्थिति खस्ताहाल है। उन्हें सरकार द्वारा दृढ़तापूर्वक लागू किए गए न्यूनतम मानक विनियमों (एमएसआर) के मानदण्डों को पूरा करने के लिए महत्वूपर्ण अंतराल को भरने की आवश्यकता है। 11वीं योजना में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के स्नातक और स्नात्तकोतर कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान किए गए। हालांकि, मूल्य वृद्धि पर विचार करते हुए अपेक्षित मानदण्डों में सुधार करना आवश्यक हो गया। इसके अलावा, वे निजी संस्थान जिन्हें अनुदान सहायता घटक से बाहर रखा गया था, प्रसंगवश उनकी संख्या ज्यादा है और इसलिए भारत सरकार द्वारा लागू किए गए न्यूनतम मानक विनियमों (एमएसआर) को बड़े पैमाने तथा गुणवत्ता के साथ लागू करने के लिए उत्तरदायी है। अत: अस्पताल और कॉलेज की अवसंरचना और उपस्कर जैसी कार्यात्मकता के महत्वपूर्ण कमियों वाली क्षेत्र की पहचान करते हुए निजी शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने की आवश्कता है।

1.3 कई राज्यों में कोई भी शिक्षण संस्थान मौजूद नहीं हैं। इससे इन राज्यों में आयुष चिकित्सा पद्धतियों का विकास प्रभावित हुआ है। इसलिए, राज्यों को उनके क्षेत्र में आयुष कॉलेजों की स्थापना करने के प्रयासों के लिए भारत सरकार की तरफ से अनुदान सहायता के रूप में सरकारी क्षेत्र में 75% या 90% निधियां तथा राज्य के हिस्से के रूप में क्रमश: सामान्य श्रेणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ओर पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों को जैसा भी मामला है, 25% या 10 %निधियों के समर्थन का प्रस्ताव है।

1.4 इसलिए, भारत सरकार ने बढ़े हुए बजट परिव्यय के साथ साथ लागत मानदंडों सहित स्कीम को जारी रखने का निश्चय किया।

2. उद्देश्य

1. सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष स्नातक-पूर्व शिक्षण संस्थान का उन्नयन।
2. सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान का उन्नयन।
3. उन राज्यों को नए आयुष शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जहां सरकारी क्षेत्र में ये विद्यमान नहीं हैं।

3. घटक

राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत निम्नलिखित घटकों को सहायता प्रदान की जाएगी -

3.1 मुख्य क्रियाकलाप:

क. आयुष स्नातकपूर्व संस्थानों का अवसंरचनागत विकास।

ख आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों/जोड़े गए स्नातकोत्तर फार्मेसी/पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों का अवसंरचनागत विकास।

ग. उन राज्यों में नए आयुष शिक्षण संस्थानों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में ये विद्यमान नहीं हैं।

3.2 नम्य क्रियाकलाप:

निजी आयुष शिक्षण संस्थानों के लिए ब्याज सब्सिडी घटक।

3.1 **मुख्य क्रियाकलाप:-**

3.1क **आयुष स्नातकपूर्व संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास**

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम (आईएमसीसी), 1970 और होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1970 के तहत केंद्र सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों से विधिवत ***अनुमति*** प्राप्त राज्य सरकार/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान पात्र हैं। स्नातकपूर्व संस्थानों के उन्नयन के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर सहायता प्रदान की जाएगी।

सहायता का प्रतिरूप:

i) ओपीडी/आईपीडी/शैक्षिक विभागों/पुस्तकालय/प्रयोगशालाओं/कन्या छात्रावासों/लड़कों के लिए छात्रावास इत्यादि	210.00 लाख रुपए
ii) उपकरण, फर्नीचर और पुस्तकालय की पुस्तकें	90.00 लाख रुपए

3.1ख <u>आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों/ जोड़े गए स्नातकोत्तर फार्मेसी/पैरा मैडिकल पाठ्यक्रमों का अवसंरचनागत विकास</u>

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम (आईएमसीसी), 1970 और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा पिछलें पांच वर्षों से विधिवत ***अनुमति*** प्राप्त राज्य सरकार/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान पात्र हैं। स्नातकोत्तर संस्थानों के उन्नयन के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर सहायता की जाएगी।

सहायता का प्रतिरूप:

i) ओपीडी/आईपीडी/शैक्षिक विभागों/पुस्तकालय/प्रयोगशालाओं/ कन्या छात्रावासों/लड़कों के लिए छात्रावास इत्यादि	280.00 लाख रुपए
ii) उपकरण, फर्नीचर और पुस्तकालय की पुस्तकें एवं नए स्नातकोत्तर छात्रों को वजीफे का भुगतान	120.00 लाख रुपए

3.1ग <u>उन राज्यों में नए आयुष शिक्षण संस्थानों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में ये विद्यमान नहीं हैं</u>

i) ओपीडी/आईपीडी/शैक्षिक विभागों/पुस्तकालय/प्रयोगशालाओं/ कन्या छात्रावासों/लड़कों के लिए छात्रावास इत्यादि	900.00 लाख रुपए
ii) उपकरण, फर्नीचर और पुस्तकालय की पुस्तकें	150.00 लाख रुपए

1. यह घटक उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होगा जहां सरकारी क्षेत्र में आयुर्वेद, सिद्ध और होम्योपैथी कॉलेज उपलब्ध नहीं हैं।
2. परियोजना को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुदान सहायता राज्यों के योगदान की पूरक होगी। राज्य सरकार को इस आशय का वचन देना होगा कि परियोजना के लिए शेष लागत का वहन वह राज्य सरकार करेगी।
3. जहां राज्य के योगदान में भूमि और मौजूदा भवन शामिल हों, वहां आवेदन पत्र के साथ भूमि और भवन सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्य निर्धारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. यह पूर्णरूपेण एक परियोजना आधारित प्रस्ताव होगा जिसका मूल्यांकन भाचिप एवं हो. के राज्य सचिव/राज्य निदेशक की एक समिति और आयुष विभाग के संबंधित सलाहकार करेंगे।

3.2 नम्य क्रियाकलाप:-

3.2.क <u>निजी आयुष शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए ब्याज सब्सिडी</u>

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम (आईएमसीसी), 1970 और होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1970 के तहत केंद्र सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों से विधिवत ***अनुमति*** प्राप्त अलाभकारी शैक्षणिक

संस्थान पात्र हैं। स्नातकपूर्व संस्थानों के उन्नयन के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर सहायता प्रदान की जाएगी।.

राष्ट्रीयकृत बैंक से कॉलेज द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण का प्रतिरूप:

i) ओपीडी/आईपीडी/शैक्षिक विभागों/पुस्तकालय/ प्रयोगशालाओं/कन्या छात्रावासों/लड़कों के लिए छात्रावास इत्यादि-	परियोजना लागत का 70% तक 210.00 लाख रु. (स्नातक पूर्व के लिए) 280.00 लाख रु. (स्नातकोत्तर के लिए)
ii) उपकरण, फर्नीचर और पुस्तकालय की पुस्तकें	परियोजना लागत का 30% तक 90.00 लाख रु. (स्नातक पूर्व के लिए) 120.00 लाख रु. (स्नातकोत्तर के लिए)

1. भारत सरकार 6% की दर से ब्याज सब्सिडी के रूप में सहायता देगी। अवसंरचना उन्नयन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक से कुल सब्सिडी की अधिकतम स्वीकार्य सीमा प्रति करोड़ 25 लाख रूपए होगी जिसका पुनर्भुगतान 7 वर्षों की अवधि में किया जाएगा।
2. ब्याज में छूट की वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु संस्थान को कॉलेज अवसंरचना के उन्नयनीकरण के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक से आवधिक ऋण प्राप्त करना होगा।
3. राष्ट्रीयकृत बैंक से एक बार ऋण स्वीकृत हो जाने पर, संस्थान ब्याज सब्सिडी स्कीम के लिए राज्य सरकार को आवेदन करेगा। राज्य सरकार ब्याज सब्सिडी योजना की अनुशंसा करेगी और केन्द्र सरकार से एसएएपी के अनुमोदन के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) में शामिल करेगी।
4. राज्य सरकार ब्याज सब्सिडी स्कीम के घटक के संचालन हेतु एक नोडल राष्ट्रीय बैंक को चिन्हित करेगा। सभी पात्र निजी संस्थानों के लिए ब्याज सब्सिडी राशि को भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
5. नोडल बैंक इसके पश्चात ब्याज सब्सिडी को उस निश्चित बैंक में हस्तांतरित कर देगा जहां से शिक्षण संस्थान ने ऋण प्राप्त किया है।
6. निजी कॉलेज का आवेदन पत्र राज्य वार्षिक कार्य योजना का भाग होना चाहिए। इस आवेदन पत्र में आवेदनकर्ता कॉलेज को राष्ट्रीयकृत बैंक से वित्तीय मंजूरी सहित पुनर्भुगतान अनुसूची, दण्डात्मक ब्याज प्रावधान तथा अन्य नियमों और शर्तों का उल्लेख होना चाहिए।
7. आयुष विभाग, भारत सरकार से संबंधित कॉलेज की स्थिति जानने के पश्चात राज्य नोडल बैंक द्वारा ब्याज सब्सिडी का हस्तांतरण किया जाना चाहिए।
8. इस संबंध में राज्य नोडल बैंक और राज्य आयुष सोसायटी/राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया जाएगा।
9. पहले ऋण वितरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवेदन करने वाले संस्थान पात्र होंगे।
10. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज पर ही सब्सिडी देय होगी और संस्थान द्वारा किस्त का भुगतान करने के बाद इसे राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्थान के ऋण खाते में सीधे जमा कर दिया जाएगा। दण्डनीय ब्याज और अन्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

11. ब्याज सब्सिडी की अदायगी सात वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि अथवा पुनर्भुगतान की वास्तविक अवधि, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी।
12. उस संस्थान को ब्याज सब्सिडी अनुमेय होगी,जो बैंक को नियमित किस्तें और ब्याज अदा करता है। यदि संस्थान ब्याज चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे चूक अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी नहीं मिलेगी तथा इस चूक अवधि को सात वर्षों की अवधि में से घटा दिया जाएगा।
13. आवधिक ऋण की पहली किस्त के भुगतान की तारीख से ब्याज सब्सिडी पर विचार किया जाएगा। अपग्रेड पाठ्यक्रम शुरू होने के पश्चात ही भुगतान किया जाएगा।
14. आईएमसीसी और एचसीसी अधिनियमों की प्रासंगिक धाराओं के तहत केन्द्र सरकार द्वारा पिछलें 5 वर्षों से विधिवत अनुमति प्राप्त निजी संस्थान इस स्कीम के तहत पात्र होंगे।
15. यदि संस्थान पाठ्यक्रम चलाने के लिए भारत सरकार से पश्चातवर्ती अनुमति प्राप्त नहीं करता है, तो वह उस अवधि के लिए इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त नहीं करेगा तथा अनुमति न मिलने वाली अवधि को सात वर्षों की अवधि में से घटा दिया जाएगा।

4. आवेदन प्रस्तुत करने तथा मिशन के क्रियान्यवन के लिए दिशा-निर्देश:

4.1 मिशन के तहत सहायता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों को भाचिप एवं हो. राज्य निदेशालय जिसे राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) में शामिल होना चाहिए, के माध्यम से अनुलग्नक के रूप में आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों/शपथ पत्र सहित घटक के तहत प्रदत विधिवत रूप से आकलन की अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अग्रेषित करनी आवश्यक है।

4.2 आवेदक संस्थान को छात्रों को प्रवेश की अनुमति निरंतर जारी रखने के संबंध में नवीनतम अनुज्ञा की प्रतिलिपि के साथ सभी आवेदनों को प्रस्तुत करना होगा।

4.3 12वीं योजना के दौरान उपरोक्त संघटकों में से किसी एक के लिए ही संस्थान की सहायता हेतु विचार किया जाएगा। यदि किसी संस्था ने 11वीं योजना के दौरान सहायता प्राप्त की है तो वह सहायता के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के शेष के लिए ही पात्र होगी।

संलग्नक-I

आयुष शिक्षण संस्थानों के विकास हेतु राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत अनुदान सहायता के लिए आवेदन पत्र

क. मूलभूत सूचना

1 संस्थान के नाम सहित पूर्ण पता

टेलीफोन नं.

फैक्स नं.

2. संस्थान एवं कॉलेज का दर्जा जिससे ये जुड़े हुए हैं (i) सरकारी

(ii) सरकारी सहायता प्राप्त

(iii) निजी

3 कॉलेज द्वारा चालाए जा रहे पाठ्यक्रमों का विवरण :-

(क) स्नातक

(ख) स्नातकोत्तर (विभागों की संख्या)

(ग) अन्य

4. उस विश्वविद्यालय का नाम जिससे संस्थान संबद्ध है (संबद्धता का वर्ष)

5 सीसीआईएम/सीसीएच/भारत सरकार द्वारा प्रदत मान्यता का वर्ष और महिना, जैसी भी स्थिति हो। क्या कॉलेज ने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं और छात्रों के बैच ने पाठ्यक्रम पूरा होने पर कॉलेज छोड़ दिया है।

6 सीसीआईएम/सीसीएच द्वारा अनुमति प्रवेश क्षमता (क) स्नातक पूर्व ....
(कृपया अनुमति पत्र की प्रति संलग्न करें) (ख) प्रत्येक विभाग में स्नातकोत्तर........

7 प्रत्येक वर्ष (गत तीन वर्षों के लिए) पाठ्यक्रम पूरा (क) स्नातक पूर्व
करने वाले छात्रों की संख्या (ख) प्रत्येक विभाग में स्नातकोत्तर.......

8 क्या संस्थान सीसीएच/सीसीआईएम द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुपालन कर रहा है और यदि हां, तो कब से।
क्या सीसीआईएम/सीसीएच ने संस्थान का दौरा/निरीक्षण किया है, यदि हां, तो इसकी नवीनतम रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें।

10 सीसीआईएम/सीसीएच की पिछली रिपोर्ट में दर्शाई गई कमियां, यदि कोई हों, तो किस सीमा तक उन कमियों को पूरा किया गया।

11. (क) क्या संस्थान का स्वयं से जुड़ा हुआ अस्पताल है?
(ख) यदि हां, तो उपलब्ध बिस्तरों की संख्या।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान औसत बिस्तर अधिभोग।

प्रयोजन

1. वह प्रयोजन जिसके लिए अनुदान की आवश्यकता है
(कृपया विस्तृत विवरण दिया जाए):

2. यदि आवेदन पूंजीगत कार्यों के लिए है, तो पूंजीगत कार्यों के आकलन सहित उनके योजनाओं के लिए औचित्य के साथ पूरी जानकारी दें; लोक निर्माण विभाग के वास्तुकार, सीपीडब्ल्यूडी, एचएससीसी, एनबीसीसी और किसी अन्य कोई सरकार द्वारा अनुमोदन एजेंसी द्वारा विधिवत अनुमोदित उपर्युक्त सुविधाओं का रखरखाव और अनुरक्षण।

3. क्या आवेदनकर्ता ने केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य सरकारी एजेंसी से पहले कभी किसी तरह की सहायता प्राप्त की है? यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण (वर्षवार) और उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियां तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों/पिछले अनुदान के संबंध में, उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकार करने का इस विभाग का पत्र, यदि कोई हो, तो संलग्न किया जाए।

4. सरकारी अस्पताल के मामले में संस्थान के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक व्यय (वर्षवार) विवरण। इस संबंध में विधिवत रूप से अंकेक्षण प्राधिकारी अनुमोदित करेगा तथा सरकारी सहायता प्राप्त/निजी संस्थानों के मामले में सनदी लेखाकार को संबद्ध किया जाएगा।

5. कृपया प्रत्येक शिक्षण विभाग के शिक्षण स्टाफ का विवरण स्पष्ट कीजिए।

क्र. सं.	**नाम**	**अर्हता**	**पूर्णकालिक**
(1)	(2)	(3)	(4) हां/नहीं

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
(रबड़ की मुहर के साथ)
बड़े अक्षरो में नाम
फोन
दिनांक

ख. राज्य सरकार की अनुशंसा

विषय: आयुष संस्थानों के लिए अनुदान सहायता

1. इस संस्थान का दौरा ……………………………………द्वारा किया गया है।

2. वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए प्रस्ताव की जांच ………………के कार्यालय ने की है।

3. संस्थान के विकास और प्रभावी संचालन जिसे जरूरी समझा गया है, के लिए राज्य सरकार रु……………………..(…………………………………………………… रुपये) के अनुदान की सिफारिश करती है। जिस प्रयोजन हेतु अनुदान के लिए आवेदन किया गया है वह भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/केंद्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार है।

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

i. कॉलेज की स्थापना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं तथा छात्रों के एक बैच ने पाठ्यक्रम पूरा करके कॉलेज छोड़ दिया है।

ii. राज्य सरकार ने……………………. के खाते की पिछले तीन वर्षों की विवरणियों की जांच की है और संतुष्ट है कि उनके द्वारा मांगी गई अनुदान सहायता उनकी वित्तीय स्थिति की वजह से उचित है तथा उनके द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए सभी पूर्व अनुदानों को उन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया, जिसके लिए अनुदान जारी किया गया था।

iii. राज्य सरकार संतुष्ट है कि संस्थान के पास उस उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए अनुभव और प्रबंधकीय क्षमता है जिसके लिए वित्तीय सहायता अनुदान की मांग की गई है।

iv. इस संस्थान की उपयोगिता और इसके पदाधिकारियों/स्टाफ के विरूद्ध ऐसा कुछ नहीं है जो सहायता प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहरा सके। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान और इसके पदाधिकारी किसी भी भ्रष्ट आचरण तथा अदालत की कार्यवाही में लिप्त नहीं हैं।

v. संस्थान द्वारा आवेदन के लिए अपने आवेदन पत्र के पैरा………………..में प्रदान की गई सूचना सत्य है और हर प्रकार से पूरी है।

vi. कॉलेज ने पिछले अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र और संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत कर दिया है।

राज्य सरकार के मिशन निदेशक के हस्ताक्षर (एनएएम)
(रबड़ की मुहर के साथ)

स्पष्ट अक्षरों में नाम
फोन… ………..
दिनांक ……….. .

राष्ट्रीय आयुष मिशन

प्रचालन दिशा-निर्देश

आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधों का गुणवत्ता नियन्त्रण

सत्यमेव जयते
Government of India

आयुष विभाग
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

1. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधों का गुणवत्ता नियंत्रण

1.1 देश में आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी एवं होम्योपैथिक (एएसयू और एच) औषधियों को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति - 1983 व 2002, राष्ट्रीय आयुष नीति - 2002 तथा मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान एवं विकास तथा उपभोक्ता की सुरक्षा की रणनीतियों पर आधारित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में पारम्परिक भारतीय और होम्योपैथिक औषधियों की वृद्धि एवं विकास की उम्मीद जनता को सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तायुक्त औषधियां सुलभ कराने के उद्देश्य में शामिल है। राष्ट्रीय परिस्थितियों और मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियन्त्रण, अनुसंधान एवं विकास, स्वास्थ्य वितरण प्रणाली में एकीकरण तथा औषधीय कच्चे उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र उभरते हुए वैश्विक विकास एएसयू औषधियों को समाविष्ट कर रहे हैं।

1.2 एएसयू औषधियों के निर्माण और बिक्री के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, और नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी उत्तरदायी है। विनियामक तंत्र को मजबूत बनाने तथा गुणवत्ता नियंत्रण की निगरानी के लिए, एएसयू और एच औषधों के लिए एक व्यापक आधारवाली केंद्रीय औषधि नियंत्रक की स्थापना की कार्यवाही शुरू की गई है। इससें एएसयू औषधों के गुणवत्ता मानकों को लागू करने और अनुचित दवाओं के खतरनाक प्रभावों से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए विनियामक प्राधिकारियों के गतिशील केंद्र राज्य संबंधों के विकास में सहायता मिलेगी।

1.3 वर्तमान में एएसयू एवं हो. औषधियों के विनियम के लिए केंद्रीय एजेंसियों में आयुष विभाग, औषधि महानियंत्रक, भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग, भेषजसंहिता समितियां, भेषजसंहिता प्रयोगशालाएं, एएसयू औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड और औषध सलाहकार समिति शामिल हैं। केंद्र सरकार के प्रशासक के रूप में आयुष विभाग, एएसयू औषधियों के लिए विनियामक प्रावधानों की व्यवस्था

करता है तथा इसके प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है जिसके लिए निर्धारित योग्यता वाले अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों को नियुक्त किया जाता है।

1.4 देश में राज्य प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त एएसयू एवं हो. औषधियों की 8896 विनिर्माण इकाइयां हैं। अनुज्ञप्ति के बिना औषधियों के वाणिज्यिक उत्पाद की अनुमति नहीं है। विनिर्माण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए उत्तम विनिर्माण पद्धतियों का अनुपालन अनिवार्य है। भेषजसंहिता में निर्धारित गुणवत्ता की पहचान, औषधियों की शुद्धता व क्षमता, भारी धातुओं की अनुमत सीमा, कीटनाशक अवशिष्ट और भेषजसंहिता में यथा विनिर्धारित रोगाणुस्थ मिश्रणों का अनुपालन अनिवार्य है। अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों के लिए अनुज्ञप्ति और गुणवत्ता नियंत्रण मामलों पर विचार करने तथा निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए औषध निरीक्षक, तकनीकी समितियां तथा औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।

1.5 राज्यों को उनके एएसयू एवं हो. औषधि विनियामक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के क्रम में, तदर्थ वित्तीय समिति (एसएफसी) के अनुमोदन से 9वीं योजना के अंत में 40.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एएसयू एवं हो. औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को लागू किया गया। अभी 29 औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं में से 29 राज्यीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं वाले दो राज्यों यथा दिल्ली और पंजाब ने अनुदान वापिस कर दिया है और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी की 46 राज्य फार्मेसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। उपरोक्त उद्देश्यों के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध कराने के अलावा, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी विनिर्माणकारी इकाइयों को उत्तम विनिर्माण पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए पश्चसिरा सब्सिडी का प्रावधान किया गया। प्रवर्तन तंत्र से दूरी और उत्तम विनिर्माण पद्धतियों के घटक नगण्य ही रहे हैं। राज्य औषध प्रवर्तन तंत्र की मजबूती के लिए केवल 30 राज्यों ने सहायता प्राप्त की और आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी की 67 इकाईयों को उत्तम विनिर्माण पद्धति के अनुरूप बनने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

2. उद्देश्य

1.1 राज्य सरकार एएसयू एवं हो. फार्मेसियों तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाना।

1.2 एएसयू एवं हो. विनियम ढांचे का सुदृढ़ीकरण।

1.3 एएसयू एवं हो. औषधियों की गुणवत्ता में सुधार करना ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनका निर्यात किया जा सके।

3 घटक

3.1 अनिवार्य घटक:-

क. राज्यों/सरकारी एएसयू एवं हो. फार्मेसियों/राज्य सरकार की एएसयू एवं हो. सहकारी समितियां, राज्य सरकार के एएसयू एवं हो. सार्वजनिक उपक्रमों को अनुदान सहायता।

ख. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एवं एच) औषधि की राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को अनुदान सहायता।

ग. एएसयू एण्ड एच औषध नियंत्रण ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान सहायता।

घ. एएसयू एवं एच औषध के प्रलेखन, प्रकाशन तथा राज्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सामग्री के प्रसार हेतु राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकरण को अनुदान सहायता।

3.2 नम्य घटक:-

सूचना, शिक्षा व संचार क्रियाकलाप

4. **स्कीम का प्रशासन एवं निगरानी तंत्र:**

4.1 जिस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्कीम क्रियान्वित है उसे इस स्कीम की निगरानी में शमिल किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए समिति के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए:-

क) राज्य सरकार/औषध नियंत्रक आयुष का एक प्रतिनिधि।

ख) आयुष विभाग से औषध कार्यों को देखने वाले संयुक्त सलाहकार (आयु.) स्तर का एक प्रतिनिधि।

4.2 निगरानी समिति छमाही आधार पर विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। किसी भी मामले में निगरानी दौर में निगरानी समिति के कम से कम 2 सदस्य होंगे।

वित्तीय सहायता का प्रतिरूप

क्र. सं.	घटक	निधियन का तरीका
	अनिवार्य	
1.	नई राज्य सरकार एएसयू एवं एच भेषजियों/राज्य सरकार एएसयू एवं एच सहकारी समितियों, राज्य सरकार एएसयू एवं एच, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को सहायता अनुदान - भवन और उपकरण (एकमुश्त)	350.00 लाख (अर्थात 500 लाख रुपये का 70%)
	नई राज्य सरकार एएसयू एवं एच भेषजियों/राज्य सरकार	150.00 लाख (अर्थात 500 लाख रुपये का 30%)

	एएसयू एवं एच सहकारी समितियों, राज्य सरकार एएसयू एवं एच, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को सहायता अनुदान - जनशक्ति, अभिकर्मकों, रसायन आदि (आवर्ती)	
2.	नई राज्य सरकार एएसयू एवं एच भेषजियों/राज्य सरकार एएसयू एवं एच सहकारी समितियों, राज्य सरकार एएसयू एवं एच, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को सहायता अनुदान - भवन और उपकरण (एकमुश्त)	150.00 लाख (अर्थात 500 लाख रुपये का 30%)
	नई राज्य सरकार एएसयू एवं एच भेषजियों/राज्य सरकार एएसयू एवं एच सहकारी समितियों, राज्य सरकार एएसयू एवं एच, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को सहायता अनुदान - जनशक्ति, अभिकर्मकों, रसायन आदि (आवर्ती)	150.00 लाख (अर्थात 500 लाख रुपये का 30% क्योंकि आवर्ती अनुदान पहले प्राप्त नहीं किया गया)
3.	एएसयू एवं एच औषधों की नई राज्य परीक्षण औषध प्रयोगशालाओं को सहायता अनुदान - भवन और उपकरण (एकमुश्त)	320.00 लाख (अर्थात 400 लाख का 80%)
	एएसयू एवं एच औषधों की नई राज्य परीक्षण औषध प्रयोगशालाओं को सहायता अनुदान - जनशक्ति, अभिकर्मकों, रसायन आदि (आवर्ती)	80.00 लाख (अर्थात 400 लाख का 20%)
4.	एएसयू एवं एच औषधों की मौजूदा राज्य परीक्षण औषध प्रयोगशालाओं को सहायता अनुदान - भवन और उपकरण (एकमुश्त)	70.00 लाख (अर्थात 320 लाख रुपए में से पहले प्रदान किए कए 250 लाख रुपए घटे)
	एएसयू एवं एच औषधों की मौजूदा राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सहायता अनुदान - जनशक्ति, अभिकर्मकों, रसायन आदि (आवर्ती)	80.00 लाख (अर्थात 400 लाख का 20% क्योंकि आवर्ती अनुदान पहले प्रदान नहीं किए गए।
5.	एएसयू एवं एच. औषध नियंत्रण ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायतानुदान - अग्रिम	20.00 लाख रुपए प्रति एकांश पहली किस्त के रूप में
	एएसयू एवं एच. औषध नियंत्रण ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायतानुदान - शेष	30.00 लाख रुपए शेष क्योंकि दूसरी किस्त अगले वर्ष अदा की जाएगी
6.	एएसयू एवं एच. औषधों के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को राज्यों के लिए गुणवत्तायुक्त नियंत्रण सामग्री के प्रलेखन, प्रकाशन और प्रसार हेतु सहायतानुदान	8.00 लाख रुपए प्रति वर्ष
7.	राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए तकनीकी जनशक्ति सहायता	25.00 लाख, प्रति वर्ष, 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष प्रति प्रयोगशाला
8.	औषधों का गुणवत्ता परीक्षण	असम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 500 सर्वेक्षण/सांविधिक नमूनों के परीक्षण के लिए 5.00 लाख प्रति वर्ष
		अन्य राज्यों को 1500 औषध नमूनों के परीक्षण हेतु 15.00 लाख प्रति वर्ष

5 राज्य सरकार एएसयू एवं एच. फार्मेसियों/राज्य सरकार एएसयू एवं एच सहकारी समितियों, राज्य सरकार एएसयू एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदान

5.1 एएसयू एवं एच औषधियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारी फार्मेसियों की क्षमता बढ़ाने के लिए यह घटक प्रदान किया जाता है। भारत सरकार ने आयुर्वेद, सिद्ध व यूनानी तथा होम्योपैथी औषधियों के लिए उत्तम विनिर्माण पद्धतियां अधिसूचित की है। ग्राहकों के लिए उत्तम गुणवत्तायुक्त औषधियों के उत्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। भेषजियों पर जीएमपी आवश्यकताओं को लागू करना कानूनी बाध्यकारिता है। ये आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:

(i) कच्चे माल का प्रापण और भण्डारण

(ii) विनिमार्ण प्रक्रिया क्षेत्र

(iii) गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड

(iv) तैयार माल का भण्डार

(v) कार्यालय

(vi) अस्वीकृत माल/औषधि का भण्डार

(vii) औषधियों की विभिन्न श्रेणियों के विनिर्माण के लिए विभिन्न खण्ड

(viii) अन्य क्रियाकलाप

5.2 इसी प्रकार, औषधियों का स्वच्छ वातावरण में तथा किफायती तरीके से विनिर्माण करने के लिए विशेष उपकरण की पहचान की गई है। औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम नियम के तहत जीएमपी के क्रियान्वयन के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथिक औषधि विनिर्माण इकाईयों की मौजूदा अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता होगी। राज्य सरकारों को इस घटक के तहत उपकरण सुदृढ़ बनाने के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।

5.2.1 <u>भवन</u>

5.2.1.1 कार्यालय

क. कच्चे माल का स्टोर।

ख. पैकिंग सामग्री का स्टोर।

ग. तैयार माल का स्टोर।

घ. अस्वीकृत माल स्टोर।

ङ. अभिलेख अनुभाग।

च. फार्माकोग्नोस्टिकल, पादप रसायान, सूक्ष्म जैविकीय परीक्षण तथा अन्य संबंधित सुविधाओं के लिए - गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग।

छ. भण्डारण सुविधाएं।

ज. विनिर्माण क्षेत्र।

5.2.1.2 विनिर्माण अनुभाग:

क. अंजन/पिस्ती अनुभाग।

ख. चूर्ण अनुभाग।

ग. टेबलेट अनुभाग।

घ. कुपी पक्व/फर्नेस/बॉयलर अनुभाग।

ङ. कैप्सूल अनुभाग।

च. ऑइंटमेंट अनुभाग।

छ. पाक/अवलेह अनुभाग।

ज. सिरप/लिक्विड अनुभाग।

झ. अश्व/अरिष्ट अनुभाग।

ञ. अश्चयोत्तम/नेत्र मलहम अनुभाग।

ट. खमीर अनुभाग।

ठ. काजल/अंजन अनुभाग।

ड. अन्य।

5.2.1.3 गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग

अपेक्षित क्षेत्र = 10,000 वर्ग फीट से 20,000 वर्ग फीट।

राज्य संचालित भेषजी का उपरोक्त दर्शाए गए क्षेत्र में निर्माण स्थान होना चाहिए। उनको स्कीम में मौजूदा बुनियादी ढांचे और नवीकरण/विस्तार का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से करना चाहिए।

5.2.2 <u>मशीनरी एवं उपकरण:</u>

5.2.2.1 फार्मेसी उपकरणों का विवरण निम्नलिखित हैं:-

<u>एएसयू एवं एच औषधियों हेतु एक फार्मेसी के लिए अपेक्षित उपकरणों की सूची</u>

क्र.सं.	उपकरणों के नाम
1.	खरल/मोटरयुक्त खरल
2.	जेनेरेटर
3.	बॉल-मिल सीव
4.	शिफ्टर
5.	ग्राईंडर
6.	डिसिंटिग्रेटर
7.	पुलवराईजर
8.	पाउडर मिक्सर
9.	बॉल मिल
10.	मास मिक्सर

11.	स्टेनलेस स्टील ट्रे
12.	ड्रायर
13.	ग्रानुलेटर ड्रायर
14.	टेबलेट कंप्रेसिंग मशीन और सुगर कोटिंग
15.	भाट्ट
16.	इलेक्ट्रिक मफल् फ्यूरेंस
17.	एंड/एज रनर
18.	एयर कंडीशनर
19.	दे-हुमिदिफियर
20.	हाइड्रोमीटर (डिजिटल)
21.	कैप्सूल फिलिंग मशीन
22.	केमिकल बैलेंस
23.	ट्यूब फिलिंग मशीन
24.	ओइंटमेंट मिक्सर
25.	टिंकटम प्रेस
26.	बॉटल वाशिंग मशीन
27.	फिल्टर प्रेस
28.	ग्रेविटी फिल्टर लिक्विड फिलिंग टैंक, टैप के साथ
29.	ग्रेविटि लिक्विड फिलिंग मशीन
30.	पी.पी. कोपिंग मशीन
31.	फर्मेंटेशन टैंक कंटेनर
32.	डिस्टिलेशन प्लांट
33.	मेसर्सन टेंक
34.	होट एयर ओवेन
35.	ट्यूब फिलिंग इक्युपमेंट
36.	ऑटोक्लेव (होरीजोंटल)
37.	हमेरिंग मशीन नं. II.
38.	जूस मशीन
39.	मल्टी पंच/टेबलेट मशीन
40.	वायल सीलिंग मशीन
41.	बॉटल कैप सिलिंग मशीन
42.	हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड पॉल्लेट ट्रक्स
43.	डस्ट एक्सट्रेक्शन इक्यूपमेंट
44.	वेट ग्राइंडर

45.	रेजुबल फाइबर बोर्ड कंटेनर रिंग सिल समेत
46.	इंस्टेंट बॉयलर फॉर स्ट्रीम जेनेरेशन
47.	वेजिंग मशीन
48.	ऑटोमेटिक वाटर फिलिंग यूनिट (बॉटल वाशिंग, ग्राइंड ऑटोमेटिक फिलिंग, कैपसूल सीलिंग, लेबल पेस्टिंग) – एप्रोक्सिमेट केपिसिटी 1 लाख बॉटल प्रति दिन।
49.	फर्मेटेशन यूनिट – ऑटोमेटिक टेंपरेचर एंड एचपी कंट्रोल, इस्टीमेशन ऑफ अल्कोहॉल (2000 4000 कैपिसिटी)
50.	स्टीम बॉयलर यूनिट
51.	हाई स्पीड लेबोरेटरी टेबलेट कंटेनिंग मशीन
52.	कैप्सूल फिलिंग मशीन (सेमी-ऑटोमेटिक)
53.	फर्मेटेशन टेंक (2000-5000 लीटर) 20
54.	डबल बॉल स्टीम जैकेट, बॉयलिंग पेंट - 5
55.	फार्मेसी से संबंधित अन्य चीजें

5.2.2.2 कुल वित्तीय विवक्षा:

क्र. सं.	घटक	निधियन का तरीका
1.	नई राज्य सरकार एएसयू एवं एच भेषजियों/राज्य सरकार एएसयू एवं एच सहकारी समितियों, राज्य सरकार एएसयू एवं एच, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को सहायता अनुदान - भवन और उपकरण (एकमुश्त)	350.00 लाख (अर्थात 500 लाख रुपये का 70%)
	नई राज्य सरकार एएसयू एवं एच भेषजियों/राज्य सरकार एएसयू एवं एच सहकारी समितियों, राज्य सरकार एएसयू एवं एच, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को सहायता अनुदान - जनशक्ति, अभिकर्मकों, रसायन आदि (आवर्ती)	150.00 लाख (अर्थात 500 लाख रुपये का 30%)
2.	मौजूदा राज्य सरकार एएसयू एवं एच भेषजियों/राज्य सरकार एएसयू एवं एच सहकारी समितियों, राज्य सरकार एएसयू एवं एच, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को सहायता अनुदान - भवन और उपकरण (एकमुश्त)	150.00 लाख (अर्थात 500 लाख रुपये का 30%)
	नई राज्य सरकार एएसयू एवं एच भेषजियों/राज्य सरकार एएसयू एवं एच सहकारी समितियों, राज्य सरकार एएसयू एवं एच, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को सहायता अनुदान - जनशक्ति, अभिकर्मकों, रसायन आदि (आवर्ती)	150.00 लाख (अर्थात 500 लाख रुपये का 30% क्योंकि आवर्ती अनुदान पहले मुहैया नहीं किया गया)

5.2.3 **<u>कार्यशील पूंजी:</u>**

केंद्रीय सरकार सहायता की मदद से जैसे ही भवन/उपकरण प्राप्त हो जाएंगे, राज्य/संघ राज्य सरकारें उच्च उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए इकाई बनाने हेतु कार्यशील पूंजी व कच्चामाल इत्यादि प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगी।

5.2.4 <u>जनशक्ति</u>

अतिरिक्त मशीनरी चलाने के लिए मानव श्रम लागत वहन करने हेतु राज्य/संघ राज्य सरकार सुनिश्चित करेंगे।

5.2.5 <u>सहायता प्राप्त करने की पात्रता:</u>

क. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/संस्थान पात्र होंगे। आवेदक भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने के पश्चात अपने संसाधनों से योजना जारी रखने के लिए वचन देंगे।

ख. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी सहकारी समितियां/निगम, सरकार के बड़े हिस्से वाली भेषजीय इकाइयां भी पात्र होंगी, बशर्ते उनकी अनुशंसा राज्य/संघ राज्य सरकार करें। इस तरह के मामले में निधियां सीधे संस्थान को जारी की जाएंगी।

ग. जिन एएसयू एवं एच फार्मेसियों ने पुरानी स्कीम के तहत अनुदान प्राप्त किया है, वे नई संशोधित स्कीम के अनुसार अतिरिक्त राशि के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उन्होंने 2.00 करोड़ के पूर्व प्राप्त अनुदान का पूर्ण उपयोग कर लिया हो और पूरी उत्पादन क्षमता हासिल कर ली हो।

<u>प्रपत्र-1</u>

राज्य सरकार एएसयू एवं एच भेषजियों/राज्य सरकार एएसयू एवं एच सहकारी समितियों, राज्य सरकार एएसयू एवं एच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायतानुदान देने के लिए आवेदक का प्रपत्र

1. राज्य सरकार/आयुष निदेशालय अथवा अन्य संस्थान का नाम एवं पता (ई-मेल, दूरभाष सं., फैक्स नं. सहित):
2. भेषजी के प्रभारी का नाम (अर्हता सहित)
3. पूरे पते सहित भेषजी का स्थान (प्रभारी का नाम)
4. भेषजी की स्थापना का वर्ष
5. वार्षिक बजट
6. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी भेषजी के लिए प्रयोगशाला और विभिन्न खंडों हेतु उपलब्ध आच्छादित क्षेत्र
7. भेषजी का वर्तमान कार्यकलाप
8. भेषजी की कुल बिक्री (पिछले दो वर्षों का ब्यौरा दें)
9. मौजूदा जनशक्ति (नियुक्ति और अर्हताओं सहित)
10. मौजूदा प्रमुख उपकरणों/मशीनरी के ब्यौरे (इसे पृथक पत्र पर ब्यौरे सहित प्रस्तुत किया जा सकता है)
11. केंद्र सरकार से निधियों की आवश्यकता (कृपया अलग पत्र का प्रयोग करें)

    (क) भवन (औचित्य और मानचित्र सहित उल्लेख करें) :

    (ख) औचित्य तथा अनुमानित लागत एवं विशेष विवरण सहित उपकरण:

    (ग) जनशक्ति (अर्हता और कार्य की प्रकृति सहित) :

12. (क), (ख) और (ग) के लिए केंद्र सरकार से कुल निधि आवश्यकता
13. राज्य सरकार/संस्थान का योगदान
14. केंद्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करने के बाद भेषजी चलाने के लिए राज्य निदेशालय की तत्परता
15. कृपया उल्लेख करें कि सृजित अवसंरचना का स्कीम के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा।

16. क्या ऐसी स्कीम के लिए केंद्र/राज्य/संघ राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से कोई सहायता प्राप्त हुई है? यदि हां तो कृपया उल्लेख करें और प्रमाण पत्र संलग्न करें।

17. राज्य सरकार संगठन का किस प्रकार आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधों के नमूना परीक्षण की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है?

18. संगठन का लेखा किस प्रकार लेखा परीक्षित किया जा रहा है (सरकार, लेखा परीक्षक/सनद लेखाकार)

19. अनुसूचित बैंक का नाम जहां खाता अनुरक्षित किया जा रहा है।

20. दो पदाधिकारियों के नाम जो संयुक्त रूप से खातों का प्रचालन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

21. स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध का औचित्य दर्शाने वाली कोई अन्य संगत सूचना।

22. राज्य में आयुष औषध विनिर्माण एकांशों की संख्या।

23. निदेशक, एएसयू एवं हो. विभाग, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा संगठन के नियंत्रण अधिकारी की सिफारिश

24. अन्य संस्थानों के मामले में संस्थान के प्रमुख/विश्वविद्यालय के कुलसचिव की सिफारिश

संस्थान के प्रमुख/विश्वविद्यालय के कुल सचिव के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और
दूरभाष/फैक्स नं. सहित मुहर

6. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एवं एच) औषधों की राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सहायता अनुदान

इस संघटक में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधों के परीक्षण हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं (डीटीएल) को सुदृढ़ करने के लिए प्रावधान किया गया है।

7. **<u>उद्देश्य :</u>**

7.1 औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की मांग को पूरा करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तथा आश्वासन हेतु आयुर्वेद, सिद्, यूनानी एवं होम्योपैथी की राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना।

7.2 औषध परीक्षण सुविधाओं की पहुंच में सुधार करना और गुणवत्ता नियंत्रण में सम्मिलित कार्मिकों के प्रशिक्षण जैसी सेवाओं तथा प्रणालियों का विस्तार करना। गुणवत्तायुक्त औषधों का उत्पादन करने और अंतरगृह गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षा देने में विनिर्माता उद्योग का मार्गदर्शन करना तथा सहायता देना।

7.3 ये प्रयोगशालाएं भुगतान के आधार पर उत्पादों के गुणवत्ता आश्वासन में निजी औषध विनिर्माताओं की मदद करेंगी।

7.4 इन प्रयोगशालाओं में योग्य वैज्ञानिक कार्मिकों की तैनाती और आधुनिक परीक्षण उपकरणों की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव के दीर्घावधि उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

क. पूरे देश में एएसयू एंड एच औषधों के लिए औषध परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना।

ख. इन पद्धतियों की औषध गुणवत्ता औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करना।

ग. घटिया औषधों के उत्पादन और विपणन पर नियंत्रण करना।

घ. एएसयू एंड एच औषधों की गुणवत्ता के बारे में जनता को जागरुक करना और देश में उपलब्ध असली औषधों पर जनता का विश्वास पुन: स्थापित करना ।

7.5 राज्य प्रयोगशालाएं औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधों के लिए सांविधिक परीक्षण/विश्लेषण हेतु उत्तरदायी

होंगी और उन पर अपनी रिपोर्ट आयुष के राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेंगी।

7.6 महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि जैसे बड़े राज्य, यदि आवश्यक हों तो एक से अधिक औषध परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर सकते हैं।

8. <u>अवसंरचना आवश्यकता :-</u>

8.1 <u>भवन आवश्यकता:</u>

आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपथी औषधों संबंधी औषध परीक्षण कार्यकलापों हेतु निम्नलिखित भवन संघटकों की आवश्यकता होती है :

1.	राज्य औषध विश्लेषक तथा प्रशासनिक कार्यालय	200 x 2 = 400 वर्ग फिट
2.	औषध नमूना स्टोर (स्ट्रांग रूम)	= 200 वर्ग फिट
3.	रसायन शास्त्र प्रयोगशालाएं	600 x 2 = 1200 वर्ग फिट
4.	भेषज अभिज्ञान/वनस्पति प्रयोगशालांए	600 x 2 = 1200 वर्ग फिट
5.	उपकरण कक्ष	= 500 वर्ग फिट
6.	आयुर्वेदिक/सिद्ध/यूनानी/होम्योपैथी खंड	= 500.वर्ग फिट
7.	भंडार/विविध	
8.	पशु गृह इत्यादि	
9.	सूक्ष्मजैविकी खंड	= 2000 वर्ग फिट
	कुल	**= 6,000** वर्ग फिट

प्रति प्रयोगशाला डीटीएल भवन के पुनरुद्धार अथवा विस्तार, टेबल, फिक्सचर, रैक, कूलर/ एसी इत्यादि के लिए।

8.2 <u>औषध परीक्षण प्रयोगशाला के लिए मानव संसाधन की मांग:</u>

8.2.1 <u>वनस्पति विज्ञान/भेषज अभिज्ञान प्रयोगशाला :</u>

क.वैज्ञानिक अधिकारी (एम. फार्मा/पीएच.डी) या बी.फार्मा/एम.एससी.

ख.विश्लेषक/लैब तकनीशियन (बी.एससी)

8.2.2 <u>रसायन शास्त्र अनुभाग:</u>

क. वैज्ञानिक अधिकारी (एम. फार्मा/पीएच.डी) या बी.फार्मा/एम.एससी.
ख. विश्लेषक/लैब तकनीशियन (बी.एससी)

8.2.3 <u>आयुष अनुभाग:</u>

क. वैज्ञानिक अधिकारी (आयु./सिद्ध/यूनानी/हो.)

एमडी (रसशास्त्र/द्रव्यगुण/कुस्ता देवसाज/एएसयू एंड एच फार्मेसी/होम्योपैथी मटेरिया मेडिका)

या

बीएएमएस/बीएसएमएस/बीयूएमएस/बीएचएमस

ख. प्रयोगशाला अनुचर

ग. सफाईवाला

8.2.4 <u>सूक्ष्म जीवविज्ञान और विषविज्ञान अनुभाग :</u>

एमएससी/पीएचडी/पीजी के साथ संबंधित विषय में एक विशेषज्ञ।

टिप्पण: जहां तक औषध परीक्षण प्रयोगशाला हेतु अनुबंध से जनशक्ति की परिलब्धियों का संबंध है वैज्ञानिक अधिकारी/विश्लेषक/लैब तकनीशियन इत्यादि की परिलब्धियां शामिल कर ली गईं हैं। पीएचडी/एमडी (एएसयू एंड एच)/एमफार्मा/एम टेक को प्रतिमाह 25000 रुपए + एचआरए, एमएससी/ बीएएमएस को प्रतिमाह 20000 रुपए + एचआरए, बीएससी को प्रतिमाह 15000 रुपए + एचआरए दर्शाए गए हैं।

8.3 <u>उपकरण:-</u>

उपकरण घटक के लिए अधिकतम राशि - 320.00 लाख रुपए (400.00 लाख रुपए के कुल सहायतानुदान का 80%)

अनुशंसित डीटीएल उपकरणों का विवरण निम्नलिखित है-

8.4 एएसयू एंड एच औषधों के लिए औषध परीक्षण प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची

क्र.सं.	**रसायन शास्त्र अनुभाग**
1.	ऐल्कोहॉल निर्धारण उपकरण पूरा
2.	वाष्पशील तेल निर्धारण उपकरण
3.	क्वथनांक निर्धारण उपकरण
4.	गलनांक बिन्दु निर्धारण उपकरण
5.	रिफ्रेक्ट्रोमीटर
6.	पोलरीमीटर
7.	विस्सीमीटर (सोवाल्ड्स, रेडवुड विस्कोमीटर)
8.	गोली विघटन उपकरण
9.	नमी निर्धारण उपकरण (आईसी फिल्ट्रेटर)
10.	यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
11.	ओढ़नी भट्ठी
12.	बिजली का तुला
13.	गरम हवा (ओवन) तापमान/वैक्यू ओवन के विभिन्न रेंज
14.	रेफ्रीजरेटर
15.	ग्लास/इस्पात आसवन उपकरण
16.	जलपूर्ति अखनिजीकृत विनिमय उपकरण
17.	अत्याधुनिक उपकरणों के लिए एयर कंडीशनर
18.	गैस सिलेंडर और बर्नर
19.	जल स्नान विद्युत यंत्र (तापमान नियंत्रक)
20.	ताप प्रावरण
21.	सभी सामान के साथ टीएलसी उपकरण
22.	सीव साइज 10 से 120 तक सीव शेकर सहित
23.	अपकेंद्रित्र मशीन
24.	अनार्द्रता कारक
25.	बेंच शीर्ष पीएच मीटर
26.	सीमा परीक्षण उपकरण (पीबी, भारी धातुओं के रूप में)
27.	माइक्रोफोटोग्राफी स्कोप
28.	एचपीटीएलसी (हाई प्रोफाइल पतली परत क्रोमेटोग्राफी)
29.	एचपीएलसी (कम्प्यूटर नियत्रित) दिदव्य डिटेक्टर सहित
30.	एफ-1 डिटेक्टर के साथ जीएलसी
31.	परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
32.	कम्प्यूटर पीसी इत्यादि के साथ (आवश्यकतानुसार)

33. गोली विघटन परीक्षक

34. गोली मुलायमता परीक्षक

क्र.सं. भेषज अभिज्ञान

1. माइक्रोस्कोप बायनोकूलर (1) जिक्स
2. विदारक माइक्रोस्कोप
3. रोटरी सूक्ष्म
4. रासायनिक संतुलन
5. माइक्रो स्लाइड कैबिनेट
6. एल्यूमिनियम स्लाइड ट्रे
7. गरम हवा ओवन
8. ऑक्यूलर माइक्रोमीटर
9. स्टेज माइक्रोमीटर
10. कैमरा ल्यूसिडा प्रीजम टाइप और मिरर टाइप
11. हॉटप्ले (4)
12. प्रशीतक
13. एलपीजी सिलेंडर और बर्नर
14. अन्य महत्वपूर्ण उपस्कर, मशीनरी, सामग्री और आपूर्तियां आवश्यकतानुसार

15 जनरेटर

16 प्रयोगशाला से संबंधित अन्य चीजें

क्र.सं. सूक्ष्म जीव विज्ञान अनुभाग

1. लामिना एयर फ्लो बेंच

2. बीओडी इनक्यूबेटर

3. प्लेन इनक्यूबेटर

4. सीरोलॉजिकल जल स्नान

5. ओवन

6. ऑटोक्लेव/जीवाणु न बनाने वाला पदार्थ

7. माइक्रोस्कोप (उच्च शक्ति)

8. कोलोनी काउन्टर

9. अन्य संबंधित उपकरण और अभिकर्मक

8.5 कुल वित्तीय विवक्षाएं

क्र. सं.	संघटक	निधियन स्वरूप
1.	एएसयू एवं एच औषधों की **नई** राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सहायतानुदान - भवन और उपकरण (एकमुश्त)	320.00 लाख रुपए (अर्थात 400 लाख रु. का 80%)
	एएसयू एवं एच औषधों की **नई** राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सहायतानुदान - अभिकर्मकों, रसायन आदि (आवर्ती)	80.00 लाख रुपए (अर्थात 400 लाख रु. का 20%)
2.	एएसयू एवं एच औषधों की **मौजूदा** राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सहायतानुदान - भवन और उपकरण (एकमुश्त)	70.00 लाख रुपए (अर्थात 320 लाख रु. में से पहले प्रदान किए गए 250 लाख रु. घटाकर)
	एएसयू एवं एच औषधों की **मौजूदा** राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सहायतानुदान - अभिकर्मकों, रसायन आदि (आवर्ती)	80.00 लाख रुपए (अर्थात 400 लाख रु. का 20% क्योंकि आवर्ती अनुदान पहले प्रदान नहीं किया गया था)
3.	राज्य डीटीएल हेतु तकनीकी जनशक्ति सहायता	प्रतिवर्ष 25.00 लाख रुपए प्रति प्रयोगशाला 2 वर्षों के लिए

यदि अनुदान पहले ले लिया गया हो तो वह राशि एनएएम के तहत निर्मुक्त सहायतानुदान में से घटाई जाएगी।

8.6 पात्रता:

क. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र एएसयू एवं एच औषधों के लिए डीटीएल स्थापित करने और अपनी मौजूदा डीटीएल का सुदृढीकरण करने के पात्र हैं।

ख. विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाएं और सरकार तथा अनुसंधान परिषदों की अन्य राष्ट्रीय प्रख्यात प्रयोगशालाएं, जो स्कीम के अंतर्गत आयुष विभाग द्वारा प्रत्यायित हैं, भी पात्र होंगी। इस क्षेणी में, एएसयू एवं एच औषध परीक्षण आदि पर पहले से ही कार्य कर रही प्रयोगशालाओं पर उनके निरीक्षण के बाद विचार किया जाएगा।

ग. राज्य डीटीएल (आयुष) प्रयोगशाला जिसने पहले से ही सहायता प्राप्त कर ली है वह

भी स्कीम के अंतर्गत कुल नए अनुमेय अनुदान तक अतिरिक्त अनुदान के लिए पात्र होगी बशर्ते उसने अपने 150.00 लाख रुपए के पूर्व अनुदान का उपयोग कर लिया हो और प्रयोगशाला कार्यशील हो।

घ. प्रति राज्य दो औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं से अधिक को सहायता नहीं दी जाएगी और राज्य प्रयोगशालाओं को पूर्व में दी गई निधियां अनुदान में से घटा ली जाएंगी।

ङ. राज्य में एक वर्ष में परीक्षित औषध नमूनों की संख्या पर निर्भर करते हुए विशेष मामले के रूप में, स्कीम के अंतर्गत एक राज्य में आयुष के लिए एक से अधिक प्रयोगशाला पर विचार किया जा सकता है।

प्रपत्र-2

आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयू एवं एच) औषधों की राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सहायतानुदान देने के लिए आवेदक का प्रपत्र

1. राज्य सरकार/भाचिप एवं हो. निदेशालय अथवा अन्य संस्थान का नाम एवं पता (ई-मेल, दूरभाष सं., फैक्स नं. सहित):
2. प्रयोगशाला के प्रभारी का नाम (अर्हता सहित)
3. पूरे पते सहित प्रयोगशाला का स्थान (प्रभारी का नाम)
4. प्रयोगशाला की स्थापना का वर्ष
5. वार्षिक बजट
6. प्रयोगशाला और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषध परीक्षण के लिए विभिन्न खंडों के लिए उपलब्ध आच्छादित क्षेत्र
7. प्रयोगशाला का वर्तमान कार्यकलाप
8. प्रतिवर्ष नमूनों की संख्या सहित किए गए परीक्षणों के प्रकार (पिछले दो वर्षों का ब्यौरा दें)
9. मौजूदा जनशक्ति (नियुक्ति और अर्हताओं सहित)
10. मौजूदा प्रमुख उपकरणों/मशीनरी के ब्यौरे (इसे पृथक पत्र पर ब्यौरे सहित प्रस्तुत किया जा सकता है)

    i) केंद्र सरकार से निधियों की आवश्यकता (कृपया अलग पत्र का प्रयोग करें)

    (क) भवन (औचित्य और मानचित्र सहित उल्लेख करें) :

    (ख) औचित्य तथा अनुमानित लागत एवं विशेष विवरण सहित उपकरण:

    (ग) जनशक्ति (अर्हता और कार्य की प्रकृति सहित) :

12. (क), (ख) और (ग) के लिए केंद्र सरकार से कुल निधि आवश्यकता
13. राज्य सरकार/संस्थान का योगदान
14. केंद्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करने के बाद डीटीएल चलाने के लिए राज्य निदेशालय की तत्परता
15. कृपया उल्लेख करें कि सृजित अवसंरचना का स्कीम के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा।

16. क्या ऐसी स्कीम के लिए केंद्र/राज्य/संघ राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से कोई सहायता प्राप्त हुई है? यदि हां तो कृपया उल्लेख करें और प्रमाण पत्र संलग्न करें।

17. राज्य सरकार संगठन का किस प्रकार आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधों के नमूना परीक्षण की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है?

18. संगठन का लेखा किस प्रकार लेखा परीक्षित किया जा रहा है (सरकार, लेखा परीक्षक/सनद लेखाकार)

19. अनुसूचित बैंक का नाम जहां खाता अनुरक्षित किया जा रहा है।

20. दो पदाधिकारियों के नाम जो संयुक्त रूप से खातों का प्रचालन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

21. स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध का औचित्य दर्शाने वाली कोई अन्य संगत सूचना

22. राज्य में आयुष औषध विनिर्माण एकांशों की संख्या

23. निदेशक, भाचिप एवं हो. विभाग, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा संगठन के नियंत्रण अधिकारी की सिफारिश

24. अन्य संस्थानों के मामले में संस्थान के प्रमुख/विश्वविद्यालय के पंजीयक की सिफारिश

संस्थान के प्रमुख/विश्वविद्यालय के पंजीयक के
हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और
दूरभाष/फैक्स नं. सहित मुहर

9. एएसयू एवं एच औषध नियंत्रण ढांचे का सुदृढ़ीकरण

9.1 राज्यों में एएसयू एवं एच औषध नियंत्रण ढांचे के और सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केवल 12वीं योजना की अवधि के लिए पहली किस्त के रूप में 20.00 लाख रुपए प्रति एकांश और दूसरी किस्त के रूप में 30.00 लाख रुपए प्रति एकांश वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। निम्नलिखित मदों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी :

i. एकांश सर्वेक्षण और औषध नमूनों के एकत्रण के लिए राज्य आयुष औषध निरीक्षकों के लिए वाहन (दो पहिया) की खरीद

ii. आयुष औषध नियंत्रक/लाइसेंसिग प्राधिकरण के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण पर व्यय

iii. सांविधिक/सर्वेक्षण नमूनों के एकत्रण पर व्यय (प्रति वर्ष अधिकतम 2.00 लाख रुपए)

iv. अनुमोदित लागत मानदंडों के अनुसार भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला (पीएलआईएम)/एचपीएल/एनएबीएल के तकनीकी स्टाफ के प्रशिक्षण पर व्यय

9.2 उपरोक्त व्यय इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि एक कार्यात्मक औषध परीक्षण प्रयोगशाला होगी और एएसयू एवं एच औषधों के लिए एक पृथक कार्यात्मक प्रवर्तन तंत्र होगा और साथ ही संबंधित राज्य विनिर्माण एकांशों और उनके उत्पादों का डाटा बेस तैयार करेंगे और एएसयू एवं एच औषधियों के लिए फाइल आधारित लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करेंगे और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड को अपने राज्य में एकांशों के औषधीय पादप उपभोग/आपूर्ति संबंधी आंकड़े भी प्रस्तुत करेंगे और उपरोक्त के अनुसार प्रति एकांश औषध परीक्षण की न्यूनतम संख्या लेंगे। राज्य एएसयू एवं एच लाइसेंसिंग प्राधिकरणों/औषध नियंत्रकों में आवश्यक विनियामक जनशक्ति संलग्न करने के लिए सहायता नम्य घटक में शामिल की जाएगी।

9.3 मिशन के अंतर्गत सहायतानुदान प्राप्त करने के लिए अनुदानग्राही संस्थान/राज्य सरकार निम्नलिखित प्रपत्र-3 में आवेदन करेगी।

10. निधियन स्वरूप:-

क्र.सं.	**घटक**	**निधियन स्वरूप**
1.	एएसयू एवं एच औषध नियंत्रण ढांचे के सुदृढीकरण के लिए सहायतानुदान-अग्रिम	पहली किस्त के रूप में 20.00 लाख रुपए प्रति एकांश
2.	एएसयू एवं एच औषध नियंत्रण ढांचे के सुदृढीकरण के लिए सहायतानुदान-शेष	दूसरी किस्त के रूप में शेष 30.00 लाख रुपए जो अगले वर्ष अदा किए जाएंगे।

प्रपत्र -3

एएसयू एवं एच औषध नियंत्रण ढांचे के सुदृढीकरण के लिए सहायतानुदान हेतु आवेदन फार्म

1 राज्य सरकार/भाचिप एवं हो. निदेशालय का नाम एवं पता (दूरभाष, फैक्स नं. सहित)

2. भाचिप एवं हो. के कार्यात्मक राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के संगठनात्मक ढांचे का ब्यौरा

3. अवसंरचना:

   (क) मौजूदा जनशक्ति और उनकी अर्हताएं (पृथक पत्र में संलग्न करें)।

   (ख) मौजूदा भवन और उपकरण (कम्प्यूटर सहित)।

   (ग) औषध निरीक्षकों की संख्या और उनकी अर्हताएं।

4. राज्य में लाइसेंस प्राप्त आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी भेषजियों की संख्या।

5. सरकारी औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं और अन्य मान्यताप्राप्त निजी औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं।

6. पिछले वर्ष के दौरान औषधि एवं प्रसाधन नियमावली के अंतर्गत एकत्र, परीक्षित तथा घटिया किए गए सर्वेक्षण नमूनों की संख्या।

7. पिछले वर्ष के दौरान औषधि एवं प्रसाधन नियमावली के अंतर्गत एकत्र, परीक्षित तथा घटिया सांविधिक नमूनों की संख्या।

8. औषध निरीक्षकों को दी गई पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण की स्थिति।

9. उन विनिर्माण एकांशों की सख्या जिन्हें जीएमपी प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

10. केंद्र सरकार से अपेक्षाएं:

    (क) राज्य आयुष औषध निरीक्षकों के लिए (दो पहिया) का प्रावधान।

    (ख) कम्प्यूटरीकरण/फैक्स आदि पर व्यय।

    (ग) अधिकतम 2.00 लाख रुपए तक एएसयू एवं एच औषध नमूनों पर व्यय।

    (घ) दिशानिर्देशों के अनुसार पीएलआईएम/एचपीएल/एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं द्वारा प्रवर्तन स्टाफ के परीक्षण पर व्यय।

11. केंद्र सरकार से अपेक्षित कुल निधियां (क से घ तक)।

12. राज्य सरकार/संगठन किस प्रकार भाचिप एवं हो. औषधों के नमूना परीक्षण की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव करती है।

13. संगठन का लेखा किस प्रकार लेखा परीक्षित किया जा रहा है (सरकार, लेखा परीक्षक/ सनद लेखाकार)

14. अनुसूचित बैंक का नाम जहां खाता अनुरक्षित किया जा रहा है।

15. दो पदाधिकारियों के नाम जो संयुक्त रूप से खातों का प्रचालन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

16. स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध का औचित्य दर्शाने वाली कोई अन्य संगत सूचना

17. (i) राज्य में आयुष औषध विनिर्माण एकांशों की संख्या

    (ii) मुख्य एकांशों के नाम और उनकी अनुमानित वार्षिक बिक्री

प्रयोगशाला/संस्थान के प्रभारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम
सहित मुहर

निदेशक, आयुष विभाग, राज्य सरकार/संघ राज्य सरकार अथवा संगठन के नियंत्रण अधिकारी की सिफारिश

हस्ताक्षर, नाम, पदनाम

स्थान: सहित कार्यालय मुहर

दिनांक: दूरभाष/फैक्स नं.

11. राज्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सामग्री के प्रलेखन, प्रकाशन एवं प्रसारण हेतु एएसयू एंड एच औषधों के राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को सहायता अनुदान

12वीं योजना के प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक राज्य के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सामग्री के प्रलेखन, प्रकाशन एवं प्रसारण हेतु एएसयू एंड एच औषधों के राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को जागरुकता पैदा करने के लिए 8.00 लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया जाएगा।

12. **निधियन स्वरूप:-**

क्र.सं.	**घटक**	**निधियन स्वरूप**
1.	राज्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सामग्री के प्रलेखन, प्रकाशन एवं प्रसारण हेतु एएसयू एंड एच औषधों के राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को सहायता	प्रति वर्ष 8.00 लाख रुपए

प्रपत्र -4

राज्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सामग्री के प्रलेखन, प्रकाशन एवं प्रसारण हेतु एएसयू एंड एच औषधों के राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को सहायता अनुदान

1. राज्य औषध अनुज्ञप्ति प्राधिकारी (आयुष) का
   नाम, पूरे पते सहित,
   दूरभाष सं., फैक्स, ई-मेल

2. जागरुकता कार्यक्रम के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण हेतु सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव

3. कोई अन्य सूचना

4. अग्रेषक प्राधिकारी

स्थान (हस्ताक्षर, नाम, पदनाम)

दिनांक

दूरभाष सं., फैक्स सं. एवं कार्यालय मुहर

13. सर्वेक्षण/मूर्तिकला नमूनों के परीक्षण हेतु सहायता अनुदान

1. पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 500 सर्वेक्षणों/मूर्तिकला सर्वेक्षणों के परीक्षण हेतु प्रति वर्ष 5.00 लाख रुपए का सहायता अनुदान।
2. अन्य राज्यों को प्रति वर्ष 1500 एएसयू औषध नमूनों के परीक्षण हेतु 15.00 लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया जाएगा।

14. निधियन स्वरूप:-

घटक	निधियन स्वरूप
औषधों का गुणवत्ता परीक्षण	असम के सिवाय पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 500 सर्वेक्षणों/मूर्तिकला नमूनों के परीक्षण हेतु प्रति वर्ष 5.00 लाख
	अन्य राज्यों के लिए 1500 औषध नमूनों के परीक्षण हेतु प्रति वर्ष 15.00 लाख रुपए

प्रपत्र -5

सर्वेक्षण/मूर्तिकला नमूनों के परीक्षण हेतु सहायता अनुदान

1. राज्य का नाम और पूरा पता,
   दूरभाष सं., फैक्स, ई-मेल
2. 500 सर्वेक्षणों/मूर्तिकला नमूनों के परीक्षण हेतु सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव
3. कोई अन्य सूचना
4. अग्रेषक प्राधिकारी
5. अपेक्षित अनुदान
6. औचित्य

स्थान (हस्ताक्षर, नाम, पदनाम)

दिनांक

दूरभाष सं., फैक्स सं. एवं कार्यालय मुहर

राष्ट्रीय आयुष मिशन

प्रचालन दिशानिर्देश

औषधीय पादप

सत्यमेव जयते
Government of India

आयुष विभाग

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

राष्ट्रीय आयुष मिशन

औषधीय पादपों हेतु प्रचालनात्मक दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 औषधीय पादप हमारे देश की स्वास्थ्य परिचर्या परम्पराओं का मुख्य संसाधन आधार हैं। आयुष पद्धति की ओर बढ़ना और उसे स्वीकार करना, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर भी, इस बात पर निर्भर करता है कि औषधीय पादपों पर आधारित गुणवत्तायुक्त कच्ची सामग्री निरंतर उपलब्ध रहे। व्यापार में 90% से अधिक प्रजातियां आज भी वनों से प्राप्त होती हैं जिनके लगभग 2/3 भाग की प्राप्ति उन्मूलनात्मक साधनों से की जाती है।

1.2 इसलिए औषधीय पादपों की कृषि उच्चतर आय के अवसर प्रदान करने, खेती में विविधता लाने और निर्यात में वृद्धि करने के अतिरिक्त आयुष उद्योग की कच्ची सामग्री की मांग को पूरा करने की कुंजी है। औषधीय पादपों और जड़ी-बूटीयों का भारतीय निर्यात अधिकांशत: कच्ची जड़ी-बूटियों और अर्कों के रूप में होता है जो इस समय की जड़ी-बूटियों/आयुष उत्पादों के निर्यात का लगभग 60-70% है। मूल्य वर्धित मदों के निर्यात को उत्पाद विकास, प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, गुणवत्ता आश्वासन और ब्रांड संवर्धन की आवश्यकता है। वनों से असंधारणीय संग्रहण की बढ़ती चिंता, एक ओर कुछ प्रजातियों का विलोप और दूसरी ओर गुणवत्ता एवं मानकीकरण की चिंताओं ने यह अनिवार्य बना दिया है कि उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहनों, नीति और सहक्रियात्मक ढंग से अवसंरचनात्मक एवं विपणन सहायता के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए अनिवार्य प्रजातियों की कृषि को बढ़ावा दिया जाए।

2. आवश्यकता एवं औचित्य

2.1 आयुष के 95% से अधिक उत्पाद पादप आधारित होने के कारण इसकी कच्ची सामग्री के स्रोत को वनों से परिवर्तित कर कृषि आधारित करने की जरूरत है ताकि यह लम्बे समय तक चलता रहे।

2.2 विश्व व्यापार को भारी धातुओं तथा अन्य विषैली अशुद्धियों से मुक्त, मानक फाइटो-रसायनों से युक्त और प्रमाणित जैविक या बेहतर कृषि अभ्यास (जी.ए.पी.) की पूर्ति करने वाले उत्पादों की आवश्यकता है। यह केवल कृषि मार्ग के माध्यम से ही संभव है जहां उसकी अभिरक्षा व्यवस्था की श्रृंखला को बनाए रखना संभव है।

2.3 विश्व के हर्बल व्यापार में भारत का अंश लगभग 17% है। यहां भी हर्बल उत्पादों का निर्यात प्राय: कच्ची जड़ी-बूटियों के रूप में ही है क्योंकि निर्यात टोकरी का 2/3 भाग कच्ची सामग्री और अर्कों से भरा है। 120 बिलियन अमरीकी डालर के हर्बल बाजार को देखते हुये इसे बदलने की आवश्यकता है। यही कारण है कि इस योजना में उन चयनित पौधों, जिनकी आयुष उद्योगों में तथा निर्यात के लिये मांग है, के मूल्य संवर्धन और संसाधन से जुड़ी समुदाय (क्लस्टर) कृषि के लिये सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

3. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

3.1 राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में 24 नवम्बर 2000 को अधिसूचित राजकीय संकल्प के माध्यम से की गयी थी। इस बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य किसी ऐसी एजेन्सी की स्थापना करना था जो औषधीय पादपों के समन्वय से संबंधित सभी मामलों के साथ इस क्षेत्र के प्रोत्साहन एवं विकास के उद्देश्य से नीतियों का निर्धारण एवं कच्चे माल के संरक्षण, उचित पैदावार, लागत प्रभावी कृषि, अनुसंधान एवं विकास, प्रसंस्करण, विपणन की रणनीति तैयार करने के दायित्वों का निर्वहन कर सके। इसे अनिवार्य इसलिए माना गया क्योंकि एक विषय के रूप में औषधीय पादपों का संबंध पर्यावरण एवं

वन, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और वाणिज्य जैसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से रहता है इसलिये यह बोर्ड सामान्यत: औषधीय पादपों और विशेषत: निम्नलिखित क्षेत्रों के विकास के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ समन्वय का कार्य करता है:-

i) देश एवं विदेश दोनों में औषधीय पादपों से संबंधित मांग/आपूर्ति का आंकलन।

ii) औषधीय पादपों के विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं से संबंधित नीतिगत विषयों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सलाह देना।

iii) कृषि हेतु भूमि एवं औषधीय पौधों के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन के लिए अवसंरचना वाली एजेंसियों के द्वारा प्रस्तावों, स्कीमों एवं कार्यक्रमों को तैयार करने के लिये मार्गदर्शन देना।

iv) औषधीय पौधों की पहचान, सूचीबद्ध करना तथा उनकी गणना करना।

v) औषधीय पौधों के बाह्य स्थलीय एवं अंत:स्थलीय कृषि एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करना।

vi) संग्राहकों एवं उत्पादकों के मध्य सहकारिता को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें उनके उत्पादों के प्रभावी तौर पर भण्डारण, परिवहन एवं विपणन हेतु सहायता करना।

vii) औषधीय पौधों की सांख्यिकीय आधार सामग्री की स्थापना, सूचीकरण, सूचना-प्रसारण और सार्वजनिक क्षेत्र के पादपों के औषधीय प्रयोग हेतु प्राप्त किए जाने वाले पादपों के पेटेंट को रोकने में सहायता करना।

viii) कच्चे माल के साथ-साथ मूल्य वर्द्धित उत्पादों, चाहे वे औषधियों, खाद्य-पूरकों अथवा हर्बल सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री के रूप में हों, देश व विदेश में उनकी गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता संबंधी ख्याति में वृद्धि के लिए उत्पादों की बेहतर विपणन तकनीक को अपनाने सहित उनके आयात/निर्यात संबंधी मामले।

ix) वैज्ञानिक, तकनीकी अनुसंधान एवं लागत-प्रभावी अध्ययन करना और सौंपना।

x) कृषि एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए संलेखों का विकास।

xi) पेटेंट अधिकारों एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना।

3.2 दिनांक 24 नवम्बर, 2000 के मंत्रिमंडल संकल्प और दिनांक 25 जुलाई, 2008 के मंत्रिमंडल सचिवालय के का.ज्ञा.सं.सीसीईए/23/2008 (I) के अंतर्गत सम्प्रेषित आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के अनुसार बोर्ड का गठन निम्नानुसार है:-

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री - अध्यक्ष

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री - उपाध्यक्ष

(ग) आयुष, पर्यावरण एवं वन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, जैव-प्राद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, व्यय, कृषि एवं सहकारिता, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, जनजातीय मामले, पर्यटन, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

(घ) चिकित्सा नृजातीय वनस्पति, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के फार्मास्युटिकल उद्योग, विपणन एवं व्यापार और विधिक मामलों एवं पेटेंटों के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त चार नामित सदस्य।

(ङ) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी की औषधियों के निर्यातकों, औषधीय पादपों के संबंध में जागरुकता पैदा करने और उनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए उत्तरदायी गैर-सरकारी संगठनों, औषधीय पादपों को उगाने वालों, औषधीय पादपों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने वाले वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार नामित सदस्य।

(च) औषधीय पादपों से संबंधित परिसंघों/सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो नामित सदस्य।

(छ) आयुष विभाग की अनुसंधान परिषदों का एक सदस्य, भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद का एक सदस्य और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य (हर दो वर्ष में बारी-बारी से)।

(ज) संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्तर का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य-सचिव के रूप में।

3.3 10वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने "औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना" की एक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम का कार्यान्वयन किया। तथापि, 11वीं योजना के दौरान इस केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम में संशोधन किया गया ताकि संसाधनों की वृद्धि, आंतरिक संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास, दुर्लभ एवं संकटापन्न प्रजातियों के बाह्यसंरक्षण, मूल्य वर्धन, माल गोदाम बनाने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समिति को सहायता, क्षमता निर्माण तथा अच्छे संग्रहण एवं संधारणीय फसल अभ्यासों जैसे संवर्धनात्मक कार्यकलापों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सके। इस स्कीम का नाम बदलकर "संरक्षण, विकास और संधारणीय प्रबंधन हेतु केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम" रखा गया तथा उसे 321.30 करोड़ रुपये की 11वीं योजना के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया। वाणिज्यिक कृषि संबंधी संघटक को संशोधन पूर्व की केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम में से निकाल लिया गया और उससे एक नई स्कीम बनाई गई जिसमें कृषि को फसल से पूर्व और पश्चात के कार्यकलापों के साथ मिलाने का प्रयास किया गया अर्थात गुणवत्तायुक्त पादप रोपण सामग्री के लिए पौधशालाओं का विकास, एएसयू उद्योग जरूरत की प्रजातियों की कृषि, फसलोपरांत प्रबंधन हेतु सहायता, विपणन, विपणन अवसंरचना का सुधार, जैव/जीएपी प्रमाणन, गुणवत्ता आश्वासन एवं फसल बीमा। इन संघटकों को राष्ट्रीय औषध पादप मिशन की नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में शामिल किया गया जो 11वीं योजना के लिए 630.00 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित वर्ष 2008-09 के दौरान मंजूर की गई।

3.4 स्कीम के कार्यान्वयन के दौरान हुए अनुभवों और तृतीय पक्ष के स्वतंत्र मूल्यांकन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर इस स्कीम को 12वीं योजना में भी चालू रखा गया है।

4. राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन औषधीय पादपों का विकास एवं कृषि

इस संघटक को राष्ट्रीय आयुष मिशन के अधीन, 12वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु 822 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में केंद्र सरकार का अंशदान 100% होगा जबकि अन्य राज्यों में केंद्र सरकार का अंशदान 90:10 होगा।

5 उद्देश्य

5.1 औषधीय पादप जो आयुष चिकित्सा पद्धतियों की अखंडता, गुणवत्ता, प्रभावोत्पादकता और सुरक्षा की कुंजी हैं, उन्हें कृषि प्रणालियों में शामिल करके, उनकी कृषि को बढ़ावा देना जिससे कृषि किसानों को फसल विविधता का एक विकल्प मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी।

5.2 मानकीकरण तथा गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी कृषि एवं संग्रहण अभ्यासों (जीएसीपी) का अनुकरण करते हुए कृषि करना जिससे आयुष पद्धतियों की वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता में वृद्धि होगी और जड़ी-बूटीय अर्कों, फाइटो-रासायनिकों, आहार पूरकों, सौन्दर्य प्रसाधनों और आयुष उत्पादों जैसी मूल्य वर्धित वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोत्तरी होगी।

5.3 कृषि अभिसरण, भंडारण, मूल्यवर्धन एवं विपणन के माध्यम से प्रसंस्करण समूहों की स्थापना को सहायता देना और उद्यमियों के लिए अवसंरचना का विकास ताकि ऐसे समूहों में एकक स्थापित की जा सकें।

5.4 गुणवत्ता मानकों, अच्छे कृषि अभ्यासों (जीएपी), अच्छे संग्रहण अभ्यासों (सीसीपी) और अच्छे भंडारण अभ्यासों (सीएसपी) के लिए प्रमाणन क्रियाविधि को लागू करना तथा उसका समर्थन करना।

5.5 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्यीय और उप राज्यीय स्तर पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, प्रसंस्करण तथा विपणन में जुटे हुए पणधारियों के बीच भागीदारी, अभिसरण और सहक्रिया को बढ़ावा देना।

6 कार्यनीति

6.1 उत्पादन, फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन शामिल करके सम्पूर्ण दृष्टिकोण को अपनाना। औषधीय पादपों की कृषि की संभावना वाले राज्यों के चुनिन्दा जिलों में चिह्नित समूहों में औषधीय पादपों की कृषि को बढ़ावा देकर ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तायुक्त पौध-रोपण सामग्री का उत्पादन एवं आपूर्ति, प्रसंस्करण, गुणवत्ता परीक्षण, प्रमाणन, भंडारण और आयुष उद्योग की मांगों को पूरा करने तथा मूल्यवर्धित वस्तुओं के निर्यात हेतु सहक्रियात्मक अनुबंध के माध्यम से अच्छे कृषि एवं संग्रहण अभ्यासों (सीएसीपी) को अपनाना आवश्यक है।

6.2 औषधीय पादपों को इस प्रकार बढ़ावा देना कि वह कृषकों के लिए फसल का एक विकल्प बन जाएं। औषधीय पादपों की बढ़ी हुई फसल तथा प्रंसस्करण, विपणन तथा परीक्षण हेतु अनुबंधों से फसल उत्पादकों/कृषकों को पारिश्रमिक मूल्य मिलेंगे। इससे वन संग्रहण के कारण जंगलों पर बढ़ता दबाव भी कम होगा।

6.3 प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से संचार को अपनी कार्यनीति के एक सुदृढ़ संघटक के रूप में अपनाना ताकि फसल से पूर्व और उसके पश्चात के उपयुक्त अनुबंधों के माध्यम से गुणवत्ता तथा मानकीकरण पर जोर देते हुए कृषि/उद्यानिकी प्रणालियों में औषधीय पादपों के एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

6.4 स्व-सहायता दलों, पादप उगाने वाली सहकारिताओं/एसोसिएशनों/उत्पादक कंपनियों और अन्य ऐसे संगठनों, जो निर्यातकों/व्यापारियों तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं से सुदृढ़ अनुबंध रखते हैं, के माध्यम से समूहों में कृषि और प्रसंस्करण के सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना और उनको समर्थन देना।

7 कार्यान्वयन ढांचा

7.1 कार्यान्वयन ढांचे में यथावर्णित। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर के सांस्थानिक ढांचे में निम्नलिखित भी शामिल होंगे:-

7.1.1 तकनीकी छानबीन समिति (टीएससी)

7.1.1.1 सचिव (आयुष) को तकनीकी छानबीन समिति का गठन करने और इस संघटक के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के अधीन प्राप्त कार्य योजना/परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा के लिए अध्यक्ष नामित करने का अधिकार होगा। इस समिति में संगत क्षेत्रों के विशेषज्ञ तथा निम्नलिखित संगठनों/मंत्रालयों में से एक या अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे :

क. राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड के प्रतिनिधि

ख. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि

ग. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि

घ. आयुष विभाग के प्रतिनिधि

ङ. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग के प्रतिनिधि

च. सचिव, आयुष द्वारा नामांकित राष्ट्रीय विशेषज्ञों के 2 प्रतिनिधि

छ. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के प्रतिनिधि - सदस्य सचिव

राज्यों में संघटक को लागू करने के लिए एजेंसी का चयन

7.2 राज्य उद्यानिकी मिशन के निदेशक को राज्य सरकार राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित कर सकती है। जो राज्य राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के तहत नहीं आते उनकी राज्य सरकारें राज्य कृषि विभाग को नोडल विभाग के रूप में कार्यान्वयन हेतु नामित कर सकती हैं। निधियां राज्य आयुष सोसायटियों के माध्यम से निर्मुक्त की जाएंगी ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधियां समय से मिलती रहें। एक विकल्प यह भी है कि राज्य सरकारें राज्य औषधीय पादप बोर्ड (एसएमपीबी) को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुन सकती हैं। ऐसी स्थिति में निधियां राज्य आयुष सोसायटी के माध्यम से राज्य औषधीय पादप बोर्डों को दी जाएंगी। राज्य इस संघटक को लागू करने के लिए राज्य में उपलब्ध सबसे दक्ष और प्रभावशाली एजेंसी का चयन करेगा।

7.3 यदि राज्य सरकार द्वारा राज्य उद्यानिकी मिशन को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित कर दिया जाता है तो वह इस संघटक का कार्यान्वयन कृषि, आयुष, उद्योग विभाग और एसएमपीबी के समन्वय से करेगा और उसे एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत करना होगा। इसे निधियां प्राप्त करने और संघटक को लागू करने के लिए कार्यात्मक स्वायतता भी होनी चाहिए।

जिला स्तर पर एजेंसियों की पहचान करने और समूहों की पहचान करने तथा पादप उगाने वालों को एसएचजी/सहकारिताओं/ एसोसिएशनों तथा उत्पादक कंपनियों को संगठित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को भी पूर्णतया शामिल किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी राज्य आयुष सोसायटी अथवा राज्य द्वारा निश्चित किए गए किसी अन्य उपयुक्त तंत्र के माध्यम से कार्य करेगी।

7.4 राज्य स्तर पर एक तकनीकी छानबीन समिति भी होगी जिसमें प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ भी होंगे। प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन इत्यादि के लिए राज्यों के पास उपयुक्त मॉडल अर्थात सहकारिताएं, परिसंघ, वन विकास निगम, संयुक्त क्षेत्र कंपनियां को अपनाने का विकल्प होगा। जहां भी संभव हो, कृषि हेतु समूहों की पहचान के लिए राज्य उद्यानिकी मिशन के साथ अनुबंध विकसित किया जाएगा और फसलोपरांत प्रबंध सुविधाओं यथा मालगोदाम, विपणन यार्ड, सुखाने के शेड, परीक्षण प्रयोगशाला और प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना हेतु अवसंरचना का विकास किया जाएगा। राज्य स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी के कार्य निम्नलिखित होंगे:

i) राज्य स्तर पर "तकनीकी सहायता ग्रुप" से तकनीकी सहायता प्राप्त करके परिदृश्य और वार्षिक कार्ययोजना बनाना जिसमें राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, सुविधा केंद्रों, आईसीएआर, आईसीएफआरई, सीएसआईआर संस्थाओं और उस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ इसके कार्यान्वयन को देखेंगे।

ii) कार्यकलापों को चालू रखने, उसका उपयुक्त हिसाब रखने और संबंधित एजेंसियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार से निधियां प्राप्त करना।

iii) विभिन्न समूहों के लिए उत्तरदायी एसएचजी, पादप उगाने वालों की सहकारिताओं, पादप उगाने वालों की एसोसिएशनों, उत्पादक कंपनियों जैसे कार्यान्वयन संगठनों को निधियां निर्मुक्त करना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण, अनुवीक्षण और पुनरीक्षण करना।

iv) औषधीय पादपों की स्थिति का निश्चय करने के लिए विभिन्न भागों (जिला, उप जिला, अथवा जिलों के ग्रुप) में आधार-रेखा सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययनों का आयोजन करना,

इसकी संभाव्यता और मांग का पता लगाना और तदनुकूल सहायता प्रदान करना। इसी प्रकार के अध्ययन अन्य कार्यक्रमों के अन्य संघटकों हेतु भी चलाए जाएंगे।

v) कृषकों, सोसाइटियों, गैर-सरकारी संगठनों, पादप उगाने वालों, एसोसिएशनों, स्व-सहायता दलों, राज्य संस्थाओं और ऐसी ही अन्य संस्थाओं के माध्यम से औषधीय पादपों को उगाने हेतु अनुकूल कृषि जलवायु के संदर्भ में चुने गए विभिन्न समूहों में इस संघटक के कार्यान्वयन में सहायता करना और निरीक्षण करना। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी पादप उगाने वालों को स्व-सहायता दल/सहकारिताएं/परिसंघ, उत्पादक कंपनियां बनाने हेतु प्रेरित करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। इन जमीनी स्तर के संगठनों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी जिसमें प्रशिक्षण और एनीमेटर्स इत्यादि जैसे अन्य आकस्मिक खर्चे आदि भी शामिल होंगे।

vi) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर/आईसीएफआरई/सीएसआईआर संस्थाओं और तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त अन्य संगठनों में स्थापित सुविधा केंद्रों की सहायता से राज्य स्तर के सभी इच्छुक दलों/एसोसिएशनों के लिए कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

7.5 जिन राज्यों में कार्यान्वयन उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किया जाता है, उनमें जिले स्तर पर इस संघटक का समन्वय राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन की जिला मिशन समिति (डीएमसी) द्वारा किया जाएगा। यदि कृषि विभाग के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाता हो तो जिला मिशन निदेशालय को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा जिसमें उप निदेशक (कृषि)/जिला कृषि अधिकारी उसका अध्यक्ष होगा। जिला मिशन समिति (डीएमसी) परियोजना के निरूपण और अनुवीक्षण हेतु उत्तरदायी होगी। डीएमसी में संबंधित विभागों, पादप उगाने वालों की एसोसिएशनों, विपणन बोर्डों, उद्योगों, विभागों, स्व-सहायता दलों (एसएचबी) और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि इसके सदस्यों के रूप में होंगे। जिला योजना समिति और पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकारों की पसंद और विवेकानुसार इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एकीकृत/सम्मिलित किया जाएगा।

7.6 राज्य कार्यान्वयन एजेंसी प्रस्तावों को जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से भेजने की आवश्यकता को पूरा किए बिना भी ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, राज्य सरकार उपक्रमों, पादप उगाने वालों की एसोसिएशनों, उत्पादक कंपनियों, स्व-सहायता दलों को सीधे शामिल करके चुनिंदा समूहों में इस स्कीम को लागू करने पर भी विचार कर सकती है। ऐसे मामले में विभिन्न संगठनों/समूहों की रिपोर्ट राज्य कार्य योजना में समेकित की जाएगी और एनएमपीबी के विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों (एटीएमए) जैसे संगठनों को चुनिंदा समूहों में जिला और निम्नतर स्तर पर योजना, कार्यान्वयन और अनुवीक्षण में शामिल किया जा सकता है। ऐसे मामलों में निधियां भी जिला स्तर एजेंसी के माध्यम से भेजे बिना सीधे समूह स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्मुक्त की जा सकती हैं।

7.7 इस संघटक के अधीन समूह/अंचल स्तर पर मुख्य कार्यकलापों को लागू करने के लिए सांस्थानिक प्रबंध अर्थात प्रौद्योगिकी प्रसारण, गुणवत्तायुक्त पादप रोपण सामग्री, कृषि, फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन इस कार्यक्रम के अधीन आने वाले राज्य में विद्यमान संगठनों/संस्थानों के अनुसार भिन्न-भिन्न होंगे। विभिन्न समूहों में कृषि, प्रसंस्करण, विपणन, गुणवत्ता आश्वासन और प्रमाणन संबंधी सभी कार्यकलापों को राज्य स्तर पर समेकित किया जाएगा ताकि मिशन कार्यकलापों के बीच बेहतर सहक्रिया रहे। राज्य सरकारें मिशन के उद्देश्यों को समग्र रूप में आगे ले जाने के लिए अपने मॉडल चुनने, वर्तमान संस्थाओं का सृजन करने अथवा उन्हें दिशा देने के लिए स्वतंत्र हैं।

7.8 अन्य स्कीमों के साथ अनुबंध

यद्यपि इस स्कीम में वे सभी कार्यकलाप आते हैं जिनकी सहायता औषधीय पादप पर आधारित कृषि व्यापार को पूर्णत: सफल बनाने के लिए आवश्यक होती है, फिर भी कुछ संघटक ऐसे हो सकते हैं जिनका सामंजस्य अन्य मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों की अन्य स्कीमों के साथ स्थापित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सूक्ष्म सिंचाई, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई तालाबों का निर्माण, संदर्शी प्लॉटों की स्थापना जैसे कुछ संघटक जो इस स्कीम का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें

संबंधित मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों के अनुरूप बनाया जा सकता है। इससे फसल के पूर्व और पश्चात के प्रबंधन कार्यकलापों के साथ कृषि का संपूर्ण अभिसरण सुनिश्चित होगा।

8 उपचार

8.1 औषधीय पादपों की सहायक कृषि

8.1.1 देश में औषधीय पौधों की कृषि समाप्त नहीं हुई है, यहां तक कि वनों से कच्चे माल की उपलब्धता सस्ती दरों पर है और वनों में उपलब्धता पर इसका हानि युक्त प्रभाव है। कृषि को आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों तकनीकी एवं वित्तीय प्रयासों को समर्थन दिया जाए। दसवीं पंचवर्षीय योजना में अनुदान सहायता से कृषि समर्थन का कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। यद्यपि कार्यक्रम के साधारणत: परिणाम संरक्षण योग्य अनेक प्रजातियों की कृषि,
आयुष उद्योग की उच्च मांग तथा वनों से एकत्र की जाने वाली आयुष औषधियों के लिए उत्साहवर्धक रहे हैं। यह योजना आयुष चिकित्सा पद्धति में संकटमय मोड़ पर अधिक से अधिक प्रजातियों की कृषि के लिए समर्थित होनी चाहिए। यह भी प्रस्तावित है कि विभिन्न औषधीय पौधों के लिए उपलब्ध अनुदान सहायता में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि आयुष पद्धति की आवश्यकता के अनुरूप कृषि योग्य प्रजातियों एवं उनके संरक्षण से संबंधित मामलों में सीधी अनुदान सहायता प्रदान की जा सके।

8.1.2 औषधीय पादपों के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं और उपलब्ध बाजार के साथ सुविधाजनक तरीके से कृषि को प्रस्तावित किया जाए। यह भी प्रस्तावित किया जाता है कि राज्य शासन के द्वारा औषधीय पौधों के उत्पादन से संबद्ध व्यक्ति, स्व:सहायता समूह, सहकारी समितियों के माध्यम से समूहों की पहचान की जाए। औषधीय पादपों के उत्पादक लघु एवं सीमांत कृषकों को स्व:सहायता समूहों एवं सहकारी समितियों में नियोजित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि लघु एवं सीमांत कृषक औषधीय पादपों की कृषि कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में वे करने में असमर्थ हैं। उत्पादकों के सहकारी संस्थानों/संघों को सक्रिय करने तथा अन्तत: राज्य कार्य योजना में समेकित की जाने वाली समूह विशेष की परियोजना रिपोर्टों/व्यवसाय योजनाओं को तैयार करने के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजनाओं के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

8.1.3 कृषि के लिए योजना में रोपण सामग्री/बीज प्राप्त करने का स्रोत भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना होगा। योजना के अंतर्गत सहायता राशि की अर्हता उन्हीं उत्पादकों को होगी जो कि केवल पहचान किये हुए बीज स्रोत या प्रमाणित रोपण सामग्री प्रदाय करने वाली रोपणियों से करेंगे। राज्य को प्रत्येक समूह के लिए एक व्यापार योजना/परियोजना रिपोर्ट की रूपरेखा बनाने का प्रयास करना चाहिए। राज्य के लिए बनी कार्ययोजना में उनकी क्षमता, अवसंरचना, उपलब्ध और विकसित की जा रही प्रजाति, उनके स्थान के विवरण के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के लिए संगठनों की सूची (सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में) शामिल होनी चाहिए। रोपण सामग्री की उपलब्धता के लिए योजना की रूपरेखा तैयार करते समय राज्यों को विभिन्न विभागों (अर्थात उद्यानिकी, कृषि, वन विभाग, आयुष/पारंपरिक चिकित्सा हेतु राज्य निदेशालय, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, केवीके और सीएसआईआर, आईसीएआर, आईसीएफआरई इत्यादि की केन्द्रीय सुविधाओं) की पौधशाला सुविधाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि कुछ रोपण सामग्री राज्य से बाहर से प्राप्त की जानी प्रस्तावित हो तो उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। वार्षिक कार्ययोजनाओं में औषधीय पादपों के जीन पूल/सर्वश्रेष्ठ रोपण सामग्री/क्लोनल और पौध बीज फलोद्यानों/बाड़ा उद्यानों/जीन बैंक बनाने के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल किए जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव संबंधित राज्य विभागों/और राज्य तथा केन्द्र सरकारों के अनुसंधान एवं विस्तार खण्ड संगठनों से लिए जाएंगे। इन प्रस्तावों को वार्षिक कार्य योजना में विशिष्ट संघटकों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए जिनमें संक्रिया से संबद्ध आवर्तता और उसकी समय-सीमा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और उनके परिणाम भी दिए जाने चाहिए। सर्वश्रेष्ठ जर्मप्लाज्म अनुरक्षण के लिए संघटक और उसका मूल्यांकन केवल एक बार के प्रस्ताव के लिए तदर्थ नहीं हो सकता और इसलिए राज्य द्वारा बनाई गई भावी योजना का हिस्सा हो सकता है तथा दो योजनावधियों के अंदर परिवर्तनशील प्रकृति का हो सकता है। तथापि, यह समझ लेना जरूरी है कि इस संघटक में केवल ऐसे संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए जिनमें ऐसा कार्यकलाप उनके मूल अधिदेश का एक अभिन्न अंग हो ताकि वे लंबे समय में केवल अपने संसाधनों से ही इस प्रकार की पहलों को बनाए रख सकें।

8.1.4 यह कृषि ऐसे क्षेत्रों में करना प्रस्तावित है जहां प्रसंस्करण समूह स्थापित किए जाएंगे और ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी जहां कृषि के लिए ऐसे समूहों की पहचान की जाती है जिनके निर्माताओं और विपणन के साथ उपयुक्त अनुबंध हों। इन्हें भी पादप उगाने वालों, एसएचवीजी और औषधीय पादप उगाने वालों की सहकारी समितियों, उत्पादक कंपनियों और कार्पोरेटों के माध्यम से कृषि हेतु सहायता दी जाएगी।

8.1.5 वह प्रजाति जिसके लिए कृषि लागत के 20% की दर से सहायिकी दी गई थी वह अब 30% हो जाएगी और वे प्रजातियां जिनको 11वीं योजना के दौरान कृषि लागत के 50% अथवा 75% तक की रेंज में सहायिकी देय थी, वह जारी रहेगी। तथापि, मंहगाई के दबाव के कारण कृषि लागत में हुई वृद्धि की पूर्ति के लिए सहायिकी की गणना हेतु बनाए गए मूल लागत के मानदंड वही रहेंगे जो इस प्रजाति के लिए 11वीं योजना में दी गई व्यवस्था के अनुसार बने रहेंगे, केवल उनके लागत मानदंडों में प्रत्येक आगामी वर्ष की कार्य योजना लिए 10% की वृद्धि की जाएगी बशर्ते कि एसएफसी की सहमति मिल जाए। इस कार्यक्रम को राज्यों के लिए और प्रभावशाली तथा आवश्यकता जनित बनाने की दृष्टि से इसके परिधि और कार्यक्षेत्र में और अधिक सुधार करने हेतु औषधीय गुणों वाले औषधीय और सुगन्धित पादपों को इस स्कीम के अधीन 30%, 50% और 75% की सहायिकी समर्थन श्रेणियों में रखा जा सकता है। ब्यौरा **संलग्नक-I** में देखा जा सकता है। तथापि, इस स्कीम के अधीन सहायिकी समर्थन हेतु नई प्रजातियां स्थाई वित्त समिति (एसएफसी) के विधिवत अनुमोदन के पश्चात ही शामिल की जाएगी। समिति अपना अनुमोदन देने से पूर्व औचित्य और प्रदत्त लागत मानदंडों पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी। एक बार प्रजातियों को शामिल करने का निर्णय ले लिए जाने पर एसएफसी आगामी वर्षों के लिए लागत मानदंडों में 10% वृद्धि पर विचार कर सकती है बशर्ते पिछले वित्तीय वर्ष में राज्यों को प्रजातियों के विकास के निमित्त दी गई निधियां अप्रयुक्त न रखी गई हों। ऐसा होने पर कृषकों को महंगाई की मार से बचने के लिए परिवर्धित समर्थन देने पर विचार करना पूर्णतया संबंधित राज्य का दायित्व होगा। यह राज्यों में दोनों प्रयोजनों अर्थात 11वीं योजना के दौरान कृषि हेतु पहले से शामिल की गई प्रजातियों की कृषि अथवा 12वीं योजना के दौरान शामिल की जाने वाली नई प्रजातियों की कृषि हेतु निधियों के उपयोग के लिए एक प्रोत्साहन का कार्य करेगा। यदि यह पता चले कि इस प्रजाति की कृषि को और समर्थन देने की

आवश्यकता नहीं है अथवा इसकी कृषि विशेष कारकों के कारण सफल नहीं है तो एसएफसी वित्तीय सहायता हेतु पहले से सम्मिलित किसी प्रजाति को छोड़ भी सकती है।

8.2 गुणवत्तायुक्त पादप रोपण सामग्री की आपूर्ति हेतु बीज/जर्मपलाज्म केन्द्रों तथा पौधशालाओं की स्थापना:

8.2.1 औषधीय पादपों की कृषि और इस प्रकार की कृषि से होने वाली पैदावार मुख्यत: प्रयुक्त पादप रोपण सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। तथापि, आज तक वाणिज्यिक पैमाने पर गुणवत्तायुक्त जर्मप्लाज्म प्रदान करने और गुणवत्तायुक्त पादपरोपण सामग्री का उत्पाद करने का कोई तरीका नहीं है।

8.2.2 कृषि हेतु अग्रताप्राप्त औषधीय पादप प्रजातियों के प्रमाणित जर्मप्लाज्म के भंडारण और आपूर्ति के लिए राज्य वन विभागों/अनुसंधान संगठनों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अनुसंधान खण्डों के साथ बीज केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। गैर-सरकारी संगठनों और कार्पोरेटों के माध्यम से बीजों के उत्पादन और आपूर्ति को भी अनुमति दी जाएगी बशर्ते उनकी गुणवत्ता किसी प्रत्यायित प्रमाणन एजेंसी के माध्यम से की जा सके। तथापि, ऐसे केन्द्र आईसीएआर संस्थाओं में स्थापित नहीं किए जाएंगे क्योंकि इन संस्थाओं में उनकी अपनी योजनाओं के अधीन इस प्रकार के संघटक हेतु प्रावधान होता है जिसका उपयोग औषधीय पादपों से संबंधित जर्मप्लाज्म के भंडारण हेतु किया जा सकता है।

8.3 आदर्श पौधशालाएं

8.3.1 कृषि हेतु गुणवत्तायुक्त पादप रोपण सामग्री की मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अधीन नई पौधशालाओं के लिए सहायता दी जाएगी। तथापि, निजी क्षेत्र में पौधशालाओं की स्थापना पर्याप्त तथा ऐसी प्रायोगिक परियोजनाओं को शुरू करने हेतु कार्य नीति बनाने के बाद ही की जाएगी। आदर्श पौधशालाओं की अवसंरचना में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

i) मौसम की प्रतिकूल स्थितियों से बचाने के लिए मदर स्टॉक्स ब्लॉक का अनुरक्षण।

ii) जालीदार गृह दशाओं के अंतर्गत मूल स्टाक पौध तैयार करना।

iii) हवादार घरों का प्रसारण करना जिनकी साइडों में कीट-पतंगों को रोकने की जाली लगी हो और कोहरे एवं छिड़काव की प्रणाली से सिंचाई की व्यवस्था हो।

iv) कीट-पतंगों को रोकने वाले ऐसे जालीदार गृहों का कठोरीकरण/अनुरक्षण जिनमें से प्रकाश गुजर सके और छिड़काव की प्रणाली से सिंचाई की व्यवस्था हो।

v) पर्याप्त सिंचाई करने तथा जल भंडारण की व्यवस्था करने के लिए पम्प हाउस।

8.3.2 एक आदर्श पौधशाला में औसतन 4 हैक्टेयर का क्षेत्र होना चाहिए और प्रति एकांश 25 लाख रुपए की लागत आएगी। निजी क्षेत्र/स्व-सहायता दलों के अधीन स्थापित की जाने वाली आदर्श पौधशालाएं 100% सहायता की पात्र होंगी जो अधिकतम प्रति एकांश 25 लाख रुपए हो सकती है। आदर्श पौधशालाएं 2-3 लाख पौधे पैदा करेंगी जो इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी लागत लगाई गई है और पौध को रोपण योग्य बनाने में कितना समय लगेगा। रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना पौधशालाओं का दायित्व होगा। निजी क्षेत्र में स्थापित आदर्श पौधशालाओं के लिए सहायता लागत की 50% होगी बशर्ते वह प्रति एकांश अधिकतम 12.50 लाख रुपए हो। यह सहायता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से दी जाएगी।

8.4 लघु पौधशालाएं

8.4.1 लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्र वाली लघु पौधशालाओं के पास अवसंरचना सुविधाएं ऐसी होंगी जिनमें 60,000 से 70,000 तक पौधे आ जाएं। ये पादप लगभग 9-12 महीनों के लिए रखे जाएंगे। लघु पौधशाला की अवसंरचना में एक जालीदार गृह होगा। उस जालीदार गृह में छिड़काव के माध्यम से सिंचाई का साधन दिया जाएगा। डिब्बों की आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने/छोटे से बड़े डिब्बों में स्थानान्तरित करने के लिए इन पौधशालाओं में मिट्टी को सूर्य प्रकाश के माध्यम से रोगाणुहीन करने का भी प्रावधान होगा।

8.4.2 लघु पौधशालाओं में प्रति एकांश 6.25 लाख रुपए की लागत आएगी। सार्वजनिक क्षेत्रों/स्व-सहायता दलों के लिए यह सहायता 100% होगी और निजी क्षेत्र में यह लागत 50% होगी किंतु अधिकतम

राशि 3.125 लाख तक ही रहेगी जो सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से दी जाएगी। ये लघु पौधाशालाएं प्रतिवर्ष कम से कम 60,000 पौध उगाएंगी।

8.4.3 पौध रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना पौधशालाओं की जिम्मेदारी होगी। निजी पौधशालाएं जो प्रारंभ में प्रायोगिक आधार पर होंगी, को स्व-प्रत्यायन की ओर बढ़ने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ये पौधशालाएं विविध फसलों अथवा किसी विशेष फसल के लिए हो सकती हैं जो उस क्षेत्र/परियोजना क्षेत्र में पौध सामग्री की मांग पर आश्रित है। इसलिए कार्य योजना में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस प्रकार की पौधशाला की स्थापना का प्रस्ताव है। इस कार्य योजना में वर्तमान पौधशालाओं का मूल्यांकन, उपजाई जाने वाली पौधों की फसलवार संख्या और पौधशालाओं की अतिरिक्त मांग भी दी जानी चाहिए। लागत के मानदंड **संलग्नक-II** पर उपलब्ध हैं।

8.5 औषधीय पादप प्रसंस्करण और विपणन सहित फसलोपरांत प्रबंधन हेतु सहायता

8.5.1 अनुमान लगाया गया है कि निर्माताओं के पास पहुंचने वाली 30% कच्ची सामग्री घटिया किस्म की होती है इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। अत: औषधीय पादपों की कृषि के लिए मालगोदाम बनाने, सुखाने, ग्रेडिंग करने, भंडारण करने और यातायात करने हेतु अवसंरचना की सहायता दिए जाने की जरूरत है। ये सुविधाएं औषधीय पादपों की विपणन क्षमता बढ़ाने, उत्पादों का मूल्य बढ़ाने, लाभ बढ़ाने और हानियों को कम करने के लिए अनिवार्य हैं। एपीईडीए ने केरल और उत्तराखण्ड राज्यों में औषधीय और सुगंधित पादपों के लिए कृषि निर्यात आंचल (एईजैड) स्थापित किए हैं। इन राज्यों में औषधीय पादपों पर एईजैड के कार्यान्वयन से हुए अनुभव के आधार पर यह स्कीम देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित उन चिन्हित समूहों/आंचलों में प्रसंस्करण तथा फसलोपरांत प्रबंधन हेतु अवसंरचना को सहायता देने का प्रयास करती है जो विपणन की अवसंरचना/व्यापर के केंद्रों से सुसंपन्न हैं तथा औषधीय पादपों की कृषि परंपरा को कृषि विकल्प के रूप में रखते हैं और प्रौद्योगिकी प्रसारण एवं क्षमता निर्माण के लिए जिनके पास अनुसंधान एवं विकास संस्थाएं/एएसयू हैं। जबकि एपीईडीए द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एईजैड स्कीमों का मुख्य केंद्रबिंदु निर्यात पर है किंतु वर्तमान स्कीम का प्रयास है कि कृषि किए गए/एकत्रित

किए गए औषधीय पादपों का मूल्यवर्धन किया जाए और आयुष उद्योग की बृहद घरेलू मांग को पूरा किया जाए। इसके अतिरिक्त, जड़ी-बूटीय/आयुष उत्पादों के निर्यात में मूल्यवर्धित मदों के हिस्से में वृद्धि करने की दृष्टि से निर्यात विपणन वाली प्रजातियों को भी शामिल किया जाएगा। निर्यात के लिए लक्षित की गई प्रजातियों को अंतिम रूप उनके निर्यात विपणन का मूल्यांकन करने के बाद ही दिया जाए। समूहों में स्थित एकांश भौगोलिक रूप में एक दूसरे के निकटस्थ होने चाहिए ताकि समूह के सभी सदस्य साझी सुविधाओं का उपयोग सुगमता से कर सकें। सृजित की जाने वाली सुविधाओं का हिस्सा सभी पणधारियों द्वारा प्राप्त किया जाएगा और अन्य भुगतान के आधार पर प्राप्त करने के लिए मुक्त हैं। फसलोपरांत अवसंरचना में सृजित की जाने वाली सुविधाओं की संदर्शी सूची निम्नलिखित है:

क. **सुखाने के यार्ड:-** उत्पादों को स्वास्थ्यकर दशाओं में सुखाने के प्रारंभिक कार्य को पूरा करने के लिए सुखाने के यार्ड होते हैं। इसके अतिरिक्त, सुखाने और श्रेणीबद्ध करने की अवसंरचना जड़ी-बूटियों की उपयोगिता अवधि और बाजार मूल्य में वृद्धि करने के लिए एक ऐसा अनिवार्य कार्यकलाप है जिसे सुखाने से जोड़ा जाता है। चूंकि जड़ी-बूटियों को छाया में सुखाना पड़ता है, इसलिए सुखाने के ऐसे यार्ड बनाने की जरूरत है जिनमें छाया व जाली का प्रावधान हो या न्यून तापमान पर सुखाने की सुविधाएं हों।

ख. **भंडारण गोदाम**: - **भंडारण गोदामों में उत्पाद आस-पास के सुखाने के यार्डों से प्राप्त होने अपेक्षित होते हैं। ये भंडारण गोदाम सुखाने के यार्डों और प्रसंस्करण एकांशों के बीच कड़ी का काम करते हैं। भंडारण गोदाम पर्याप्त रूप से हवादार और अनुकूल जगहों पर होने चाहिएं। भंडार गोदाम और सुखाने के यार्ड इस तरह से बनाए जाने चाहिएं कि वे कृषि फार्मों से बहुत दूर न हों और कृषि के चिन्हित समूहों के अनुकूल हों।**

ग. **प्रसंस्करण एकांश**:- **समूहों में उगाये जाने वाले औषधीय पादपों पर आधारित प्रसंस्करण एकांश स्थापित करने होंने जिनमें से कुछ तो पादप विशेष के लिए होंगे। ये प्रसंस्करण एकांश अधिमानत: विद्यमान औद्योगिक संपदाओं के अंदर ही स्थापित होने चाहिएं जिनमें बिजली, सड़क जाल और रेलवे स्टेशनों/समुद्री बंदरगाहों से संबंधित आवश्यक अवसंरचना होती है।**

घ. **कच्ची सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण**:- **कच्ची सामग्री और मूल्यवर्धित मदों का परीक्षण तथा घरेलू खपत एवं निर्यात हेतु उनका प्रमाणन वर्तमान प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के माध्यम से किया जाएगा। यदि आंचल/समूहों में इस प्रकार की प्रयोगशालाएं नहीं हों तो नई प्रयोगशालाएं अधिमानत: पीपीपी मोड में स्थापित की जाएंगी।**

ङ. **विपणन:-** इस संघटक के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

i. औषधीय पादपों के विपणन हेतु थोक बाजारों एवं कृषि मंडियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करना।

ii. जहां जड़ी-बूटी संग्रहण एवं खुदरा बाजार नहीं हैं, वहां उनकी स्थापना करना।

iii. कृषकों और उद्योग/व्यापारियों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना।

iv. विपणन, मूल्यों, विपणन रूझान पर सूचना का प्रसारण ताकि कृषक उपयुक्त औषधीय फसलों का चयन कर सकें।

8.6.2 सहायता के लिए देय संघटक निम्नलिखित हैं:

1 विपणन संवर्धन:- मीडिया संवर्धन, प्रदर्शनियों में भागीदारी, व्यापार मेले, प्रदर्शन सुविधाओं को किराये पर लेने जैसे विपणन संवर्धन के कार्यक्रम परियोजना पर आधारित होते हैं किंतु प्रत्येक समूह के लिए 10 लाख रुपए तक सीमित होते हैं परंतु समूहों द्वारा उत्पादित जड़ी-बूटियों/कच्ची सामग्री हेतु विपणन संवर्धन के अधीन 50% सहायता के पात्र होंगे।

2 विपणन आसूचना :- कार्य योजना में उगाने वालों के लिए विपणन आसूचना के संग्रहण, समेकन और प्रसारण को भी शामिल किया जाना चाहिए। विपणन आसूचना से संबंधित कोई अन्य नवप्रवर्तनकारी कार्यकलाप भी इस संघटक केअधीन संगठित किया जाए। इस संघटक के लिए सहायता परियोजना पर आधारित होगी।

3 वापस खरीद हस्तक्षेप:- स्कीम के इस संघटक के अधीन क्रेता-विक्रेता बैठकों के रूप में पुन: खरीद हस्तक्षेप, लचीले तथा नवप्रवर्तनकारी, विपणन व्यवस्थाओं, औषधीय पादपों के विपणन हेतु समूह स्तर पर परिक्रामी निधी का सृजन और स्व-सहायता दलों, सहकारिताओं, उत्पादक कंपनियों को प्रेरक सहायता दी जा सकती है। क्रेता और विक्रेता के बीच विपणन और सांस्थानिक अनुबंध को सुदृढ़ बनाने के लिए अन्य कोई कार्यकलाप भी इस संघटक में शामिल किया जा सकता है। यह सहायता परियोजना पर आधारित होगी।

उपर्युक्त हस्तक्षेप एनएएम के अधीन लचीले कार्यकलापों के अंतर्गत प्रस्तावित किए जाएं।

4 विपणन अवसंरचना:- इस संघटक के अधीन जिन जड़ी-बूटी संग्रहण एवं खुदरा बाजारों को ग्राम स्तर पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, उन्हें 20 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकती है। यह सहायता औषधीय पादपों के व्यापार हेतु गांवों में स्थित कृषि मंडियों में अवसंरचना के उन्नयन/सृजन हेतु भी उपलब्ध है। इसी प्रकार की सहायता औषधीय पादपों के व्यापार अवसंरचना उन्नयन एवं सृजन के लिए जिला/राज्य कृषि मंडियों को भी दी जाएगी। राज्य/जिला स्तर पर जड़ी-बूटी मंडियों की स्थापना हेतु भी सहायता उपलब्ध होगी। गांव निकायों/स्व-सहायता दलों/सहकारिताओं के माध्यम से संग्रहण और खुदरा बाजार हेतु वित्तीय सहायता का स्तर 20 लाख रुपए होगा और राज्य/जिला स्तर के संग्रहण एवं खुदरा बाजार हेतु अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक होगा।

8.6 गुणवत्ता परीक्षण, प्रमाणन और बीमा

i. **गुणवत्ता परीक्षण:-** पादप उगाने वालों द्वारा उत्पादित जड़ी-बूटी/औषधीय पादपों की गुणवत्ता का परीक्षण पारिश्रमिक मूल्य वसूलने की कुंजी होती है। यदि जड़ी-बूटीयां/औषधीय पादप आयुष/एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं (लचीले कार्यकलापों के अधीन प्रस्तावित किए जाएं) में परीक्षित किए जाते हैं तो ये पादप उगाने वाले परीक्षण खर्चों के 50% के हकदार होंगे जिसकी अधिकतम सीमा 5 हजार रुपए होगी।

ii. **प्रमाणन:-** जैव और जीएपी प्रमाणन औषधीय पादप/जड़ी-बूटियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की कुंजी है और वे कृषकों को उनके उत्पादों हेतु अच्छे मूल्यों के माध्यम से लाभ दिला सकते हैं और ग्राहकों को जड़ी-बूटी/आयुष उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता के माध्यम से लाभ पहुंचा सकते हैं। प्रमाणन प्रभार दलों/समूहों में कृषि के 50 हेक्टेयर के लिए दल आधार पर 5 लाख रुपए की सीमा तक देय होंगे।

iii. **फसलों का बीमा:-** कृषि के अंतर्गत औषधीय पादप एक नया कार्यकलाप हैं इसलिए कृषकों को सकल बीमा में शामिल करने की आवश्यकता है। यह संघटक किसी विशेष फसल के लिए लाभ के 50% भुगतान हेतु सहायता देने का प्रयास करता है। यह लाभ और स्कीम का विवरण कृषि बीमा निगम (लचीले कार्यकलापों के अंतर्गत प्रस्तावित किया जाए) की सलाह से तय किया जाएगा।

8.6 प्रत्येक समूह के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/व्यापार योजना ऐसी परामर्शी फर्मों के माध्यम से तैयार की जाएगी जो इस क्षेत्र में मौलिक योग्यता रखती हों ताकि आयुष विभाग की अन्य स्कीमों और इस स्कीम के कार्यान्वयन से पूर्व अन्य मंत्रालयों की स्कीमों के बीच सहक्रिया स्थापित की जा सके। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को इस स्कीम के अधीन समर्थन हेतु चुने गए समूहों के लिए व्यापार योजनाएं/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परियोजना प्रबंध परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने की अनुमति होगा अर्थात: आंचलों/समूहों से बाहर के क्षेत्रों में पैकिंग, शैडों, प्रसंस्करण एकांशों, परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी अवसंरचना सृजित करने हेतु समर्थन भी दिया जाएगा बशर्ते वे कृषि समूहों से संबंधित हों। नामित समूहों से बाहर के केवल उन्हीं एकांशों के लिए सहायता दी जाएगी जो सार्वजनिक क्षेत्र/कृषक समूहों/पंचायत/कृषक सहकारिताओं/उत्पादकों की कंपनी के होंगे। सभी परियोजनाएं उपयुक्त व्यापार योजना और विपणन सर्वेक्षणों के आधार पर उद्यमियों द्वारा संचालित होंगी। विभिन्न समूहों के लिए विस्तृत परियोजना/व्यापार योजना एनएमपीबी को प्रस्तुत की जाने वाली राज्य कार्य योजना में समेकित की जाएगी। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को भी परियोजना परामर्शदाता नियुक्त करने की अनुमति होगी।

9 पात्रता

9.1 **पौधशाला**

9.1.1 सरकारी संगठन (राज्य कृषि/वन/उद्यानिकी विभाग) सरकारी अनुसंधान एवं विकास संस्था/एसएचजीआईसीएमआर, सीएसआईआर, आईसीएफआरई, डीबीटी, डीएसटी संस्थाएं,

9.1.2 गैर सरकारी संगठन, निजी उद्यमी, कृषक (प्रारंभ में उन्हें केवल 50% अनुदान प्रायोगिक आधार पर मिलेगा)

9.2 कृषि हेतु;

9.2.1 पादप उगाने वाले, किसान, कृषक

9.2.2 पादप उगाने वालों की एसोसिएशनें, परिसंघ, स्व-सहायता दल, कार्पोरेशन, पादप उगाने वालों की सहकारिताएं

9.2.3 केवल समूहों के मामले में कृषि को सहायता दी जाएगी। प्रत्येक कृषि समूह के पास कम से कम 2 हैक्टेयर भूमि होगी। प्रत्येक कृषि समूह ऐसे कृषकों में से लिया जाना चाहिए जिनके पास भूमि 15 कि.मी. के दायरे में हों। सहायता उन इच्छुक कृषकों को उपलब्ध होगी जो आगामी वर्षों में उसी भूमि पर औषधीय पादपों की कृषि करने के इच्छुक होंगे।

9.3 फसलोपरांत प्रबंधन एवं प्रसंस्करण तथा मूल्यवर्धन (विपणन सहित)

I. औषधीय पादपों के व्यापार में लगे कम से कम तीन (3) उद्यमों/कंपनी/फर्मों/ भागीदार फर्मों/उत्पादक कंपनी/व्यापारियों/पादप उगाने वालों/सहकारिताओं द्वारा निर्मित एसपीवी और उनके उत्पाद इस स्कीम के अधीन निधियन हेतु पात्र होंगे। किसी एसपीवी के लिए कम से कम दो एकड़ भूमि चाहिए और वह भूमि राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा औद्योगिक संपदा/आंचल/पार्क समूह/क्षेत्र के रूप में नामित होनी चाहिए। साझा सुविधा एकांश/प्रयोगशाला भी रख सकता है। यदि कोई सार्वजनिक क्षेत्र का एकांश या राज्य सरकार प्रसंस्करण/मूल्यवर्धन स्थापित करने की योजना बना ले तो पृथक एसपीवी बनाने की आवश्यकता नही होगी।

II. बैंक खाता एसपीवी के नाम से खोला जाना चाहिए और सदस्यों के परियोजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए कायिक निधी के रूप में जमा करने चाहिए।

III. बाह्य नामिति सहायता कृषि समूह से जुड़े केवल सार्वजनिक क्षेत्र/कृषक समूह/पंचायत/किसानों की सहकारिताओं/उत्पादक कंपनियों को ही दी जाएगी।

IV. सार्वजनिक क्षेत्र के मामलों में प्रत्येक परियोजना को 400 लाख रुपए की सीमा तक निरूपण सुगमता के लिए अधिसूचित बैंक द्वारा किया जाएगा।

V. कृषि अनुबंध के रूप में सुखाने के शेडों और भंडारण गोदामों के निर्माण हेतु 10 लाख रुपए की सीमा तक प्रत्येक को 100% की वित्तीय सहायता देय होगी, बशर्ते उन्हें औषधीय पादप उगाने वाले स्व-सहायता दलों/सहकारिताओं द्वारा स्थापित किया जाए।

यह निमित्त सहायता 50% तक सीमित की जाएगी बशर्ते उनकी स्थापना व्यक्तियों या उद्यमियों द्वारा की जाए।

10 वित्तीय सहायता का तरीका

प्रसंस्करण सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सहायता के लिए:

10.1 कच्ची सामग्री और मूल्य वर्धित उत्पादों के परीक्षण हेतु गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाने के लिए परियोजना लागत के 30% की दर से अधिकतम 30 लाख रुपए दिए जा सकते हैं जो संगठन, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी और एनएमपीबी के बीच समझौता ज्ञापन के आधार पर पीपीपी मोड में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मीडिया के माध्यम से विपणन संवर्धन, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों में भाग लेने, प्रदर्शन सुविधाओं का विकास करने और उन्हें किराए पर देने के लिए वित्तीय सहायता परियोजना लागत के 50% के हिसाब से 10 लाख रुपए की सीमा तक दी जा सकेगी।

10.2 मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और परीक्षण सुविधाओं के लिए सहायिकी समाप्त की जा रही है। तथापि, यदि संगठन, सहकारिताओं, न्यासों, कार्पोरेटों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास बैंक प्रमाण पत्रों से समर्थित पर्याप्त निधियां हों और वे संगठन अन्यथा वित्तीय रूप से सक्षम हों तथा किसी वित्तीय संस्थान के ऋणी न हों तो उनके लिए ऋण की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी।

10.3 राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड से मिलने वाली सहायता का उपयोग केवल भौतिक अवसंरचना, सिविल निर्माण कार्यों, भवन निर्माण, संयंत्र एवं मशीनरी और उपस्करों के लिए किया जाएगा। एसपीवी की भूमि की खरीद, समूह विकास अधिकारियों के वेतन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में संयुक्त भागीदारी, विदेश में व्यापार प्रतिनिधि मंडल और ब्रांड विकास इत्यादि पर होने वाले शेष सभी खर्चों का वहन एसपीवी द्वारा किया जाएगा।

इस स्कीम के अधीन देय सहायता का संघटक-वार तरीका **संलग्नक-III** में दिया गया है।

11 सांस्थानिक कार्यनीति:

11.1 मिशन के औषधीय पादप संघटक के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी ऐसी होनी चाहिए कि उसके पास जिला एवं निम्नतम स्तर पर अवसंरचना को इस उद्देश्य के लिए उद्यानिकी और कृषि विभाग जैसे विभागों को राज्य स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में उपयुक्त माना जाए। इसलिए राज्य उद्यानिकी मिशन को यदि राज्य सरकार उचित समझे तो राज्य कार्यान्वयन

एजेंसी नामित किया जा सकता है। यदि एसएमपीबीज को नोडल दायित्व दिया जाए तो राज्यों को राज्य औषधि पादप बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने चाहिएं और जहां राज्य उद्यानिकी मिशन नहीं हैं उन राज्यों में निधियों को पहुंचाने के लिए एसएमपीबी को सोसायटियों के रूप में पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा।

11.2 राज्यों को क्षेत्र का विकास करने के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं बनानी होंगी। सहायता केवल उन्हीं राज्यों को देय होगी जो राज्य कार्ययोजना बनाएंगे। जिन राज्यों में प्रसंस्करण अंचल/समूह स्थापित किए जाएंगे उनमें चिन्हित अंचलों/समूह दलों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें/व्यापार योजनाएं तैयार करनी होंगी और राज्य कार्य योजना में विशेष व्यापार योजना/परियोजना रिपोर्ट को शामिल करना होगा।

11.3 राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं (सीएसआईआर/डीबीटी) में सुविधा केंद्र (एससी) स्थापित किए हैं ताकि वे औषधीय पादपों पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, विस्तार, विपणन सूचना पर पादप उगाने वालों/कृषकों तथा उद्यमियों के लिए एक सेवा द्वार के रूप में कार्य कर सकें। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को इस मिशन के अधीन तकनीकी हैंड होल्डिंग के लिए सुविधा केंद्रों (एससी) के निकट समन्वय में काम करना चाहिए।

12. प्रस्तावों की तैयारी एवं प्रस्तुति

12.1 राज्य सरकार इस स्कीम के अधीन विभिन्न कार्यकलापों के लिए एक वार्षिक कार्य योजना (संलग्नक-V) तैयार करेगी और राज्य मिशन स्तर पर अनुमोदन होने के पश्चात उसे राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के संघटक के रूप में आयुष विभाग को अग्रेषित कर देगी। इस कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ पौधाशाला, कृषि समूह और फसलोपरांत प्रबंधन एवं प्रसंस्करण के एकांशों तथा मूल्य संवर्धन का विवरण भी दिया जाना चाहिए। बोर्ड को इस कार्य योजना की सॉफ्ट प्रति भी भेजी जाए।

12.2 एनएमपीबी वार्षिक कार्य योजनाओं के औषधीय पादप संघटक को तकनीक छानबीन समिति के समक्ष रखेगा। तकनीकी छानबीन समिति द्वारा छानबीन किए जाने के उपरांत यह वार्षिक कार्य योजना

एनएएमपी मूल्यांकन समिति और अनुमोदक निकाय के समक्ष रखी जाएगी जो अपना अनुमोदन देकर उसे राज्य कार्यान्यवन एजेंसी को निधियां एक या एक से अधिक किस्तों में राज्य की समेकित निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता निर्मुक्त करने की सिफारिश करेगी। इस उद्देश्य के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को एनएएम हेतु सासायटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा ताकि निधियां जिला एवं उप जिला स्तर या स्व-सहायता दलों, सहकारिता सोसायटियों या उत्पादक कंपनियों को, जैसा भी मामला हो, सीधे निर्मुक्त करने हेतु इसके माध्यम से भेजी जा सकें।

12.3 अनुमोदित कार्यकलापों और अलग-अलग किसानों/कृषकों/दलों के लिए निधियां विभिन्न समूहों में अलग-अलग कार्यकलापों के लिए छोटे लाभ भोगियों, दलों और उदमियों के आधार पर राज्य कार्यान्यवन एजेंसियों द्वारा निर्मुक्त की जाएंगी। ऋण से संबद्ध सहायिकी उस क्षेत्र में किए गए कार्य का सत्यापन होने के बाद एक ही किस्त में निर्मुक्त की जाएं परंतु इसके पूर्व क्षेत्र में की गई प्रगति के बारे में बैंक द्वारा प्रमाणन किया जाना चाहिए। लंबी अवधि की फसलों और अन्य परियोजना कार्य कलापों के लिए तकनीकी छानबीन समिति किस्तों की उपयुक्त संख्या निश्चित करे जो कार्य योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आवश्यक हों। कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रपत्र संलग्नक-V पर दिया गया है।

12.4 राज्य कार्यान्वयन एजेंसी संलग्नक-VI पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत विपणन हेतु योजना का निष्पादन करे और तकनीकी छानबीन समिति (टीएससी) तथा एनएएम के विचारार्थ भेजे।

13. अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

13.1 XIIवीं योजना के अंत में पूरी अवधि का मूल्यांकन किया जाएगा। इस स्कीम के अधीन कार्यकलापों की प्रभावशाली आयोजना और कार्यान्वयन के लिए उस स्कीम की अवधि के लिए केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन परामर्शदाताओं की नियुक्ति की अनुमति दी जाएगी। परियोजना प्रबंध एकांश में कितने परामर्शदाता और डाटा इंट्री ऑपरेटरों का सहायक स्टाफ होगा जो उस स्कीम के प्रभावशाली कार्यान्वयन और अनुवीक्षण के लिए आवश्यक समझा

जाएगा। इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त व्यावसायिक एजेंसियों का नियोजन करके स्वतंत्र समवर्ती अनुवीक्षण और मूल्यांकन भी किया जाएगा। यह स्कीम अपने कार्यान्वयन के तीन वर्षों के उपरांत मध्यावधि मूल्यांकन के अध्यधीन भी होगी।

13.2 राज्य-वार भौतिक लक्ष्य और परिव्यय राज्य सरकारों से प्राप्त इस आशय के लिए प्रस्तावों और निधियों की उपलब्धता पर आश्रित होंगे। तकनीकी छानबीन समिति को इस स्कीम के अधीन उपलब्ध समग्र परिव्यय के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों में लक्ष्यों और परिव्यय को संशोधित करने का अधिकार होगा। 1,50,000 हेक्टेयर में फैली कृषि हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए समग्र लक्ष्य औषधीय पादपों के उत्पादन को 3 लाख टनों तक बढ़ाना, लगभग 50% वन संग्रहण पर आश्रितता को घटाना और निर्यात में मूल्यवर्धित मदों के अंश को बढ़ाना है।

13.3 राज्य मिशनों द्वारा परामर्श और अनुवीक्षण

चूंकि कार्य योजना/परियोजना का वास्तविक कार्यान्यवन राज्य मिशनों द्वारा किया जा रहा है इसलिए यह सलाह देना उचित है कि राज्य मिशनों को अपने विशेषज्ञों के माध्यम से जमीनी सतह पर अपने कार्यकलापों में परामर्श दें और तदनुसार उन्हें ठीक करने के उपाय करें। इसलिए अलग-अलग किसानों द्वारा कृषि सहित उनके सभी कार्यकलापों का परामर्श और अनुवीक्षण उनकी अपनी कार्यान्यवन एजेंसियों द्वारा किया जाए और उनकी सहायिकियां इस प्रकार की परामर्श पद्धतियों के साथ जोड़ी जाएं। इस आशय के लिए राज्य मिशनों द्वारा वन/उद्यानिकी/कृषि/विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों की सेवाएं किराए पर ली जानी चाहिए। राज्य मिशनों को औषधीय पादपों के बारे में कार्यक्रमों के अनुवीक्षण तथा परामर्श हेतु राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर समितियां स्थापित करनी चाहिएं। राज्य सरकार इस स्कीम संघटक के संयुक्त परामर्श में राज्य औषधीय पादप बोर्डों को शामिल करने का निर्णय भी ले सकती है। ऐसा करने पर राज्य औषधीय पादप बोर्डों को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य योजना का एक प्रतिशत संबंधित राज्य को मंजूर किया जा सकता है ताकि संयुक्त परामर्श तंत्र स्थापित किया जा सके।

13.4 तृतीय पक्ष अनुवीक्षण

राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जाने वाली स्कीम की सफलता के लिए व्यापक तृतीय पक्ष अनुवीक्षण महत्वपूर्ण होता है। दो प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं - या तो विशेषज्ञों की प्रणाली के माध्यम से या किसी एजेंसी को किराए पर लेकर। किसी एजेंसी को किराए पर लेना एक बेहतर विकल्प है क्योंकि सभी राज्यों में अनुवीक्षण में समानता रहेगी। एनएमपीबी ने केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के अनुवीक्षण के लिए कृषि वित्त निगम को किराए पर लेने का अनुभव पहले ही कर लिया है। अनुवीक्षण में और उन्नयन करने की आवश्यकता है और अब तो अनुवीक्षण राष्ट्रीय स्तर की ऐसी एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए जिसके पास पर्याप्त जनशक्ति और अवसंरचना हो। इस स्कीम के अधीन अलग-अलग किसानों द्वारा कृषि सहित स्थान और क्षेत्रों के बारे में आंकड़े भी जीपीएस प्रणाली के माध्यम से उठाए जाने चाहिएं ताकि उन्हें आईएस पर आधारित प्रणालियों में प्रयुक्त किया जा सके। जीआईएस पर आधारित प्रणाली में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग संबंधित कंपनी (निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चुनी गई) द्वारा किया जाएगा और अस्थाई तथा स्थानिक विश्लेषण के लिए एनएमपीबी को दिए जाने हेतु किया जाएगा।

13.5 केन्द्रिक अनुवीक्षण और परामर्श देने हेतु अन्य उपाय

एनएमपीबी औषधीय पादपों के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की एक सूची विकसित करे और उन्हें विषय-वार/प्रजाति-वार विशेषज्ञों को मुख्य तकनीकी सलाहकार के रूप में नामित करे और संस्थानों की पहचान उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में करे। राज्य मिशनों की सलाह से छः महीने में एक बार संकेंद्रित अनुवीक्षण और परामर्शी दौरों का आयोजन किया जाए। संबंधित राज्यों के लिए आवश्यक विशेषज्ञों के दौरे से उनके महत्वपूर्ण कार्यकलापों के बारे में परामर्श के माध्यम से राज्य मिशनों को सहायता मिलेगी। यह भी प्रस्ताव दिया जाता है कि विशेषज्ञों का वही दल राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की दोनों स्कीमों का अनुवीक्षण करे। एनएमपीबी और सुविधा केंद्रों की स्थापना करके राज्य में क्षमता निर्माण करके राज्य में क्षमता निर्माण के माध्यम से संकेंद्रित अनुवीक्षण और हस्त संचालन हेतु वर्तमान सुविधा केंद्रों को मजबूत बनाएं।

संलग्नक -I

एनएमपीबी की स्कीम के अंतर्गत कृषि के लिए प्राथमिकृत पादपों की सूची

30% सब्सिडी के लिए पात्र पादप

#	वनस्पतिक नाम	स्थानीय नाम	प्रति एकड लागत (रुपयों में)
1.	अब्रस प्रीकेटोरीयस	चिरमटी, चिन्नोटी, गुडुमणि	*
2.	अक्रस केलेमस	वच	30250
3.	एडेटोडा जेलेनिका	अडूसा	*
4.	एलोय वीरा *(लिन.)* बर्न.	घृत कुमारी	20,570
5.	अल्पाइना केलकराटा	छोटा गलंगल	*
6.	अल्पाइना गेंलंगा	बड़ा गलंगल	23,628
7.	अन्ड्रोग्राफीस पेनीकुलाटा (लिन.) बर्न	कालमेघ	12,100
8.	आरटीमिसिया एनुआ (लिन.)	आर्टेमिशिया	16,113
9.	एसपेरेगस रेसीमोसस	शतावरी	30,250
10.	एजार्डीक्टा इन्डीका	नीम	18,150
11.	बेकोपा मोनीराइ	ब्राम्ही	19,360
12.	बरजीनिया सीलीएटा	पासानभेद	33,119
13.	बोहराविया डीफयूजा	पुर्नवा	14,520
14.	केसिया अंगस्टीफोलिया वहल	सनाय	12,100
15.	सीसलपीनिया सेपन	पतंग	25,918
16.	केथेरेन्थस रोजियस	सदाबहार	12,100
17.	सीलासट्रस पेनीकुलाटा	मलकागंज, ज्योतिस्मति, बवन्ति बीज	*
18.	सेन्टेला एसीयेटिका (लिन.) अरबन	मंडूकपर्णी	19,360
19.	क्लोरोफाइटम बोरीवीलिनम संत.	श्वेत मूसली	1,51,250
20.	सीन्नामोमम वेरम सीन्नामोमम टमाला और सीन्नामोमम कैम्फोरा	दालचीनी, तेजपात, कपूर	*
21.	सिट्रउलस कोलोसाइनथिस फोर्सक	इन्द्रयन, कोलोसिंथ, चित्रफल, घवास्की, कस्तूरस, कस्तूरस, ट्रपुसी, बीटर्म एपल	*

22.	क्लीरोडेन्ड्रम फलोमोइडीस	अमी	*
23.	कलाइटोरिया टरनेसिया एल.(ब्लू एंड हवाइट वेराइटी)	अपराजिता	*
24.	कोलियस बारबेटस बेंथ सिन कोलियस फोरसकोलाई	पत्थरचूर	20,812
25.	कोलियस वेटीवेरोइडिस के.सी. जैकब	ह्वेरा	*
26.	कनवलवुलस माइक्रोफीलस	शंखपुष्पी	16,113
27.	क्रीप्टोलेपिस बुचनानी रोइम एंड स्कल्ट	कृष्णसरिवा	20,598
28.	कुरकुमा एन्गुस्टीफोलिया	तीकूर	*
29.	डेकालेपसिस हेमिलटोनो	नान्नरी	*
30.	डीजिटेलिस परप्युरिया लिन.	फॉक्सग्लोव	*
31.	डायोसकोरिया बल्बीफेरा लिन.	रोतालू, गेथी	30,250
32.	एकलिप्टा एल्बा	केसूरिया, भंगारू, भंगरा, केसूती, अजगरा, भृंगराज, केसर राज, सुमिलका, सुपर्ण, वीड यम	*
33.	एमबलिया राइबस (बर्म.एफ.)	वाई विडंग	20,570
34.	एम्बलीका ओफीनेलिस गेर्टन.	आंवला	31,460
35.	एफीडरा जोरारडीआना वाल.	सोमलता	*
36.	गारसेनिया इन्डीका च्वाइसी	कोकुम	30,250
37.	जीनको बाइलोबा	जिंको	*
38.	जिमनेमा सिल्वेस्ट्रीस आर. बर.	गुडमार	12,100
39.	हाईडिसियम स्पाईकेट्रम बच-हेम.एकस स्मथ	कपूर कचरी	19,360
40.	हेमीडेसमस इन्डीकस आर. बर.	अनंतमूल, इंडियान सरसापरेला	16,940
41.	होलोराइहना एन्टीडाइसेन्टीरीका वाल.	कुर्ची, कुट्ज	*
42.	हाइओसाइमस नाइगर एल.	खुर्सनी अजवाइन	*
43.	आइपोमिया मोरीशियाना/इपोमिया	जाइंट पोटेटो	*
44.	आइपोमिया पेटेलोइडिया च्वाइसी	वृद्धारूका	*
45.	आइपोमिया टरपेथम आर. बर.	त्रिवृत्त	*
46.	केम्पफेरिया गेलंगा	इंडियन क्रोकस	*
47.	लिटसिया ग्लूटीनोसा	लिस्टिया	*
48.	लेपीडियम सेटाइवम लिन.	चन्द्रशूर	*
49.	मुकुना प्रुरीटा लिन.	कौंच	9,680
50.	ओसिमम सेन्कटम लिन.	तुलसी	14,520

51.	ओरिजा सेटाइवा सीवी जावरा	सुगंधित चावल	*
52.	फाइलेन्थस ऐमेरस शुम एवं थॉन	भूमिअमलकी	13,310
53.	पाइपर लोन्गम लिन.	पीपली	30,250
54.	प्लेनटागो ओवेटा	ईसबगोल	*
55.	प्लूचीया लेनसीयोलाटा (डीसी) सीबी क्लार्क.	रासना	*
56.	प्लमबागो रोजिया	लीडवोर्ट	*
57.	स्यूर्डेथीरया वीसीडा	मोविला	*
58.	सोरेलिया कोरियलीफोलिया एल.	बाकूची	7,260
59.	रूबीया कोरडीफोलिया लिन.	मंजीष्ठा	48,400
60.	साइडा कोरडीफोलिया	फ्लानल वीड	*
61.	सोलेनम अन्गुई	कथेली - बडी	*
62.	सोलेनम नाइग्रम लिन.	मकोय	12,100
63.	स्टीविया रेबीयुडिआना	मधुकरी	1,51,250
64.	टेफरोसीया परप्यूरीया पर्स	पावड, धमसिया, कलिका, प्लीहारी, शरापंखा, परपल टेफरोसिया, वाइल्ड इंडिगो, एम्पाली	*
65.	टर्मीनेलिया अर्जुना (रॉक्सबी.) वेट एंड अर्न	अर्जुन	21,780
66.	टर्मीनेलिया बलेरीका गेयर्टन.	बहेड़ा	19,360
67.	टर्मीनेलिया चेबुला रेट्स.	हरड़	19,360
68.	टीनोस्पोरा कोरडीफोलिया मियर्स	गिलोय	13,310
69.	ट्रेगिया इनवोलेक्रट	बरहंता	*
70.	ट्राकोसेनथस कुकुमेरीना	पटोल पंचांग	*
71.	वेलेरीयाना हार्डविक्की	टागर-गंथ, निहानी	*
72.	विटेक्स नीगेन्डो	निर्गुण्डी	12,100
73.	वेटीवेरिया जीजनेओइडस	खस-खस घास	*
74.	वीथेनिया सोमनीफेरा (लिन.) दुनाल	अश्वगंधा	12,100
75.	वुडफोरडिया फ्रूटीकोसा कुर्ज.	धातकी	*

50 प्रतिशत अनुदान सहायता के लिए अनुशंसित पौधे

#	वनस्पतिक नाम	स्थानीय नाम	प्रति एकड़ मूल लागत
76.	एबीज वेबीआना लिंडल	तालिस पत्र	*
77.	अकेसिया कटेचू वी	कत्था	*

78.	ईगल मारमीलोस (लिन.) कोर.	बेल	19,360
79.	अलबीजिया लीबेक बेंथ	शिरिष	18,150
80.	अल्सटोनिया स्कोलेरिस आर. बर.	सतविन, सप्तपर्णा	16,141
81.	ऐल्टनजिया एक्सेलसा नूरनहा	सिलरसा	*
82.	एनासाइकलस पाइरीथ्रम डीसी.	अकरकरा	*
83.	अट्रोपा बेलाडोना	एट्रोपा	30,250
84.	कोसिनियम फेनसट्रेटम (जटर्न) कोलब्र.	पीलाचंदन	*
85.	क्रेटेविया नरवाला – हेम.	वरूण	*
86.	कुरकीलागो ओरकियोडस	काली मूसली, मूसली शिया	*
87.	डेक्टाईलोराइजा हेटेजिरिया (डी.डॉन) सू	सालमपंजा	*
88.	डेसमोडियम गैंगेटिकम	सरिवन	21,780
89.	ग्लोरीओसा सुपरबा लिन.	कलिहारी	66,550
90.	ग्लाइसिराइजा ग्लेबरा लिन.	लिकोरस रूट्स, मुलेठी	48,400
91.	मलाइयना अरबोरिया लिन.	गंभारी	21,780
92.	हिफोफी रहमेनोइडिस लिन.	सीबकथोर्न	24,200
93.	इन्यूला रेसीमोसा एचके.एफf.	पुष्करमूल	18,295
94.	जूनीपेरस क्यूमीनीस लिन.	हपुशल, हनबर, जुनीपर, बेथर, हपुशा	*
95.	ज्यूरेनिया मेक्रोसीफेला बेंथ	धूप, जड़ी-धूप	*
96.	लेपटेडिनीया रेटीकूलेटा (रेट्ज) वेट एंड अर्न.	जिवन्ती	30,250
97.	मेसुआ फेरिया लिन.	नागकेसर	*
98.	ओनोसमा हिस्पीडियम वाल. एक्स डान	रतनजोत	*
99.	पेनेक्स स्यूडोजिंसैंग	जिसैंग	*
100.	पारमेलीया परलाटा अच.	सलईया	*
101.	पाइपर क्यूबेबा लिन. एफ.	कबाबचीनी	*
102.	प्लमबागो जेलेनिका लिन.	चित्रक	14,520
103.	प्यूरेरिया टयूबरोसा डीसी.	विदारीकंद	24,200
104.	प्रीमना इनटीग्रीफोलिया लिन.	अग्निमंथ	12,100
105.	टेरोकारपस मारसुपीयम रॉक्सब.	बीजासार	26,620
106.	राउलफीया सरपेनटाइना बेंथ एक्स कुर्ज	सर्पगंधा	30,250
107.	ऋयूम इमोडी	अर्चे	98,010
108.	सेलेसिया रेटीकुलेटा, सेलेसिया आबलोंगेटा	सप्तचक्रा (सप्तरंगी½	*
109.	सराका असोका (रॉक्सब.) डे वाइल्डे	अशोक	30,250
110.	स्माइलेक्स चाइना लिन.	हदार्थी (मधु स्नूची), चोब लोखंडी	24,200
111.	स्टीरियोस्परमम सुवियोलेन्स डीसी.	पाटला	*

112.	सिमप्लोकोस रेसीमोसा रॉक्सब	लोध/पठानी	*
113.	टेकोमिला अन्डूलाटा *(एसएम.)* सीम.	रोहितक	*
114.	ट्राइकोपस जेलेनिकस	जीवनी	*
115.	टाइलोफोरा अस्थमेटिका	दमाबूटी	*
116.	टेक्ज़स वेलीचियाना लिन.	तुनेर, तालिसपत्र	*
117.	यूरेरिया पिक्टा *(जेक.)* डिसर्व.	प्रश्नपर्णी	20,086
118.	वेलेरियाना वलेची	इंडियन वलेरियन	*
119.	वेटेरिया इन्डिका	मंदधूप, धूपा	*
120.	वायोला ओडोराटा	बनफ्शा	*
121.	जेन्थोजाइलम अलेटम	तिमूर	14,520

75% अनुदान सहायता के लिए अनुशंसित पौधे

#	**वनस्पतिक नाम**	**स्थानीय नाम**	**टिप्पणी**
122.	एकोनिटम फेरोक्स वाल./ए.बालफूरी	वत्सनाभ	38,927
123.	एकोनिटम चेसमेन्थम स्टेपफ	वत्सनाभ (एपीआई)	*
124.	एकोनिटम हिटेरोफिल्लम वाल. एक्स रोयल	अतीस	53,240
125.	एकवेलेरिया एगेलोचा रॉक्सब.	अगर	16,141
126.	बरबेरिस एरिसटाटा डीसी.	दारूहल्दी	30,250
127.	कोमिफोरा विधटी *(अर्न.)* भंडारी	गुगल	*
128.	कोपटिस टीटा वाल.	मामीरा	*
129.	फेरूला फोइटीडा रेगेल एल.	हींग	*
130.	जेन्सिया कूरू रोयल	त्रयमान	*
131.	मेपिया फोईटीडा माई.	घनेरा	*
132.	नारडेस्टीकस जटामानसी डीसी.	जटामांसी	98,010
133.	ओरोजाइ़ल्म इन्डिकम वेंट.	स्योनाक	21,780
134.	पिकरोराइजा कूरू बेंथ एक्स रोयल	कुटकी	54,450
135.	पोडोफिल्लम हेक्जेन्ड्रम रोयल.	वनककडी, इंडियन पोदोफियालम	48,400
136.	पोलिगोनेटम सिरहीफोलियम वाल.	महामेदा	*
137.	टेरोकारपस सेन्टेलाइनस	रक्तचंदन, रेड सेन्डर्स	27,346
138.	सेन्टलम एलब्म लिन.	चंदन	23,570
139.	ससुरिया कोसटस सी.बी. क्लर्क	कुठ, कुस्ठा	42,350
140.	स्वरीता चिरायता बच-हम	चिरायता, चरायता	39,930

टिप्पण:

* मूल लागत पर विचार और अनुमोदन एसएफसी द्वारा किया/दिया जाएगा।

(1) कृषि पर अर्थशास्त्र को अंतिम रूप नाबार्ड, सीएसआईआर, आईसीएआर, आईसीएफआरई, वन विभाग, एनएचबी एवं अन्य विश्वसनीय स्रोतों की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है।

(2) प्रजातियों के अर्थशास्त्र की गणना सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की पौधरोपण सामग्री के रूप में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर की गई है।

(3) इन लागत मानदंडों में जनशक्ति, अवसंरचना विकास और भूमि की लागत पर हुआ खर्च शामिल नहीं है।

(4) लागत मानदंड उपलब्ध होते ही इस सूची में और अधिक पादप शामिल किए जा सकते हैं।

आगामी वर्षों में मूल लागत मानकों में 10**%** की वृद्धि की जा सकती है बशर्ते एनएएम का अनुमोदन मिल जाए।

संलग्नक-II

पौधशालाओं और कृषि हेतु सहायता के मानदंड

	कार्यक्रम	अनुमानित लागत	देय सहायता
1.	**पौधशाला**		
	पौध रोपण सामग्री का उत्पादन		
	क) सार्वजनिक क्षेत्र		
	i) आदर्श पौधशाला (4 हैक्टे.)	25 लाख रुपए	अधिकतम 25.00 लाख रुपए
	ii) लघु पौधशाला (1 हैक्टे.)	6.25 लाख रुपए	अधिकतम 6.25 लाख रुपए
	ख) निजी क्षेत्र (प्रारंभ में प्रायोगिक आधार पर)		
	i) आदर्श पौधशाला (4 हैक्टे.)	25 लाख रुपए	लागत का 50% परंतु 12.50 लाख रुपये तक सीमित
	ii) लघु पौधशाला (1 हैक्टे.)	6.25 लाख रुपए	लागत का 50% परंतु 3.125 लाख रुपये तक सीमित
2.	**कृषि**		
	i) वे प्रजातियां जो विलुप्ति के कगार पर हैं और जिनकी आयुष उद्योग में अत्यधिक मांग हैं	**संलग्नक– II** के अनुसार	कृषि लागत का 75%
	ii) ये प्रजातियां जो विलुप्ति के कगार पर हैं और जिनके आपूर्ति स्रोत घट रहे हैं	**संलग्नक– II** के अनुसार	कृषि लागत का 50%
	iii) अन्य प्रजातियां जिनकी मांग आयुष उद्योग और निर्यात हेतु है	**संलग्नक– II** के अनुसार	कृषि लागत का 30%

संलग्नक - III

फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन तथा प्रबंध समर्थन हेतु सहायता के मानदंड

	कार्यक्रम	अनुमानित लागत	देय सहायता
1.	**फसलोपरांत प्रबंधन**		
	i) सुखाने के शेड	10.00 लाख रुपए	सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र हेतु 100% सहायता और स्व-सहायता दलों/सहकारिताओं/निजी क्षेत्र हेतु 50%
	ii) भंडारण गोदाम	10.00 लाख रुपए	सरकारी/अर्ध-सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र हेतु 100% सहायता और स्व-सहायता दलों/सहकारिताओं/निजी क्षेत्र हेतु 50%
2.	**प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन**		
	i) प्रसंस्करण एकांश	400 लाख रुपए	सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्व-सहायता दलों/सहकारिताओं के मामले में 100% किंतु सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में प्रति एकांश 400 लाख रुपए तक सीमित
	ii) विपणन अवसंरचना	• ग्रामीण संग्रहण केंद्र हेतु 10.00 लाख रुपए • जिला संग्रहण केंद्र हेतु 200 लाख रुपए	परियोजना पर आधारित। सार्वजनिक क्षेत्र को 100% सहायता और निजी क्षेत्र/स्व-सहायता दलों/सहकारिताओं को 50% सहायता
	iii)जैव/जीएपी प्रमाणन	50 हैक्टे. हेतु 5 लाख रुपए	जैव-जीएपी कृषि के लिए लागत के 50% तक सहायता जो अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए प्रति हैक्टेयर 10,000 रुपए तक सीमित होगी। 3 वर्ष की अवधि में लाभ भोगियों को दी जाएगी। प्रमाणन के लिए 50 हैक्टेयर के लिए 5.00 लाख रुपए दिए जाएंगे।
	iv) संदर्शी भूखण्ड	-	जिन प्रजातियों की कृषि की गई और अवसंरचना सृजित की गई, उन पर निर्भर करते हुए परियोजना पर आधारित जो न्यूनतम 2 एकड़ के प्रति प्लॉट 10.00 लाख रुपए तक सीमित है।
	v) बीज/जर्मप्लाज्म केंद्रों की स्थापना	-	25 लाख रुपए/ केन्द्र

	14. **औषधीय पादप प्रसंस्करण समूह** किसी समूह में औषधीय पादप प्रसंस्करण एकांशों के लिए किसी विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) द्वारा कायान्वित की गई प्रत्येक समूह विकास परियोजना, जिनमें संग्रहण समूह भी शामिल है, कुल परियोजना लागत के विकास 60% के अंदर मूल उपचारों की लागत के 60% तक और अतिरिक्त उपचारों की लागत के 25% तक निधियन हेतु पात्र बशर्ते वह प्रति समूह अधिकतम 10.00 करोड़ तक सीमित हो। यह सहायता निम्नलिखित अन्य शर्तों के अध्यधीन है: (i) सीडीईज और एसपीवी की अन्य प्रबंधन सहायता के विनियोजन हेतु सहायता परियोजना की कुल लागत के 5% से अधिक नहीं होगी। (ii) अभियंताओं/वास्तुकारों/निर्माण प्रबंधन/सिविल कार्य के निष्पादन हेतु अन्य विशेषज्ञों के विनियोजन हेतु सहायता परियोजना की कुल लागत के 5% से अधिक नहीं होगी। क. इस स्कीम के उद्देश्य के लिए परियोजना लागत का अर्थ होगा प्रस्तावित उपचारों की कुल लागत। ख. इस स्कीम की प्रकृति प्रमापीय होगी जिसमें कार्यान्वयन के दौरान अनुमोदित परियोजना डीपीआर में उपचार में वृद्धि करने का प्रावधान होगा। तथापि, यह वृद्धि समग्र परियाजना के अनुरूप होगी बशर्ते स्थाई वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा अनुमोदित कर दी जाए। ग. एसपीवी परियोजना के लिए निधियों का समन्वय अन्य साधनों से भी कर सकता है बशर्ते उसी संघटक/उपचार के लिए दोबारा निधियां न ली जा रही हों। तथापि, ऐसा समन्वय करने के मामलों में, यह सुनिश्चत करना होगा कि एसपीवी भागीदार एकांशों का अंशदान परियोजना की कुल लागत का कम से कम 10% हो।

<u>संलग्नक - IV</u>

औषधीय पादपों के नम्य घटकों के अधीन कार्यकलाप

1. औषधीय पादपों में अनुसंधान एवं विकास
2. स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम
3. आईईसी कार्यकलाप
4. विपणन संवर्धन, विपणन आसूचना एवं पुन: खरीद के हस्तक्षेप - परियोजना पर आधारित
5. परीक्षण खर्चों की प्रतिपूर्ति - परीक्षण खर्चो का 50% परंतु प्रति परीक्षण 5000/- रुपए से अधिक नहीं
6. फसल बीमा – देय प्रीमियम का 50%

प्रशासनिक सहायता:

प्रबंधन सहायता, क्षमता निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी सहायता, लेखा परीक्षा, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन।

संलग्नक - V

विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

विवरण

1.	**पृष्ठभूमि सूचना**			
	1.1	भूगोल एवं जलवायु		
	1.2	औषधीय पादपों की संभाव्यता		
	1.3	वर्तमान अवसंरचना [मालगोदाम/शीतागार, बाजार, मंडियां, विनिर्माण एकांश, पौधशालाएं (सावर्जनिक एवं निजी क्षेत्र), अनुसंधान एवं विकास संस्थाए, परीक्षण प्रयोगशालाएं, प्रमाणन एजेंसियां, किसानों की एसोसिएशनें/सहकारिताएं/स्व-सहायता दल]		
	1.4	भूमि की उपलब्धता (समूह-वार)		
	1.5	कृषि की वर्तमान स्तर		
2.	**एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण**			
3.	**वार्षिक कार्य योजना का विवरण**			
	3.1	उद्देश्य और कार्य नीति		
	3.2	राज्य स्तर पर कार्यान्यवन एजेंसी और उसके संपर्क हेतु पता, दूरभाष, ई-मेल आईडी		
	3.3	वार्षिक कार्य योजना के विशेष पहलू और जिला/उप-जिला स्तर पर कार्यान्यवन विवरणिका तथा मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न संगठनों को एकत्रित करने के प्रस्तावित उपाय		
	3.4	संघटक-वार वास्तविक लक्ष्य - पौधशाला, कृषि समूह एवं फसलोपरांत प्रबंधन व प्रसंस्करण तथा मूल्यवर्धन और वित्तीय परिव्ययों का विवरण		
		3.4.1	पौधशाला	
			(क) सार्वजनिक	
			(ख) निजी क्षेत्र	
		3.4.2	कृषि (विभिन्न समूहों के लिए प्रजातिवार प्रस्तावित क्षेत्र और वित्तीय परिव्यय)	
		3.4.3	(क) भंडारण/माल गोदाम	
			(ख) सुखाने/ग्रेडिंग करने के शेड	
			(ग) प्रसंस्करण एकांश	
			(घ) गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला	
			(ड.) गुणवत्ता हेतु सहायता	
		3.4.4	विपणन	
			(क) विपणन संवर्धन	
			(ख) विपणन आसूचना	

			(ग) विपणन अवसंरचना	
			(घ) स्व-सहायता ग्रुपों/सहकारिताओं के संग्रहण सहित पुन: खरीद हस्तक्षेप	
		3.4.5	प्रमाणन एवं बीमा	
			(क) जैव/जीएपी प्रमाणन	
			(ख) फसल बीमा	
	3.5	**अनुबंध**		
		3.5.1	अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं/सुविधा केंद्रों के साथ	
		3.5.2	आयुष उद्योग समूह स्कीम के साथ	
		3.5.3	राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के साथ	
		3.5.4	विपणन एकांशों/विपणन हेतु व्यापारियों के साथ	
4.	**मिशन प्रबंधन**			
	4.1	परियोजना प्रबंध परामर्शदाता		
	4.2	अनुबंध स्टाफ का वेतन, अनुवीक्षण, यात्रा एवं अन्य प्रशासनिक खर्चे		
5.	**संलग्नक**			
		कार्य योजना के अंतर्गत वर्तमान और प्रस्तावित अवसंरचना के संभावित क्षेत्रों और जगहों को प्रदर्शित करने वाला राज्य का मानचित्र		
		पौधशाला, कृषि समूह, फसलोपरांत प्रबंधन व प्रसंस्करण तथा मूल्यवर्धन का विवरण यथा उल्लिखित सारणियों में दिया जाए		

<u>पौधशाला</u>

एनएमपीबी के "राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन" की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन विकसित की गई पौधशालाओं की स्थापना संबंधी सूचना राज्यों द्वारा दिए जाने के लिए प्रपत्र

(i) राज्य का नाम:				
(ii) पौधशालाओं की कुल संख्या (आदर्श/लघु)				
प्रत्येक पौधशाला के लिए संपर्क व्यक्ति	**वर्ष - _________**			
नाम एवं पता, दूरभाष/फैक्स/ई-मेल	**पौधशाला की किस्म (आदर्श/लघु)**	**प्रजाति का नाम**	**पौधशला का स्थान**	**अपेक्षित सहायता**

<u>कृषि समूह</u>

एनएमपीबी के "राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन" की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन विकसित की गई कृषि समूहों संबंधी सूचना राज्यों द्वारा दिए जाने के लिए प्रपत्र

<table>
<tr><td colspan="5">(i) राज्य का नाम:</td></tr>
<tr><td colspan="5">(ii) समूहों की कुल संख्या</td></tr>
<tr><td>प्रत्येक समूह के लिए संपर्क व्यक्ति</td><td colspan="4">वर्ष - __________</td></tr>
<tr><td>नाम एवं पता, दूरभाष/फैक्स/ई-मेल</td><td>सम्मिलित किसानों की संख्या</td><td colspan="3">पादप प्रजातियों के नाम और नियंत्रित क्षेत्र</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>प्रजाति</td><td>क्षेत्र (हेक्टेयर)</td><td>अपेक्षित सहायता</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

फसलोपरांत प्रबंधन एवं प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन के एकांश

एनएमपीबी के "राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन" की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन विकसित किए गए पीएचएम एकांशों पर राज्यों द्वारा दी जाने वाली सूचना के लिए प्रपत्र

(i) राज्य का नाम:			
(ii)पीएचएम/प्रसंस्करण एकांशों की कुल संख्या			
पीएचएम/प्रसंस्करण एकांश के लिए संपर्क व्यक्ति	**वर्ष - _________**		
नाम एवं पता, दूरभाष/फैक्स/ई-मेल	**पीएचएम/प्रसंस्करण एकांश का विवरण**	**इकाईयों की संख्या**	**अपेक्षित सहायता**
	सुखाने के शेड		
	भंडारण गोदाम		
	प्रसंस्करण एकांश		
	विपणन संवर्धन		
	मंडी अवसंरचना		
	पुन: खरीद हस्तक्षेप		
	विपणन अवसंरचना		
	जैव/जीएपी प्रमाणन		
	परीक्षण खर्च/प्रतिपूर्ति		
	जैव/जीएपी प्रमाणन		
	फसल बीमा		

<u>संलग्नक- VI</u>

<u>राष्ट्रीय मिशन के अधीन विपणन हेतु परियोजना आधारित सहायता के लिए दिशा-निर्देश</u>

1. **<u>विपणन संवर्धन</u>** : 50% वित्तीय सहायता का प्रावधान पहले ही है। समिति का विचार था कि परियोजनाओं के अनुमोदन से पूर्व परियोजना लागत के शेष 50%का स्रोत विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि :-

   1.1 प्रारंभ में विपणन संवर्धन परियोजना केवल सिद्धांत रूप में अनुमोदित की जाएगी।

   1.2 एनएमपीबी के हिस्से का 50% (अर्थात परियोजना लागत का 50%) प्रथम किस्त के रूप में निर्मुक्त किया जाए।

   1.3 शेष 50% मद परियोजना पूरी होने के पश्चात प्रतिपूर्ति आधार पर निर्मुक्त किया जाए।

टिप्पणी:- विज्ञापन सूचना के लिए डीएवीपी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और समाचार पत्र में विज्ञापन देने के लिए संपूर्ण भारत में पढ़े जाने वाले राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों को ही चयनित किया जाएगा।

2. **<u>विपणन आसूचना:</u>** कार्यान्वयन एजेंसियों को 100% सहायता दी जाए। तथापि यह कृषि समूहों की संख्या पर यह निर्भर करेगा कि प्रत्येक राज्य में कितनी संख्या में परियोजनाएं लागाई जानी हैं। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिए:

   2.1. प्रत्येक राज्य से ली जाने वाली परियोजनाओं की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

   2.2. वित्तीय सहायता 100% के आधार पर दी जाएगी।

   2.3. वित्तीय सहायता की सीमा प्रति परियोजना 10.00 लाख रुपये होगी जिसमें 5.0 लाख / वर्ष तक सीमित आवर्ती खर्च भी शामिल होगा।

   2.4. विपणन आसूचना के लिए कोई नियमित **स्टाफ** नहीं लिया जाएगा किंतु कार्यान्वयन एजेंसी कार्यक्रम का कार्यान्वयन विपणन परामर्शी संगठनों की सेवाएं किराए पर लेकर करेगी।

   2.5 एक परियोजना को न्यूनतम 200 हैक्टेयर कृषि कवर करनी चाहिए।

3. <u>पुन: खरीद हस्तक्षेप</u>: पादप उगाने वालों/किसानों और क्रेता-विक्रेता बैठक आयेजन के अलावा उद्योग को कुछ प्रोत्साहन होना चाहिए ताकि पादप उगाने वालों/किसानों से कच्ची सामग्री की खरीद से उन्हें कुछ आर्थिक लाभ हो। वित्तीय सहायता का प्रतिशत प्रापण की मात्रा से जोड़ा जाए परंतु वह प्रापण लागत के 10% से अधिक नहीं होगा। इसमें 75% हिस्सा पादप उगाने वालों/किसानों का और 25% हिस्सा क्रेताओं/उद्योग का होगा।

4. <u>विपणन अवसंरचना</u>:

4.1 संग्रहण एवं बिक्री के लिए ग्रामीण केंद्र**:** संग्रहण एवं बिक्री के लिए ग्रामीण केन्द्र साप्ताहिक आधार पर कार्य करें और नीलामी प्लेटफार्म**,** भंडारण गोदाम**,** सुखाने के शेड जैसी मौलिक सुविधाएं सहायक सेवाओं सहित प्रदान की जाएं। भूमि संबंधित जनता/स्व-सहायता दल/सहकारिताओं द्वारा दी जाएगी और वह परियोजना लागत का अंश नहीं होगी। संक्षिप्त दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:

क. संग्रहण एवं बिक्री के लिए प्रत्येक ग्रामीण केंद्र को अधिकतम सहायता 20.00 लाख रुपए/एकांश।

ख. संग्रहण एवं बिक्री ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या उत्पादन क्षेत्रों में संग्रहण केंद्र हों।

ग. संग्रहण एवं बिक्री ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या उत्पादन समूहों की संख्या पर आश्रित हो।

घ. इन केंद्रों को जिला केंद्रों/थोक बाजारों के साथ जोड़ा जाए।

ङ. नीलामी प्लेटफार्म, सुखाने के शेड, भंडारण गोदाम और सहायक सेवाओं जैसी मौलिक अवसंरचना प्रदान की जाए।

च. संबंधित स्व-सहायता दल/सहकारिता सोसाइटी द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाए।

<u>पात्रता</u>

सरकारी/अर्ध सरकारी/स्व-सहायता दलों/सहकारिताओं/सार्वजनिक क्षेत्र को 100% सहायता। सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत के 40% की दर से ऋण से जुड़ी सामान्य सहायिकी और निजी क्षेत्र के लिए पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों के मामले में 55% ।

4.2 संग्रहण एवं बिक्री के लिए जिला केंद्र /**थोक बाजार: मुख्य विशेषताएं**: संग्रहण एवं बिक्री के लिए प्रति जिला केन्द्रों के लिए अधिकतम सहायता 200.0 लाख रुपए है।

क. संग्रहण एवं बिक्री के लिए जिला केंद्र हब-एंड-स्पोक फॉर्मेट आधार पर काम करेंगे जबकि मुख्य बाजार (हब) अनेक स्पोक्स रूरल मार्केट (संग्रहण केंद्रों) से जुड़ा होगा।

ख. ग्रामीण बाजार सुविधानुसार मुख्य उत्पादन केंद्रों पर स्थित होंगे ताकि किसान/संग्रहणकर्ता वहां तक सरलता से पहुंच सकें तथा प्रत्येक स्पोक का आवाह क्षेत्र किसानों की सुखकर आवश्यकताओं को पूरा करने, कार्यात्मक दक्षता और निवेश के प्रभावशाली पूंजीगत उपयोग पर आधारित होगा।

ग. संग्रहण एवं बिक्री जिला केंद्र अपने पिछले अनुबंध संग्रह केंद्रों के माध्यम से किसानों से और अगले अनुबंध थोक विक्रेताओं, वितरण केंद्रो, प्रसंस्करण एकांशों और निर्यातकों के माध्यम से स्थापित करेंगे।

घ. गांवों में स्थित संग्रहण केंद्र उत्पादकों, संग्रहणकर्ताओं एवं खुदरा विक्रेताओं, प्रसंस्करण एकांशों और निर्यातकों को बाजार प्रणाली के साथ जोड़ेंगे।

ङ. मूल्य नियतन और स्पर्धा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नीलामी के लिए एक इलैक्ट्रानिक प्रणाली की स्थापना की जाएगी।

च. यह स्कीम मुख्य पणधारियों - उद्यमियों, उत्पादकों, प्रसंस्करण उद्योग विनिर्माताओं और निर्यातकों को सहायता प्रदान करके कृषि व्यापार क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को आकर्षित करेगी।

छ. देश के किसी भी भाग के उत्पादक, किसान, संग्रहणकर्ता और उनकी एसोसिएशनें और अन्य विपणन पदाधिकारी थोक बाजार की अवसंरचना व सुविधाओं का उपयोग सीधे अथवा संग्रहण केंद्रों के माध्यम से कर सकते हैं।

ज. संग्रहण एवं बिक्री जिला केंद्र यातायात सेवाओं, माल गोदाम सुविधाओं सहित परिभारिकी सहायता देने के लिए एक ही स्थान पर सब समाधान करेंगे।

पात्रता

सरकारी/अर्ध सरकारी/ स्व-सहायता दलों/सहकारिताओं/सार्वजनिक क्षेत्र को 100% सहायता। निजी क्षेत्र को 50% की दर से अधिकतम 100.00 लाख रुपए की ऋण से जुड़ी समाप्य सहायिकी।

4.3 वस्तुएं

संग्रहण एवं बिक्री जिला केंद्रों द्वारा जिन वस्तुओं का व्यापार किया जाएगा उनमें औषधीय पादप, जड़ी-बूटियां इत्यादि शामिल होंगी।

4.4 स्थान निर्धारण

राज्य सरकार मांग, आर्थिक व्यवहार्यता, वाणिज्यिक दृष्टि से विचारणीय पहलुओं इत्यादि के आधार पर संग्रहण एवं बिक्री जिला केंद्रों की संख्या और निर्देशात्मक स्थानों का अनुमोदन करेगी। जिला मंडियों/थोक बाजारों में दी जाने वाली मूल सुविधाएं और अनिवार्य सेवाएं:

1.इलैक्ट्रॉनिक नीलामी सुविधा	8. सामग्री को संचालन का उपकरण (पैलेटाइजेशन और प्लास्टिक क्रेट्स)	15. मौलिक आवास सेवाएं
2. भंडारण सुविधा	9. वाहनों के संचलन एवं उन्हें खड़ा करने की सुविधा	16. प्लास्टिक क्रेटों का भंडारण क्षेत्र
3. ताप नियंत्रित माल गोदाम	10. भावी व्यापार की सुविधाएं	17. मंडी में आने वाले उत्पाद हेतु मानक
4. छंटाई, ग्रेडिंग, धोने एवं पैकिंग की लाइनें	11. परिवहन सेवाएं	18. पूरे ढेर की तुलाई इत्यादि
5. उत्पादों पर लेबल लगाना	12. लेनदेन के निपटारों सहित बैंकिंग सेवाएं	19. पीने का पानी, शौचालय और सूचना डेस्क
6. मूल्य प्रदर्शन/बुलेटिन सेवाएं	13. वाहनों में तेल भरने की सेवाएं	20. आपातकालीन सेवाएं, पुलिस /सामान्य सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं
7. गुणवत्ता परीक्षण सुविधा	14. कूड़ा-कचरा और रद्दी की अभिक्रिया और निपटान	

उपर्युक्त के अतिरिक्त संग्रहण एवं बिक्री जिला केंद्र प्रयोक्ताओं को निम्नलिखित प्रयोक्ता सेवाएं नि:शुल्क प्रदान करेंगे।

क. औषधीय पादपों के केंद्रीय और संग्रहण केंद्रों (ग्रामीण मंडी) दोनों में मूल्य सूचना प्रदर्शनकारी स्क्रीनें।

ख. आयुष उद्योग के लिए निवेशों, मूल्यों, गुणवत्ता पर सलाह।

4.5 <u>प्रस्ताव का अनुमोदन</u>:

प्रस्ताव राज्य मिशन द्वारा विधिवत अनुमोदित किए जाने के बाद संबंधित मिशन निदेशकों द्वारा एनएमपीबी और एनएएम के टीएससी विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे।

4.6 <u>निधियों की निर्मुक्ति</u>

निधियां काम की प्रगति के आधार पर तीन किश्तों में निर्मुक्त की जाएंगी। राज्य प्राधिकारियों को कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना होगा और केंद्रीय सहायता के उपयोग की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।